₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अक्टूबर 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. 8-PS-35

दो गुटों में बिखरी पार्टी!

जदयू में क्या सबकुछ है ऑल इज वेल?

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

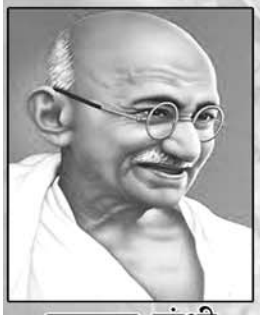

महात्मा गांधी
02 अक्टूबर 1869

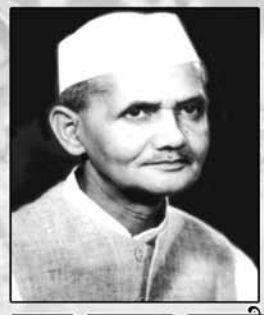

लाल बहादूर शास्त्री
02 अक्टूबर 1904

अभिजीत सावंत
07 अक्टूबर 1981

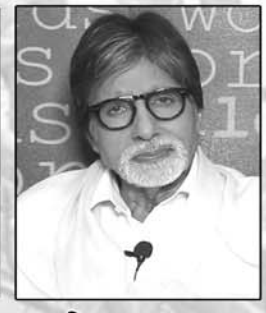

अमिताभ बच्चन
11 अक्टूबर 1942

गौतम गंभीर
14 अक्टूबर 1981

स्व०एपीजे कलाम
15 अक्टूबर 1931

नवीन पटनायक
16 अक्टूबर 1946

हेमा मालिनी
16 अक्टूबर 1948

अनिल कुंबले
17 अक्टूबर 1970

वृंदा करात
17 अक्टूबर 1947

सनी देवल
19 अक्टूबर 1956

नवजोत सिंह सिद्धू
20 अक्टूबर 1963

वीरेन्द्र सहवाग
20 अक्टूबर 1978

कादर खान
22 अक्टूबर 1932

परिनीति चोपड़ा
22 अक्टूबर 1988

सुनील भारती मित्तल
23 अक्टूबर 1957

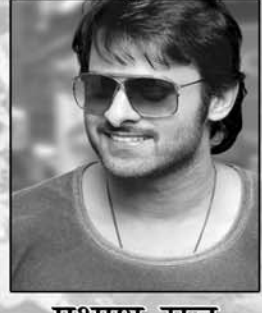

प्रभाश राजू
23 अक्टूबर 1979

रवीना टंडन
26 अक्टूबर 1974

अनुराधा पौडवाल
27 अक्टूबर 1954

सरदार वल्लभभाई पटेल
31 अक्टूबर 1875

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के भाजपा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दिन दयाल उपाध्याय के नेतृत्व में गठन किया था जहां सनातन धर्म एवं भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया था। पार्टी धीरे-धीरे आगे बढ़ी और अटल बिहार बाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित मुरली मनोहर जोशी के अथक परिश्रम से देश के सभी राज्यों में एक मजबूत टीम बनकर आगे बढ़ी। महज 02 सीट से केन्द्र में सरकार बनाने का सफर को सफलीभूत करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि पार्टियां आयेंगी-जायेंगी लेकिन यह देश रहना चाहिए लेकिन 2014 एवं 2019 में प्रचंड बहुमत (273) से सरकार बनाने वाली भाजपा एवं देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों ने 2026 में देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बना दी है। विश्व का यह पहला देश है जहां केश करने पर पैसा मिलता है। भले ही जिसपर प्राथमिकी दर्ज हुआ हो, वह निर्दोष हो या न हो। अयोध्या, मथुरा-काशी की धार्मिक राजनीतिक यात्रा को भाजपा ने अब आरक्षण, एससी/एसटी, यूजीसी 2026 पर भविष्य की राजनीति तय कर रहे हैं। पिछले 08 महीने से दिल्ली में विभिन्न आन्दोलन का दौर जारी है लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार को अपने जिद्द के सिवा देश के आंतरिक कलह का लाभ दुश्मन देश उठा न ले की चिंता के बजाय उनको पानी नहीं पीने दिया बगैरह-बगैरह की राजनीति करने में मशगूल हैं।

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

भाजपा

धर्म के बजाय जाति को बनाया मुद्दा

भारतीय जनसंघ ने डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा था और कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया था। पंडित नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया था, जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई थी। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। भारतीय जनता पार्टी का गठन 06 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। धर्म एवं राष्ट्रीयता की राजनीति को प्राथमिकता के साथ लेकर चलने की वजह से देश के भीतर भाजपा का दूसरा छवि हिन्दूवादी की बनी और कांग्रेस का चेहरा मुस्लिम की बनाने में कामयाब रही। 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस ''नेहरूवाद'' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। ज्ञात हो कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरु मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। गौरतलब है कि आरएसएस के कुछ स्वयंसेवकों ने भी इस प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया था कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतत: दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलत: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई थी। पार्टी के गठन के बाद अटल-आडवाणी और मुरली मनोहर के साथ मिलकर कट्टरवादी हिन्दू की राजनीति को बल देने के लिए **''अटल-आडवाणी केसरिया बना, हमको हिन्दू राष्ट्र बनाना''** के नारे के साथ-साथ जय श्री राम अयोध्या, मथुरा और काशी को मुख्य मुद्दा बनाकर हिन्दूओं को भाजपा के प्रति सोचने पर विवश कर दिया और साफ कर दिया कि भाजपा हिन्दूओं की पार्टी है और देश की जनता कांग्रेस से क्षुब्ध होकर भाजपा के पक्ष में गोलबंद होकर वोट करने लगी और 02 सीट वाली भाजपा की सरकार गठबंधन करके बनने लगी और अटल बिहारी बाजपेयी को प्रधानमंत्री का ताज मिला लेकिन गठबंधन की राजनीति ने महज एक सीट (स्व० राम विलास पासवान ने बाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था।) से बाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था। लगभग 6 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने नीतियों के साथ समझौता नहीं किया और प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग कर दिया लेकिन आज वर्त्तमान भाजपा हिन्दूवादी छवि से सरकार पर कब्जा करने के बाद वह खुद हिन्दू धर्म से भी बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, बताने में सीना ठोक रहे हैं। राम मंदिर की राजनीति से निकलकर एससी/एसटी तक जा पहुंचा। 2014 में कुछ नारा देकर जीत गये, 2019 में कुछ और नारा से जीत गये तथा 2024 में कुछ और नारा देकर सरकार बनाने में मोदी सरकार कामयाब हो गयी। विपक्ष जब हमलावर होता है तो नारे को जुमला था कहकर अमित शाह अगले चुनाव की तरफ बढ़ जाते हैं। 2026 में यूजीसी 2026 की कूटनीति करके 2027 का उत्तरप्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन जातिवाद को इस प्रकार हवा दिया जा रहा है जिससे देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बना दिया है। जब आरक्षण, एससी/एसटी और यूजीसी 2026 के गंभीरता को सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है। गौरतलब है कि देश का प्रधानमंत्री ही बदला लेगा की नहीं की कूटनीति कर रहा है तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन चुका है और कार्यकर्ता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चौकीदार ही जब हमलावर हो गया है वैसे में अपना स्वाभिमान बचाना चुनौतीपूर्ण है लेकिन यूजीसी 2026 काला कानून का विरोध देश स्तर पर इस प्रकार होगा जुमलाबाज को सोचने पर विवश कर रहा है। धर्म के बाद सीधे जातिवाद की राजनीति को राष्ट्रवाद से उपर हो जाना चिंता का विषय बन चुका है।

सितम्बर 2026

VIRAL!

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आप अपने संदेश हमारे ई-मेल पर एवं पत्र के जरीय भेज सकते हैं। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

अन्दर के पन्नों में

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 21	अंक:- 245	माह:- अक्टूबर 2026	मूल्य:- 20/- रू.

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

चंद्र शेखर कुमार 9931965035

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

गीतांजलि 9279599313, 8294636307

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

शंकरानंद ठाकुर 9971103281

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

श्रुति मिश्रा 8340360961

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०) :-		
(ग्रा०) :-		
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-		
:-		
गया (श०) :-		
(ग्रा०) :-	मो० सईद	6299169764
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9162664468
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-		
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-	रमेश कुमार	8298588504
जमुई :-	अजय कुमार	9430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :-	.	
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-		
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०) :-	रवि कुमार पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 38003315950
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :-
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140
मुकेश कुमार	9473038020

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	7766081555

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

दो गुटों में बिखरी पार्टी! जदयू में क्या सबकुछ है ऑल इज वेल?

23 अक्टूबर को आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए के साथ ही राजद-कांग्रेस समेत प्रशांत किशोर की जनसुराज भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। इस चुनाव को शह-मात की कवायद पर अनंत सिंह बनाम नीरज कुमार को देखा जा रहा है। विदित हो कि अनंत सिंह अपने समर्थक अनुज सिंह को जीत दिलाने को लेकर खुली जंग अपने ही दल जदयू को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अनंत और नीरज के बीच का विवाद ने जदयू को दो फाड़ कर डाला है। एक खेमा संजय झा का है, जो नीरज कुमार का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरा खेमा ललन सिंह का है, जो अनंत सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं। पार्टी के भीतर यह अंतर्कलह मुख्य रूप से नीतीश कुमार के उत्तराधिकार, एमएलसी चुनाव और शीर्ष नेताओं के बीच पावर गेम को लेकर है। वही दूसरी ओर नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और सक्रिय राजनीति से उनके धीरे-धीरे पीछे हटने की अटकलों के बीच पार्टी में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर पार्टी के भीतर दो फाड़ की स्थिति है। निशांत कुमार ने एमएलसी चुनाव में जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में खुलकर बयान दिया है, जिससे पार्टी की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक हो गई है। पार्टी के दो सबसे कद्दावर नेताओं, ललन सिंह और संजय झा के बीच संगठन और सरकार पर पकड़ बनाने को लेकर आंतरिक गुटबाजी चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश कुमार के कुछ हालिया फैसलों और प्रशासनिक फेरबदल के कारण ललन सिंह की प्रशासनिक पकड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई है। वहीं, संजय झा का कद राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जेडीयू का मुख्य आधार माना जाने वाला लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समाज के कुछ नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी के शीर्ष स्तर पर ललन सिंह और संजय झा जैसे सवर्ण नेताओं का दबदबा ज्यादा बढ़ गया है, जिससे उनके अपने वर्ग की अनदेखी हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदरूनी कलह पर चुप्पी उनकी पुरानी और परखी हुई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में वे अक्सर बड़े संकटों या विरोधाभासों के समय 'मौन' धारण कर लेते हैं। नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने के बजाय बंद कमरों में विवाद सुलझाने पर भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वे अपनी ही पार्टी में उठने वाले विरोधियों को सार्वजनिक चेतावनियों के बजाय सीधे फैसलों से झटका देते हैं। नीतीश कुमार का मौन रहना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि 'वेट एंड वॉच' की नीति है। फिलवक्त अनंत और नीरज प्रकरण में पार्टी के वरिष्ठ नेता मीडिया के सामने यह दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन धरातल पर अंतर्कलह साफ दिखाई दे रही है। इस अंतर्कलह के बीच जदयू में क्या सबकुछ 'ऑल इज वेल' है कि पड़ताल पर प्रस्तुत है संयुक्त संपादक अमित कुमार की राजनीतिक रिपोर्ट:-

विधान परिषद चुनाव की बिसात बिछ गई है और 23 अक्टूबर को मतदान होने हैं। विधान परिषद की आठ सीटों पर हार-जीत का निर्णय कुल 532847 मतदाता करेंगे। इनमें शिक्षक कोटे की चार सीटों के लिए 40253 मतदाता हैं और स्नातक श्रेणी की इतनी ही सीटों के लिए 492594 मतदाता। मंगलामुखी (थर्ड जेंडर) मतदाताओं की संख्या 37 है। इस श्रेणी में सर्वाधिक 20 मतदाता तिरहुत (स्नातक) सीट पर हैं। शिक्षक सीटों में से एकमात्र तिरहुत में ही तीन मंगलामुखी मतदाता हैं। बाकी तीन सीटों पर उनकी संख्या शून्य है। उल्लेखनीय है कि इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। दरअसल, शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों पर आम मतदाता वोट नहीं दे सकते। इसके लिए पात्र नागरिकों को हर बार विशेष रूप से आवेदन करके अपना नाम मतदाता-सूची में दर्ज कराना पड़ता है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, हर चुनाव से पहले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूची नए सिरे से तैयार होती है। पुरानी सूची का कोई भी डेटा स्वत: मान्य नहीं होता। बहरहाल स्नातक सीटों पर पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं की तुलना में तिगुनी से भी अधिक है। शिक्षक श्रेणी की सीटों पर यह अनुपात और अधिक बढ़ जाता है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता मात्र 23.78 प्रतिशत हैं। ऐसे में पटना (स्नातक) सीट पर जदयू के भीतर ही घमासान है। जदयू के नीरज कुमार हैट-ट्रिक लगाने की जुगत में हैं। लेकिन विधायक अनंत सिंह ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। अनंत का खुला समर्थन जन सुराज पार्टी के अनुज कुमार सिंह को है। यह चुनाव मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह के बागी तेवर से रोचक हो गया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह नीरज सिंह को चुनाव जीतने नहीं देंगे, चाहे भले ही उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़े। एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, जो नेता इसमें पड़ेगा, वह गलत है। अनंत सिंह ने कहा कि अगर पार्टी वालों को इस लड़ाई में पड़ना था, तो पहले क्यों नहीं पड़े। जब नीरज सिंह ने जदयू में रहते हुए 4 बार अनंत सिंह और 2 बार ललन सिंह के खिलाफ काम किया? उन्होंने कहा कि पार्टी को बेचैनी नहीं होनी चाहिए। हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनता है और ललन सिंह के वोट से प्रधानमंत्री, लेकिन नीरज सिंह ने हम दोनों का विरोध किया। ए.के.-47 केस और दुलारचंद के मर्डर केस में मुझे फंसाया। अनंत ने फिर चुनौती देते हुए कहा कि सरकार नार्को टेस्ट की मांग करे, दोनों पर मशीन लगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह (नीरज सिंह) हमारे साथ गलत करे और हम चुम्मा लें, ऐसा नहीं होगा। पार्टी रहे, चाहे जाये, वह पीछे नहीं हटेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए नीरज सिंह से ज्यादा काम किया है। नीरज सिंह ने गाली देने के शिवाय कुछ नहीं किया है। नीरज सिंह ने जनता के बीच पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने जेल भोगा है, गोली खाई है और नीतीश कुमार को चांदी के सिक्के से तौला। जबकि पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वह नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार को संवारने का काम किया। वही नीतीश से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। वह सिर्फ प्रणाम करके चले आए थे। इस दौरान थोड़ी देर तक बैठे थे। उन्होंने बताया कि ललन सिंह या पार्टी के किसी भी नेता से उनकी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि पार्टी के नेता उन्हें बुलाएं और बताएं कि नीरज सिंह क्या योगदान है और उनका क्या योगदान हैं। उन्होंने कहा कि आज

पार्टी ललन सिंह को झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी दे रही है, बड़े नेता जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? पार्टी वाले मंदिर में आकर कह दें कि नीरज सिंह ने अनंत सिंह से ज्यादा पार्टी में योगदान दिया है, तो वह मान जाएंगे।

गौरतलब हो कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर जदयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया है। वह जदयू प्रत्याशी नीरज के खिलाफ चुनाव में पूरी ताकत लगाने की बात पर कायम हैं। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भी वह लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके प्रति उनके मन में सम्मान है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है। यही वजह है कि वह व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। अनंत सिंह ने अपनी नालंदा और नवादा यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज प्रत्याशी अनुज के लिए समर्थन मांगने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिस तरह उनका स्वागत किया, उसे वह कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वह इस चुनाव में अनुज के समर्थन में सक्रिय रहेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि यह उनकी लड़ाई है, जदयू की लड़ाई नहीं है। पार्टी के लोग अगर इस मामले में पड़ते हैं तो गलत करते हैं। उन्होंने कहा कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में उनका चार बार विरोध किया था। सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय पार्टी के लोग कहां थे? अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने जदयू से कुछ कमाया नहीं है। उनके मुताबिक, पार्टी के लिए उनके योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने रुख में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया और नीरज के खिलाफ चुनाव में पूरी ताकत लगाने की बात दोहराई। वही अनंत सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उनसे किसी ने कोई बातचीत नहीं की है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी उनकी एक महीने से अधिक समय से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। अनंत सिंह के बयान से साफ है कि वह नीतीश कुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान और पटना स्नातक सीट पर जदयू प्रत्याशी नीरज के खिलाफ अपने राजनीतिक रुख को अलग-अलग रख रहे हैं। एक तरफ वह नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए श्रेय देते हुए उनके साथ व्यक्तिगत संबंध की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीरज के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की घोषणा कर रहे हैं।

विदित हो कि बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू के अंतर रार से सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी नीरज सिंह को हराने का बीड़ा उठाया है। इससे पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है। दोनों नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह से बात की थी। वही दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अनंत सिंह से बात की थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि अनंत सिंह की शिकायते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली थी, तब अनंत सिंह ने जदयू का साथ दिया और सरकार बचाई, लेकिन जब नीतीश कुमार के कहने पर अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा तो उनके खिलाफ काम किया गया। इसलिए अगर कोई कार्रवाई होती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भी होगी। ललन सिंह ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें फोन किया था। जिसके बाद उन्होंने अनंत सिंह से भी बात की। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे अब कोई सार्वजनिक बयान न दें। वे इस बात पर सहमत हो गए हैं और कहा है कि वे कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। दूसरी तरफ नीरज का विरोध कर रहे मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने दो टूक अंदाज में यह फिर कहा कि वह नीरज के लिए वोट नहीं मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अनंत सिंह से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। ललन सिंह ने कहा कि वैसे इस बात पर अनंत सहमत हो गए हैं कि इस

ललन सिंह एवं नीतीश कुमार

अनंत सिंह एवं ललन सिंह

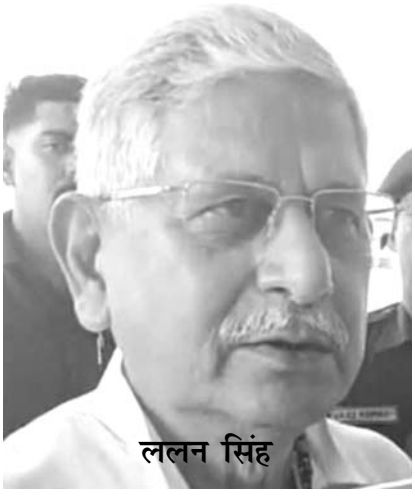
ललन सिंह

संजय झा

मामले में वह सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं देंगे, ताकि पार्टी का कोई अहित नहीं हो। वह जदयू में थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीरज और अनंत सिंह के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए ललन सिंह को कहा था। ललन ने कहा कि संजय झा ने उनसे बात की थी। हमने अनंत सिंह से बात की तो उन्होंने अपने कुछ मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब हमने मदद की थी। जदयू के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन इसलिए किया था कि वह नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। इसके बाद जब वह नीतीश कुमार से मिले तो उन्होंने खुद कहा कि आप मोकामा से चुनाव लड़िए। ललन ने कहा कि वह और संजय झा भी इसके गवाह हैं। अनंत ने ललन को कहा कि विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। यह भी सही है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। पार्टी की प्रदेश इकाई से तब चूक हो गई। पार्टी ने कुछ नहीं किया। जब विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई तब अनंत ने अपनी सभी शिकायतें रखीं पर उस पर कोई जवाब नहीं आया। उक्त बैठक में नीरज भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से जब अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद मामले में ललन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ''ललन बाबू को पार्टी ने जो कहा था, पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो कुछ हो सकता था, उन्होंने किया है. बस अभी इतना ही है''। संजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है। मैं भी नॉमिनेशन में दरभंगा और मुजफ्फरपुर में था। हमारे अलायंस के साथी भी मौजूद थे। दरअसल, नीरज कुमार के खिलाफ मोकामा के विधायक अनंत सिंह उतर आए हैं। जनसुरज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी के अंदर विवाद चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ललन सिंह से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीरज कुमार के साथ चल रहे विवाद मामले में अनंत सिंह से बातचीत की थी। फिर बयान दिया था कि अनंत सिंह के खिलाफ भी नीरज कुमार ने चुनाव में अभियान चलाया था। प्रदेश नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश नेतृत्व से यह चूक हुई थी। इसलिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही। हालांकि अब अनंत सिंह सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देंगे यह आश्वासन दिया है। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर अनंत सिंह के बागी तेवर ने जदयू की टेंशन बढ़ाई हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से सियासी पारा गरमा गया है। जेडीयू नेता अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच राजनीतिक मतभेदों पर बोलते हुए ललन सिंह ने ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है।

अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, नीतीश कुमार को समर्थन देती

उन्होंने कहा कि ***''क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होगी, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। दोनों हाथ को सटाना पड़ता है। जब उनके (अनंत सिंह) खिलाफ प्रचार हो रहा था, तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रदेश की पार्टी से ये चूक हुई''।*** ललन ने बताया कि अनंत सिंह का कहना है कि जब पिछली नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जनता दल (यूनाइटेड) के कई नेताओं ने अनंत सिंह से सरकार का समर्थन करने का अनुरोध किया था। जदयू नेताओं के अनुरोध पर अनंत सिंह ने सरकार का समर्थन किया, क्योंकि वे नीतीश जी को चाहते थे और उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि नीतीश जी की सरकार नहीं गिरनी चाहिए। ललन सिंह ने बताया कि नीतीश सरकार को समर्थन देने के बाद, जब अनंत सिंह नीतीश जी से मिलने गए, तो नीतीश जी ने खुद उनसे मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन जब अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा, तो उनके प्रचार के दौरान, उनके खिलाफ तरह-तरह

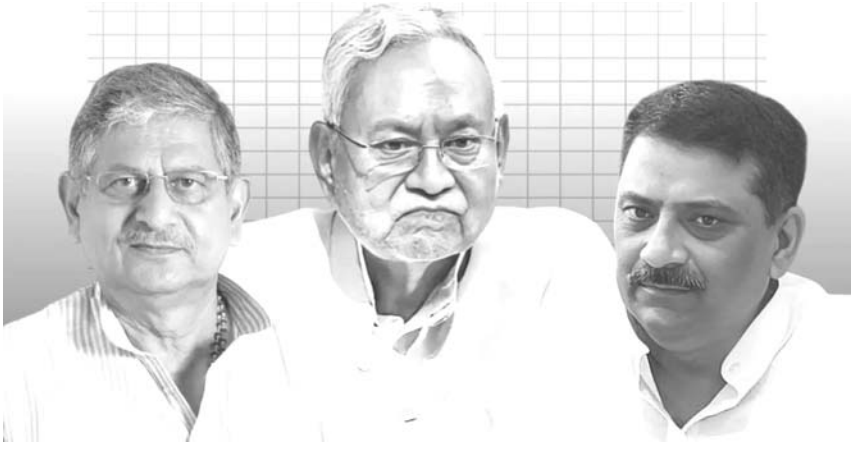

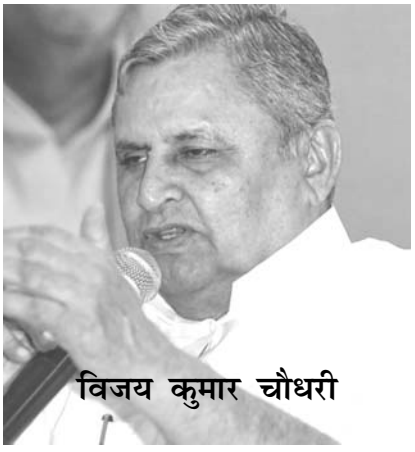

विजय कुमार चौधरी

की बातें कही जाने लगीं और अलग-अलग तरह का प्रचार किया गया। ललन सिंह का इशारा नीरज सिंह की तरफ था। ललन सिंह ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भी होगी। इसलिए, जब उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, तो पार्टी को उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस मामले में बिहार जदयू की ओर से चूक हुई। ललन सिंह ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें फोन किया था। जिसके बाद उन्होंने अनंत सिंह से भी बात की। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे अब कोई सार्वजनिक बयान न दें। वे इस बात पर सहमत हो गए हैं और कहा है कि वे कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।

बहरहाल, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच ललन सिंह ने जिस प्रकार से बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ी हुई है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जेडीयू में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पहली बार नीतीश इतने बेबस नजर आ रहे हैं। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद यह मामला और तूल पकड़ सकता है। बता दें कि अनंत सिंह को मनाने की बजाय ललन सिंह ने जो बयान दिया है, उससे उनके बगावती तेवर साफ दिख रहे हैं। नीरज कुमार का विरोध और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह के लिए अनंत सिंह का प्रचार करना भले ही ललन सिंह को अटपटा नहीं लगता हो लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि अनंत सिंह गलत काम कर रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के साथ बातचीत के बाद ललन सिंह को जिम्मेदारी दी थी लेकिन ललन सिंह ने अनंत सिंह से बातचीत के बाद नीरज कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया है। संभवत: उमेश कुशवाहा के बयान से भी ललन सिंह खफा हैं। दिगर बात है कि ललन सिंह के बगावती तेवर का नतीजा जेडीयू के शीर्ष नेताओं को बखूबी पता है। शायद यही वजह है कि ललन के बयान के बाद पार्टी में खामोशी छा गई है। कल तक अनंत सिंह पर बोलने वाले नेता अब बोलने से बच रहे हैं। वहीं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी फिलहाल विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए बचाव में यह बयान दे दिया कि ललन सिंह ने पार्टी हित में जो संभव था, वह किया। ऐसे में सवाल है कि ललन सिंह एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार के लिए प्रचार करेंगे या नहीं? इस सवाल पर जेडीयू खुलकर बोलने से बच रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी कहते हैं, 'चुनाव प्रचार में कौन जाएगा नहीं जाएगा, यह पार्टी तय करेगी। आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मैं जाऊंगा कि नहीं'।

सर्वविदित है कि यह पहला मौका नहीं है, जब ललन सिंह ने तेवर कड़े किए हैं। आरसीपी सिंह के साथ ललन सिंह का विवाद किसी से छिपा नहीं है। उससे पहले नीतीश कुमार के साथ भी जब एक बार विवाद हुआ तो उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया था, बाद में फिर से पार्टी में उनकी वापसी हुई। आरसीपी सिंह के जाने के बाद 29 दिसंबर 2023 को ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। चर्चा थी कि उन पर नीतीश कुमार का दबाव है। वहीं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कहा था, 'लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में संगठन का काम ठीक से नहीं देख पाएंगे। दो जिम्मेदारी निभाना उनके लिए संभव नहीं होगा'। हालांकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई और वह जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाये गए। इसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बाद में उन्होंने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सब ठीक चल रहा था लेकिन इस

ललन सिंह

आर.सी.पी. सिंह

साल नीतीश ने अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। इसके साथ नीतीश के बेटे निशांत की पार्टी में एंट्री हो गई है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। निशांत को पार्टी का भविष्य बताया जा रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि पार्टी में तमाम बड़े फैसले संजय झा लेते हैं। इस वजह से खेमेबाजी का भी खूब जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जेडीयू विधानमंडल दल की अहम बैठक हुई थी। जिसमें कुछ विधायकों ने ललन सिंह के नहीं आने पर सवाल उठाए थे। इसे भी गुटबाजी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि वह बैठक संजय झा की पहल पर ही आयोजित की गई थी। हालांकि बाद में ये सफाई दी गई कि बैठक विधायक और विधान पार्षदों को विधायकी कार्यों के प्रशिक्षण के लिए थी। असल में लड़ाई जेडीयू के अंदर वर्चस्व की है। संजय झा और ललन सिंह के बीच द्वंद युद्ध चल रहा है। संजय झा भी केंद्र में मंत्री बनना चाह रहे हैं, जबकि ललन सिंह उनको केंद्र में मंत्री बनने नहीं देंगे। ललन सिंह ऐसे नेता हैं, जिनके बारे में अनुमान लगाना आसान नहीं है। कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसका विरोध कर देंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री थे और ललन सिंह को उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ, किसी से छिपा नहीं है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आता है, वह खुद केंद्र में मंत्री बनना चाहता है। पहले आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने, फिर ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो खुद मंत्री बन गए। अब संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वह भी केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं। असली लड़ाई इसी को लेकर है। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद या मामला और तूल पकड़ेगा, यह तय है। क्योंकि जेडीयू नेतृत्व की ओर से ललन सिंह को अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जो विवाद चल रहा था, उसे सुलझाने के लिए कहा गया था लेकिन ललन सिंह का जिस प्रकार से बयान आया अनंत सिंह के पक्षकार के रूप में दिख रहे थे। अनंत सिंह का बचाव करते हुए नीरज कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सबको पता है कि संजय झा और ललन सिंह के नाम पर पार्टी में पावर की लड़ाई चल रही है और पहली बार नीतीश कुमार बेबस नजर आ रहे हैं। अब चूकि बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट जेडीयू के लिहाजा से अच्छा रहा तो निशांत कुमार के साथ संजय झा की स्थिति पार्टी में मजबूत होगी लेकिन यदि नतीजे खराब हुए तो निशांत और संजय झा पर सवाल उठेगा और इस मौके को ललन सिंह जाया नहीं होने देंगे।

बहरहाल, बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा विवाद चर्चा में है, जिसकी शुरुआत पटना स्नातक सीट के एमएलसी चुनाव से हुई, लेकिन इसके असर की चर्चा जेडीयू के भीतर के पावर बैलेंस तक पहुंच गई है। एक तरफ मोकामा विधायक अनंत सिंह हैं, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का एलान किया। दूसरी तरफ नीरज कुमार हैं, जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन हासिल है। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दोनों के बीच मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी बीच निशांत कुमार नीरज के समर्थन में सामने आए।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ दो नेताओं की चुनावी अदावत है या जेडीयू के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरण की झलक भी इसमें दिखाई दे रही है? विवाद के बीच निशांत कुमार का नीरज कुमार के समर्थन में सामने आना इस घटनाक्रम का नया पहलू है। निशांत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार को जिताने की अपील की। दूसरी ओर अनंत सिंह के रुख और उनके साथ ललन सिंह की सार्वजनिक बातचीत ने अलग राजनीतिक संकेतों को जन्म दिया। हालांकि, इन घटनाओं को सीधे जेडीयू के दो औपचारिक गुटों के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। अनंत और नीरज दोनों जेडीयू से जुड़े हैं, इसलिए पार्टी के लिए यह विवाद चुनावी मैदान में असहज स्थिति पैदा कर सकता था। ऐसे में संजय झा ने विवाद सुलझाने के लिए ललन सिंह को आगे किया। ललन की राजनीतिक भूमिका और संबंधित क्षेत्र में उनकी पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मध्यस्थ बनाया। दिलचस्प यह है कि इसके बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं मिले और अनंत सिंह के रुख को लेकर चर्चा बनी रही। पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखें तो तस्वीर में कई किरदार नजर आते हैं-अनंत सिंह, नीरज कुमार, ललन सिंह, संजय झा और निशांत कुमार। इसी वजह से यह विवाद अब केवल पटना स्नातक सीट का चुनावी टकराव नहीं रह गया है। जेडीयू के भीतर नेतृत्व और प्रभाव के बदलते समीकरणों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी के भीतर औपचारिक रूप से दो गुट बनने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ज्यादा सटीक सवाल यही है कि अनंत-नीरज विवाद के बहाने जेडीयू के अंदर कौन से राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में उनका असर कितना दिखाई देगा। वही अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच शुरू हुआ विवाद फिलहाल पार्टी के भीतर सुलह की कोशिशों के बीच है। ललन सिंह की मध्यस्थता और नीरज के समर्थन में निशांत कुमार की सक्रियता ने कहानी में नया राजनीतिक कोण जरूर जोड़ दिया है। लेकिन इसे जेडीयू में दो फाड़ का अंतिम प्रमाण मानना अभी उचित नहीं होगा। असली तस्वीर तब साफ होगी, जब जेडीयू चुनाव का विवाद पूरी तरह शांत होगा और पार्टी के भीतर इन नेताओं की भूमिकाएं आगे किस तरह आकार लेती हैं।

बिडम्बना है कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के अंदर का विवाद सतह पर आ गया है। जेडीयू में अनंत सिंह को मनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी इस मामले में लगाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी कह रहे हैं कि पार्टी के संज्ञान में है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा लेकिन इन सब का कोई असर अनंत सिंह पर नहीं पड़ नहीं रहा है। वैसे में पूरी पार्टी नीरज कुमार के साथ खड़ी है। अनंत सिंह को मनाने के लिए पिछले दिनों जेडीयू कार्यालय में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल हुए थे लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह नहीं माने। विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और तीनों जिलों के जनप्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल हुए थे। जेडीयू के नेता अनंत सिंह के विरोध से होने वाले डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। पटना स्नातक विधानसभा क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा जिले के वोटर शामिल हैं। तीनों जिला की जेडीयू की टीम लगातार बैठक कर नीरज कुमार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, जिला अध्यक्ष नीरज कुमार की जीत का दावा तो करते हैं लेकिन अनंत सिंह के बारे में चर्चा करने से बच रहे हैं। दरअसल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 88000 वोटर हैं। तीन जिले पटना, नवादा और नालंदा के अंतर्गत 26 विधानसभा क्षेत्र के वोटर इसमें शामिल होते हैं। अनंत सिंह पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जेल में रहकर भी चुनाव जीत रहे हैं। पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र आतें हैं। वहीं नवादा में भी अनंत सिंह का प्रभाव है, जहां पांच विधानसभा क्षेत्र है। नालंदा जिले में सात विधानसभा क्षेत्र है। पटना और नवादा में अनंत सिंह का जबरदस्त प्रभाव है। वैसे नीरज कुमार भी लगातार तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं। कभी वह अनंत सिंह के लिए भी

नीरज सिंह
जेडीयू

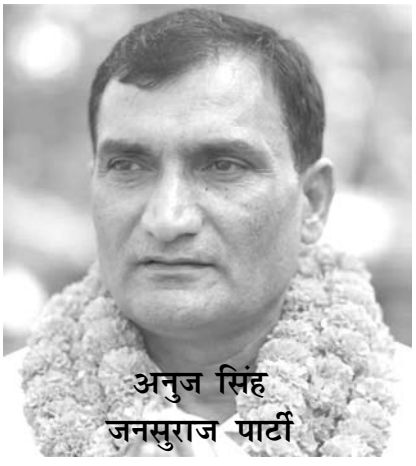

अनुज सिंह
जनसुराज पार्टी

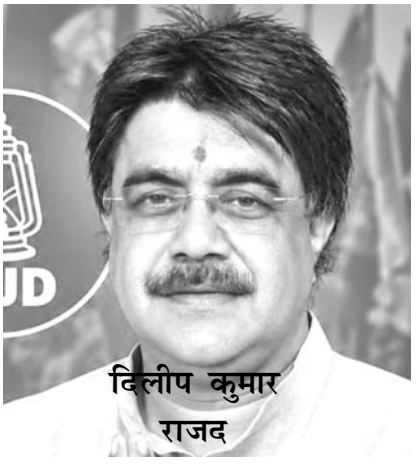

दिलीप कुमार
राजद

चुनाव प्रचार कर चुके हैं लेकिन 2015 में अनंत सिंह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उसी के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हैं। दोनों के बीच बयानबाजी भी खूब होती रहती है। नीरज कुमार ने पहली बार साल 2002 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा था लेकिन तब उन्हें आरजेडी के आजाद गांधी से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2008 में उन्होंने आजाद गांधी को 5,026 वोटों से हराकर पहली जीत दर्ज की थी। वे साल 2014 में भी विजयी रहे, फिर 2020 में आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। अब वे पांचवीं बार चुनावी मैदान में हैं लेकिन इस बार पार्टी के विधायक अनंत सिंह ही उनके राह में सबसे बड़ी रोड़ा खड़ा कर रहे हैं। सनद् रहे कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट अति पिछड़ा वर्ग का है, जो 25000 के आसपास है। लव-कुश का वोट भी 15000 के करीब है। आरजेडी ने कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को मैदान में उतारकर नीरज कुमार के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। वैसे नीतीश कुमार और निशांत कुमार के नाम पर कुर्मी वोट का बंटवारा होगा, इसकी संभावना कम है। वहीं भूमिहार जाति के 15000 वोट हैं। इसी वोट पर सबकी नजर है।

जेडीयू के नीरज सिंह और जन सुराज के अनुज सिंह भी इसी जाति से आते हैं। एनडीए की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लेकिन अनंत सिंह ही एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनंत सिंह मोकामा और आसपास के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। भूमिहार वोट के साथ अन्य वर्गों के वोट को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसका भी डर जेडीयू नेताओं को है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि जेडीयू के अंदर जो लड़ाई है, वह खुलकर सतह पर आ गया है। पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के कमजोर होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। जेडीयू में कई गुट बन गया है और सभी अपना-अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। इसी का नतीजा है कि विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

विदित है कि मोकामा विधायक अनंत सिंह के जन सुराज के मंच पर नजर आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हैं। पटना स्नातक सीट से जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में अनंत सिंह खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वह जल्द जन सुराज का हिस्सा बनने वाले हैं? अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस सवाल पर पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह फिलहाल पार्टी में नहीं हैं। अगर वह खुद जन सुराज में आने का ऐलान करते हैं, तब पार्टी इस पर फैसला करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हजारों लोग जन सुराज का समर्थन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देना जरूरी नहीं कि उसके पार्टी में शामिल होने का संकेत हो। अनंत सिंह ने भी फिलहाल जन सुराज की सदस्यता लेने की घोषणा नहीं की है। ऐसे में उनके अनुज सिंह के समर्थन को पार्टी में औपचारिक एंट्री से अलग देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर को अनंत सिंह अनुज सिंह के नामांकन जुलूस में भी शामिल हुए थे। वह खुली जीप में नजर आए और जन सुराज के पीले गमछे के साथ समर्थन का संदेश दिया। अनंत सिंह के समर्थन और बाहुबली नेताओं को लेकर सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की राजनीति मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने रोजगार, शिक्षकों के सम्मान और सातवें वेतनमान जैसे मुद्दों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा कि इन मुद्दों के समर्थन में जो भी खड़ा है, वह जन सुराज के

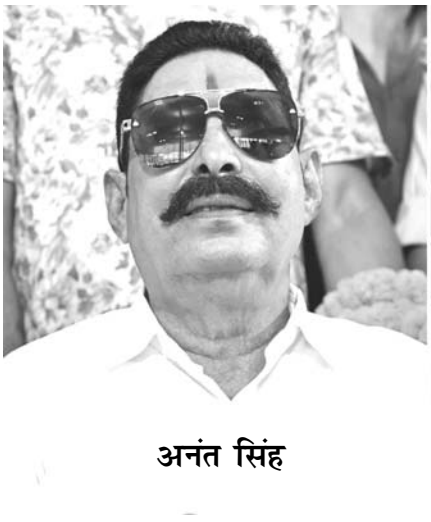

अनंत सिंह

नीरज सिंह

उमेश कुशवाहा

साथ जुड़ सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहचान से ज्यादा पार्टी के लिए उसके समर्थन और मुद्दों की अहमियत है। बता दे कि अनंत सिंह ने सिर्फ बयान से ही नहीं, बल्कि चुनावी गतिविधियों में भी जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का खुलकर साथ दिया है। उनके नामांकन के दौरान वह जुलूस में शामिल हुए और 50 हजार रसगुल्ले बांटने की बात भी सामने आई। इसके बाद अनुज सिंह के समर्थन में उनकी सक्रियता और बढ़ी है। ऐसे में अब सियासी सवाल यही है कि अनंत सिंह का यह समर्थन सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा या आगे चलकर जन सुराज से उनके रिश्ते को नया राजनीतिक रूप मिलेगा।

बहरहाल, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर की खींचतान लगातार चर्चा में है। मोकामा विधायक अनंत सिंह और जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उमेश कुशवाहा ने साफ कहा कि पार्टी में जो कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं है। हालांकि, उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले पर नजर रख रहा है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी इस मामले पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर स्थिति की जानकारी नेतृत्व को है। आगे क्या कदम उठाना है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। वही कहने को तो किंतु परन्तु के दायरे में जदयू नेतृत्व एक अलग दुनिया गढ़ने में हैं। लेकिन इस सच से इनकार करना कम मुश्किल नहीं कि नीतीश के घर में सब कुछ ठीक ठाक है? पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा हुआ है उस और इशारा करता है कि जदयू के भीतर छुपम छुपाई का खेल चल रहा है। इस खेल में कौन किसे शह और मात दे रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाल ही के दिन प्रबोधन कार्यक्रम के दिन जो कुछ भी हुआ

और इस प्रबोधन कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जो कुछ भी कहा वह भी किसी खेल की तरफ इशारा करते दिखा। जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं जैसे सवालों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अतीत से वर्तमान तक की तार जोड़ते कहते हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। जदयू एकजुट है। 1994 में नीतीश कुमार ने जब समता पार्टी का गठन किया था, तब से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आपसी सहमति और आपसी विचार विमर्श से पार्टी चलती है। आज भी यह परंपरा चल रही है। सभी नेता एकमत हैं। पर बोलते बोलते यह भी कह गए कि प्रबोधन कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। सवाल उठता है कि ललन सिंह केवल केंद्रीय मंत्री नहीं है। वे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं फिर भी उन्हें उस प्रबोधन कार्यक्रम की जानकारी नहीं जहां 85 विधायकों को संविधान में मिले अधिकार को जनहित में किसे प्रयोग करना है? कैसे अपने आचरण और व्यवहार से सदन का ध्यान आकृष्ट करते है? ऐसे कार्यक्रम से नीतीश कुमार के बाद पार्टी के सबसे अनुभवी ललन सिंह को ही महरूम रखा गया, यह कम नहीं है कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह प्रबोधन बैठक में नहीं हैं और इस कार्यक्रम की सूचना तक नहीं है, इस बात को लेकर कई विधायकों में नाराजगी थी। विधायक रामानंद मंडल, नचिकेता मंडल, शालिनी मिश्रा सहित कई विधायकों ने प्रबोधन बैठक में ही सवाल उठाए। वे खुद भी पत्रकारों से कहते हैं कि विधायकों ने अपनी नाराजगी फोन से भी जताई। फिर भी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन बोलते हैं कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बरकरार है तो

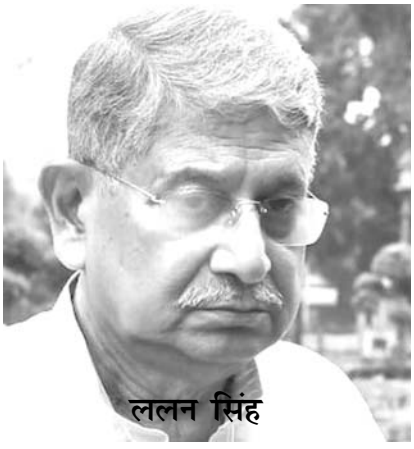
ललन सिंह

बात ही अलग है। मोकामा विधायक अनंत सिंह इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि नीरज कुमार पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। उनका चुनाव चिह्न तीर नहीं है। यह वे तब कह रहे हैं जब नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने जदयू की बैठक में उनसे मतभेद दूर करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी इस संबंध में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। यह भी संदेश अनंत सिंह तक पहुंचाया गया। बावजूद अनंत सिंह का अड़ा रहना और पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई न होना भी यह बताता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। वह भी तब जब हाल ही में अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह के मामूली विरोध के बाद पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव पद से भी हटा दिया गया। स्थिति तो असमंजस वाली तब हुई जब एक स्थान पर नीतीश कुमार और छोटू सिंह आमने-सामने हुए। पर नीतीश कुमार के भाव में कोई अंतर नहीं दिखा। उनके आव भाव से यह लगा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि छोटू सिंह अब पार्टी में नहीं है। जनता दल यू की खासियत एक अनुशासित पार्टी की रही है। नीतीश कुमार इस तरह का आचरण पसंद नहीं करते जो अनंत सिंह और नीरज कुमार सार्वजनिक स्थल पर कर रहे हैं। जदयू के अंदर इस संदर्भ में बैठक भी हुई पर

निशांत कुमार

उस बैठक के बाद अनंत सिंह का प्रतिकार नीरज कुमार के प्रति बढ़ ही गया। एक दूसरे को कोर्ट और मंदिर में चुनौती दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रबोधन कार्यक्रम में ललन सिंह नहीं आए यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं है, यह बड़ी बात तो है और इसे ललन सिंह ने खुद स्वीकार किया। और इतनी राजनीतिक समझ तो है कि उस बैठक में ललन सिंह के समर्थन में अगर सवाल उठाते हैं तो यह गुटबाजी नहीं तो और क्या है? यह कहना गलत नहीं कि जदयू अब नीतीश कुमार के सक्रिय कार्यकाल वाली पार्टी तो नहीं।

गौरतलब है कि निशांत ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ नीरज कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि यह चुनाव हमारे पिता नीतीश कुमार के 20 सालों के काम का धन्यवाद देने के तौर पर होगा। नीरज कुमार हमारे पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लिहाजा उनको मिलकर जिताएं। निशांत ने कहा कि ''एनडीए के सभी घटक दल नीरज कुमार के साथ हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि नीरज कुमार को भारी मतों से जीताएं। वह समाजवादी हैं, समता पार्टी के समय से ही जुड़े हैं। पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और मंत्री भी रहे हैं। तीन बार से नीरज कुमार विधान पार्षद रहे हैं''। हालांकि अनंत सिंह के बागी तेवर अपनाने के मामले में निशांत ने कुछ भी नहीं बोला। वही विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अनंत सिंह का मामला सुलझाने के लिए दिया है। अभी तक क्या हुआ है, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब तक फाइनल बात नहीं हो जाती, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर बोल पाना ठीक नहीं है। वही पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि अनंत सिंह के विरोधी दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने से क्या जेडीयू को नुकसान नहीं होगा? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि नुकसान होगा तो फायदा भी होगा। फिर पूछा गया कि अनंत पर एक्शन क्यों नहीं लेते? इस पर जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण

कुमार ने कहा कि मामला जरूर विधायक दल का है लेकिन पूरे मामले को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह देख रहे हैं। ऐसे में जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना करना उचित नहीं होगा। फिर पूछने पर कि क्या निशांत के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पहले भी जेडीयू को मिटाने की कोशिश बहुत लोगों ने किया है। लोकसभा चुनाव में जदयू ने 12 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में भी 85 सीट जेडीयू को आया। पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का विषय बनाया गया। बता दें कि बिहार में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण कई नेताओं पर कार्रवाई हुई है। दिग्गज नेताओं से लेकर पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई है। अभी हाल में नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष और जदयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर कार्रवाई की गई थी। सिवान के एक जदयू नेत्री पर इसलिए कार्रवाई कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद में शामिल अपने पति की आरती उतार रही थी। वहीं, दिग्गज नेताओं की बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शरद यादव से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह तक पर कार्रवाई की गई है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया लेकिन अनंत सिंह के मामले में पार्टी के नेता कुछ भी करने से लाचार दिख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के साथ इस मामले पर बैठक भी की थी और उसके बाद ललन सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन ललन सिंह ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि दो लोगों के झगड़े के बीच मैं नहीं पड़ता हूं। बिना नाम लिए कहा यदि दोनों तैयार होंगे तो मैं पंचायती जरूर कर दूंगा। साफ है कि एक तरह

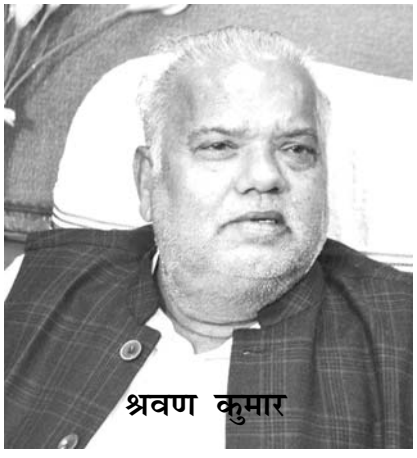
श्रवण कुमार

से ललन सिंह ने भी पल्ला झाड़ लिया। अनंत सिंह जिस प्रकार से अनुज सिंह के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, यह पार्टी विरोधी गतिविधि है लेकिन अनंत सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए ही पार्टी कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य के लिहाज से गलत संदेश जरूर जाएगा। हालांकि अनंत सिंह पहले भी अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े हो या आरजेडी से जीतते रहे हैं या फिर अपने उम्मीदवार को जिताते रहे हैं लेकिन विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का चुनाव आम चुनाव नहीं होता है। इसमें सीमित वोटर होते हैं, इसलिए इस तरह के चुनाव प्रचार से भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन जदयू के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना एक गलत मैसेज जा रहा है।

बिडम्बना देखिए कि विधान परिषद के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जदयू विधान पार्षद नीरज के खिलाफ सक्रिय और बागी बने जदयू विधायक अनंत सिंह को घेरने के लिए जदयू तथ्यों को सार्वजनिक किया जा रहा है। वहीं, अनंत ने यह कहा है कि अगर इस बारे में नीतीश कुमार उनसे कुछ कहते, तो वह मान जाते। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पिछले दिनों इस विवाद पर कहा था कि इसे सुलझाने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दिया गया है। ललन सिंह इस प्रकरण में पंच की भूमिका में खुद की सहभागिता से सार्वजनिक तौरपर इनकार कर चुके हैं। वहीं, अनंत का नया बयान यह है कि इस बारे में उनकी ललन सिंह से कोई बात नहीं हुई है। जिस समय पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं की थी, उसी समय अनंत ने कहा था कि वह नीरज को हराएंगे, यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होता है। वह खुलकर जनसुराज प्रत्याशी के नामांकन को निकले जुलूस में शामिल हुए और जनसंपर्क भी जोरदार तरीके से कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ एक दिन पहले जदयू ने इस प्रकरण को नया एंगल दे दिया। नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी नीरज को पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का प्रपत्र दे दिया। यह तस्वीर जारी की गयी। जदयू अब अनंत को इस प्रपत्र के माध्यम से घेरना आरंभ किया है। यह कहा जा रहा कि अब तो नीतीश कुमार की स्वीकृति सार्वजनिक है। ऐसे में जदयू प्रत्याशी का विरोध करना पार्टी विरोधी गतिविधि में आएगा। अनंत सिंह, नीतीश कुमार की बात कर रहे। इस पर जदयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने खुद नीरज को प्रपत्र दिया है। इस पूरे प्रकरण में मोकामा के जदयू विधायक अपने स्टैंड पर अडिग हैं। ऐसे में यह तय है कि इस मसले पर मोकामा विधायक को जदयू की अनुशासन कमेटी तलब कर सकती है। वैसे मोकामा विधायक पहले ही सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव वह नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके पुत्र मैदान में होंगे।

संजय झा

गौरतलब है कि बिहार की सियासत में इन दिनों जेडीयू के अंदर की खींचतान एक बार फिर चर्चा में है। सवाल अनंत सिंह को लेकर है, लेकिन इसके बहाने पार्टी के भीतर नेतृत्व और फैसले लेने की ताकत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनंत सिंह और ललन सिंह की जोड़ी के सामने जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है? 5 अक्टूबर को जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के विवाद को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासी हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्या हो रही है। ललन सिंह ने अपने बयान में ये कहा कि उन्होंने अनंत सिंह को समझाया है कि पार्टी से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बयान देने से बचें और अनंत सिंह इस बात के लिए मान गए हैं। ललन सिंह के इस बयान को समझिए, इसका मतलब ये है कि एमएलसी चुनाव में बगावत पर अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ललन सिंह के बयान का एक मतलब ये भी है कि अनंत सिंह को पार्टी की तरफ से अपने मन की करने के लिए पूरी छूट मिल गई है। यानी अनंत सिंह जनसुराज का समर्थन करें, जन सुराज का प्रचार करें, अनुज सिंह का समर्थन करें लेकिन चुपचाप, मीडिया में कोई बयान ना दें। वही ललन सिंह ने अपने बयान में नीरज कुमार का जिक्र किए बगैर ये भी कहा था कि, जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती बताया। अब इसी बयान का राजनीतिक मतलब तलाशा जा रहा है। आखिर ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती क्यों बताया? राष्ट्रीय नेतृत्व का जिक्र क्यों नहीं किया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने का सीधा मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाना हो सकता है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व का जिक्र करना ललन सिंह की सियासी बुद्धिमानी को परिभाषित करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान संजय झा ही प्रदेश जदयू का नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों पर उनकी नजर थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व की गलती बताकर ललन सिंह ने इशारों में संजय झा पर निशाना साधा है। वही 5 अक्टूबर को जब ललन सिंह ने नीरज और अनंत सिंह विवाद पर मीडिया में बयान दिया उसके ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई। जाहिर है, करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक में ललन सिंह ने अनंत सिंह से की गई बाचतीत का जिक्र किया होगा। उस बैठक के बाद ललन सिंह ने मीडिया में बयान देकर साफ कर दिया कि अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ललन सिंह पर कार्रवाई नहीं करने और सार्वजनिक बयान दिए बगैर अनुज सिंह के लिए प्रचार करने की हरी झंडी नीतीश कुमार की तरफ से मिल गई है। 6 अक्टूबर को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के बयान भी सामने आए। संजय झा ने ललन सिंह के बयान पर बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने

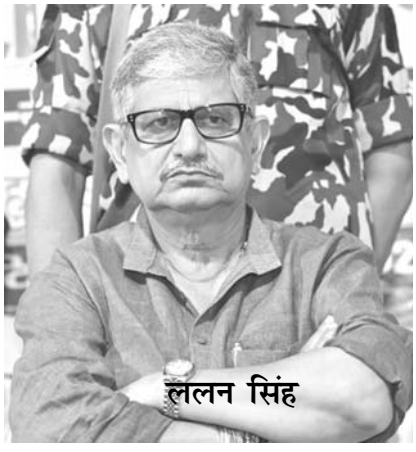
ललन सिंह

कहा कि ललन सिंह ने पार्टी के हित में काम किया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कुछ सेकेंड के इस बयान के बाद संजय झा वहां से निकल गए। दूसरी तरफ विजय चौधरी ने भी ललन सिंह के बयान पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय गोल-मोल जवाब दिया। इसका मतलब क्या है, क्या इसे संजय झा और पार्टी के दूसरे नेताओं का ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी के आगे सरेंडर माना जाए? जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है जिसमें अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई हो। यही वजह है कि ललन सिंह के बयान के बाद पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। क्या अनंत सिंह के आगे जेडीयू ने हथियार डाल दिए हैं? क्या ललन सिंह के बयान ने पार्टी की अंदरूनी तस्वीर साफ कर दी है? और क्या संजय झा समेत दूसरे बड़े नेता अब इस मुद्दे पर टकराव से बच रहे हैं? बिहार की सियासत में फिलहाल यही सवाल चर्चा के केंद्र में हैं।

बहरहाल, जदयू में इतना कुछ हो रहा है और नीतीश कुमार फिर से मौनी बाबा बने बैठे हैं, पर क्यों? हाल ही में जदयू के विधायकों की

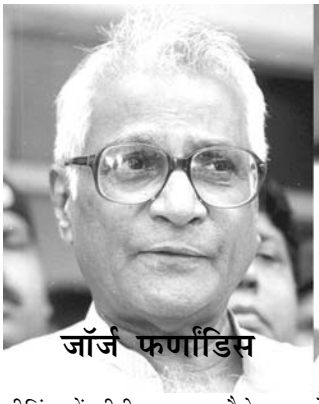
जॉर्ज फर्णांडिस

शरद यादव

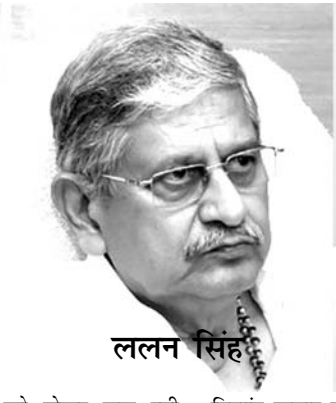
ललन सिंह

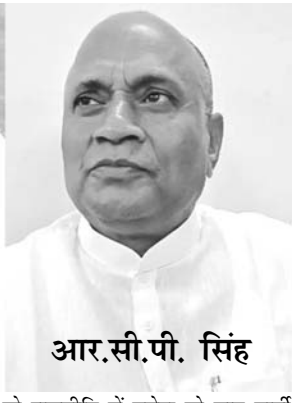
आर.सी.पी. सिंह

मीटिंग में नीतीश कुमार वैसे रूप में दिखे थे, मानों 2005 के नीतीश कुमार हैं और जेडीयू अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि मैं फिर से आउंगा। उनके इस बयान से जदयू नेताओं में खुशी की लहर दिखी थी किंतु अनंत और नीरज से शुरू हुआ विवाद ललन सिंह और संजय झा के दो गुटों में होने के बीच आपातकाल की स्थिति में गुजर रही जेडीयू के लिए नीतीश कुमार का चुप रहना क्या मायने रखता है? तो बता दें कि नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदरूनी कलह पर चुप्पी उनकी पुरानी और परखी हुई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में वे अक्सर बड़े संकटों या विरोधाभासों के समय 'मौन' धारण कर लेते हैं। नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने के बजाय बंद कमरों में विवाद सुलझाने पर भरोसा करते हैं। हाल ही में अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच खुलकर शुरू हुई जुबानी जंग के बाद उन्होंने मीडिया में कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन पर्दे के पीछे वे लगातार डैमेज कंट्रोल के लिए कोर ग्रुप की बैठकें कर रहे हैं ताकि पार्टी में दरार और गहरी न हो। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वे अपनी ही पार्टी में उठने वाले विरोधियों को सार्वजनिक चेतावनियों के बजाय सीधे फैसलों से झटका देते हैं। अतीत में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और फिर आरसीपी सिंह और ललन सिंह के मामलों में भी उन्होंने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी थी और बाद में संगठन में बड़े फेरबदल कर दिए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ललन सिंह और संजय झा जैसे बड़े नेताओं के बीच चल रहे शीतयुद्ध और हालिया सांगठनिक फेरबदल को लेकर नीतीश कुमार फिलहाल किसी एक पक्ष में खड़े दिखना नहीं चाहते। किसी भी बयान से पार्टी के भीतर का पावर गेम और ज्यादा असंतुलित हो सकता है। बिहार में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और भविष्य के नेतृत्व (जैसे अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार के चेहरे पर सीधे हामी भरने से टालना) को लेकर चल रही खींचतान के बीच नीतीश कुमार का मौन एक रणनीतिक दबाव की तरह भी देखा जाता है। वे अपनी चुप्पी से गठबंधन सहयोगियों और अपनी पार्टी के बागी सुरों दोनों को एक साथ संदेश देते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर जो बहस छिड़ी है, उस पर नीतीश कुमार ने खुद को पूरी तरह दूर रखा है। पार्टी के कुछ नेता उनके बेटे निशांत कुमार को आगे करने की वकालत कर रहे हैं, जिस पर पिता के तौर पर और एक राजनेता के रूप में भी वे फिलहाल तुरंत कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाना चाहते। जेडीयू के भीतर चल रहे अंतर्कलह और वर्चस्व की जंग पर पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार की चुप्पी उनके पुराने राजनीतिक रणनीतियों और हालिया संगठनात्मक बदलावों का हिस्सा मानी जा रही है। नीतीश कुमार का यह पुराना इतिहास रहा है कि जब भी पार्टी के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक संकट या नेताओं के बीच आपसी टकराव बढ़ता है, तो वे सीधे तौर पर सार्वजनिक बयान देने से बचते हैं। हाल ही में उनके मुख्यमंत्री पद से हटने और उनके पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश के बाद पार्टी के भीतर नए पावर सेंटर को लेकर खींचतान चल रही है। नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से चुप रहकर पर्दे के पीछे से ही पूरी स्थिति को नियंत्रित करना बेहतर समझते हैं। वही पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह में सबसे बड़ी चर्चा वरिष्ठ नेता ललन सिंह और उनके करीबियों के घटते प्रभाव को लेकर है। एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के प्रशासनिक फैसलों और 'नीतीश संवाद' अभियान तक में ललन सिंह की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अब संगठन की मुख्य कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात का संकेत है कि इन सांगठनिक बदलावों को उनकी मौन सहमति प्राप्त है। नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर हमेशा यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पार्टी में कोई बड़ी फूट नहीं है। यदि वे किसी अंतर्कलह पर खुलकर बोलेंगे, तो इससे विपक्ष को जेडीयू में बड़ी बगावत का दावा करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए, वे विवादों को तूल देने के बजाय खुद को उनसे दूर दिखाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की चुप्पी उनके विरोधियों और गठबंधन सहयोगियों दोनों के लिए एक सस्पेंस का काम करती है। जब तक वे किसी मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं करते, तब तक पार्टी के अंदर बगावत करने वाले नेता भी सीधे तौर पर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने से हिचकिचाते हैं। संक्षेप में, नीतीश कुमार की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि जेडीयू के भीतर नए समीकरणों को सेट करने और पार्टी को री-स्ट्रक्चर (पुनर्गठित) करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। नीतीश कुमार का मौन रहना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि 'वेट एंड वॉच' की नीति है, जिसके जरिए वे सही वक्त आने पर ही सीधे फैसले लेते हैं।●

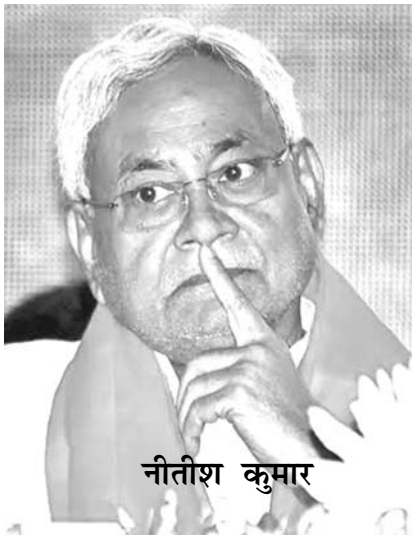
नीतीश कुमार

● **संजय कुमार सिन्हा**

दिल्ली में लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ छठ महापर्व मनाते हैं। इस महापर्व को सफल एवं व्यवस्थित बनाने में हजारों छठ पूजा समितियां, कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं वर्षों से निस्वार्थ भाव से अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। इस बीच छठ महापर्व समन्वय मंच ने दिल्ली के विभिन्न समितियों और सेवाभावी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को एक साझा मंच देने हेतु, छठ महापर्व के आयोजन से जुड़ी कठिनाइयों को सरकार एवं संबंधित विभागों के समक्ष संगठित रूप से रखने तथा छठ पर्व के सम्मान, स्वाभिमान और बेहतर व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास करने के उद्देश्य से "छठ महापर्व समन्वय मंच" का गठन किया। लेकिन इस मंच की कहानी केवल संगठन बनाने की कहानी नहीं है। यह उस संघर्ष की कहानी है, जिसमें कुछ लोगों ने राजनीतिक विभाजन से उपर उठकर केवल छठ महापर्व और छठ श्रद्धालुओं के अधिकार एवं सम्मान के लिए आवाज उठाने का संकल्प लिया।

❖ **जब छठ महापर्व पर लगा प्रतिबंध और शुरू हुआ संघर्ष :-** वर्ष 2020 में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पूर्वांचल समाज में व्यापक निराशा हताशा का माहौल बन गया था। उब समय की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के विरोध में पूर्वांचल समाज के कई प्रमुख लोगों, जिनमें रजनीश झा, रॉबिन शर्मा, अरुण पंजियार, शैलेन्द्र पाण्डेय, रणधीर कुमार, तपन झा, मुकेश सिन्हा, संजय सिंह, के. एन. झा के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन भी किया था। छठ पूजा के आयोजन को संभव बनाने के लिए सरकार के समक्ष विभिन्न सुझाव एवं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के प्रस्ताव भी रखे गए। इसके बावजूद प्रतिबंध नहीं हटाया गया। इस आंदोलन के दौरान एक गंभीर समस्या सामने आने लगी कि, छठ महापर्व को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के समर्थन और विरोध के बीच बंटता चला गया। आंदोलन का मूल मुद्दा, छठ महापर्व का आयोजन कहीं पीछे छूटता चला गया और पूर्वांचल समाज राजनीतिक खेमों में विभाजित दिखाई देने लगे। इस अनुभव ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या छठ महापर्व जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक एवं लोक आस्था के पर्व विषय पर कोई ऐसा गैर-राजनीतिक, संगठित और स्थायी मंच नहीं था।जो किसी दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि छठ महापर्व के पक्ष में खड़ा हो! वर्ष 2021 में एक बार फिर दिल्ली में छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन को लेकर प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई। 30 सितंबर 2021 को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीडीएमए के निर्णय की जानकारी दी। इस तरह की घोषणा अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया था। उसके बाद फिर से एक बार छठ महापर्व के आयोजन को लेकर समाज में निराशा फैलने लगी। राजनीतिक स्तर पर अलग-अलग पक्षों द्वारा विरोध-प्रदर्शन होने लगे, लेकिन 11 अक्टूबर 2021 के बाद पूर्वांचल के एमएलए अपने क्षेत्र के जनता के रोष के डर से राजनीतिक रूप से बंटने लगे और अपने क्षेत्रों पर छठ आयोजन की अपील करने लगे। आम श्रद्धालु

लोक आस्था का पर्व : छठ

ऋग्वेद में सूर्य पूजन का विशेष उल्लेख तो है ही संसार के किसी भी कोने से प्रत्यक्ष दिखने वाले भगवान् सूर्यदेव का पूजन अलग अलग तरीके से आदिकाल से होते आ रहा है। परंतु एक परंपरा एवं विश्वास की बातें किया जाता है तो मुख्यत: बिहार, झारखंड, नेपाल की तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर-प्रदेश राज्यों में कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें किसी मूर्ति की नहीं बल्कि साक्षात देव सूर्य की पूजा की जाती है जो स्थिर हैं और दिखाई भी देते हैं। इसीलिए इस पर्व को हिंदू तो मनाता ही है बल्कि सभी धर्मों के लोगों का भी छठ पर्व पर सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बना रहता है। भले वो विश्वास साफ सफाई के हो या बाजार सजाने के हो इसमें सभी आगे रहते हैं। कहीं-कहीं तो मुस्लिम समुदाय भी छठ पर्व धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य शक्ति के मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा यानी सूर्य की प्रथम किरण और प्रत्युषा यानी सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो षष्ठी तिथि (छठ) को एक खास तरह का खगोलीय परिवर्तन होता है। सूर्य की बहन षष्ठी यानी छठ माता मां यह पर्व भाई दूज के एक दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाता है और अगले तीन दिन तक चलता है। इसे आस्था का पर्व कहा जाता है। इस पर्व का संकल्प लेकर जो भी कामना की जाती है वह निश्चित ही पूरी होती है। मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को षष्ठी यानी छठी माता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं का दानवों से भयंकर और लंबा युद्ध चला और देवताओं का उसमें विजय पाना कठिन हो गया तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देवसूर्य मंदिर में आराधना की।

प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए ख्र त्रिवेन्द्र रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने देवताओं को विजय दिलायी। एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनायी गयी खीर का प्रसाद दिया। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र तो हुआ लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत बहुत आहत हुए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उस समय ब्रह्माजी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और बताया कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण वे षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को संतान प्राप्ति का आश्वासन दिया और अंतर्धान हो गई। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार छठी मैया की पूजा खासतौर

और छठ पूजा समितियां इस राजनीतिक खींचतान के बीच अपने मूल प्रश्न का समाधान चाहती थीं! छठ पूजा होगी या नहीं? 2020 के अनुभव से सीख लेते हुए यह महसूस किया गया कि छठ महापर्व के लिए संघर्ष को राजनीति से उपर उठकर लोगों को एकजुट करना आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने एक नए संगठन की नींव रखी।

❖ **16 अक्टूबर 202 नौ लोगों से शुरू हुई एक नई यात्रा** :- 16 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मात्र 9 लोग उपस्थित हुए। संख्या भले ही छोटी थी, लेकिन संकल्प मजबूत थीं। इन लोगों ने तय किया कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जो किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि केवल छठ महापर्व की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और छठ पूजा समितियों के सम्मान के लिए कार्य करेगा। यहीं से "छठ महापर्व समन्वय मंच" की नींव पड़ी। बैठक के अगले दिन 17 अक्टूबर 2021 को मंच की ओर से दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल को पत्र देकर छठ महापर्व के आयोजन की अनुमति की मांग की गई। छठ महापर्व समन्वय मंच ने स्पष्ट किया कि यदि अगले दस दिन 27 अक्टूबर 2021 तक छठ आयोजन की अनुमति नहीं मिली तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और 28 अक्टूबर 2021 से एलजी हाउस

पर संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है तो जो लोग संतान सुख से वंचित हैं वे इस कामना से और बाकी सभी अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, सुख समृद्धि और रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए इस पर्व को मनाते हैं। ये छठ पर्व मनाना खुशहाल जीवन परिवार की पहचान भी मानी जाती है।

रामायण में भी ऐसा उल्लेख है कि लंका विजय के बाद राम और सीता माता ने कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, रामराज्य की स्थापना के दिन सूर्यदेव की उपासना की और इस व्रत को किया। महाभारत की बात करें तो कुंती ने तो सूर्य का आह्वान करके ही कर्ण को प्राप्त किया था। सूर्यपुत्र कर्ण प्रति दिन घंटों कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की उपासना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। पर्यावरण की दृष्टि से व्रत की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि छठ पर्व में साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष महत्व है। छठ पर्व की अनुभूति भी अद्भुत है। ऐसे तो सभी मास अच्छे होते हैं, परंतु कार्तिक मास सबसे पवित्र मास माना गया है। कार्तिक शुरू होते ही हवाओं में हल्की-सी ठंड का आभास और तन-मन में उस ठंड को महसूस करने का आभास और उस ठंढ़ को आनंद लेने के वातावरण बढ़ जाए तो समझिए कि छठ पर्व आ गया। घास पर ओस की बूंद की चमक, ऐसे वातावरण में छठ का कोई गीत सुनाई दे। उस गीत को सुनते ही रोम-रोम घर पहुंचने को मचलने लगे तो समझिए छठ पर्व आ गया है। लौकी, केले, अमरूद, शरीफा डाल पर इतराने लगे, खेतों में हल्दी अदरक, सुथनी के पौधे निकल आये समझिए कि छठ पर्व आ गया। छत पर गेहूँ धोकर सूखने की प्रतीक्षा होने लगे और बाजार में रास्ते के दोनों तरफ सूप, सुपती, दउरा, फलों की मनोरम दृश्य देखने लगें तो समझिए कि छठ पर्व आ गया। रेलवे स्टेशन पर घर पहुंचने को बेचौनी लगने लगें तो समझिए छठ पर्व आ गया है। सामाजिक समरसता झलकता है बल्कि उससे आगे एक परिवार लगता है। बिना किसी भेदभाव के अमीर गरीब उच निच छोटा बड़ा सभी शामिल होते हैं। नदी तालाब हो या पोखरी सभी के लिए समान रूप से खुला स्थान होता है। सभी जातियों और वर्गों के लोग एक ही घाट पर इकठ्ठे होतें हैं। एक ही जल में अर्घ्य देतें हैं। वहाँ कोई किसी को जाति सूचक कुछ नहीं बोलता सभी सनातनी हिंदू एक परिवार है। पूजा के उपरांत सभी के प्रसाद एक दूसरे को अर्दान प्रदान भी होता है। किसी भी जाति के सिनियर महिला छठवर्ती को किसी भी जाति के महिला पुरुष बच्चें पैर सर्पश करते हुए प्रणाम करना और उसके बदले आर्शीवाद मिलना एक सुखी अनुभव प्रदान करता है। भोजपुरी के लोककवि भिखारी ठाकुर ने अपने गीतों में इस एकता की झलक के संदेश देता है- "सुरुज देव सब पर दिहले उजियार, ना जात-पात के बंधन रह गइल संसार" यह गीत स्पष्ट करता है कि ष जहाँ सूर्य सबका है, वहाँ समाज भी सबका है।'

☞ **स्त्री-शक्ति एवं परिवार :-** छठ व्रत का मुख्य केंद्र नारी- शक्ति है। व्रतधारी स्त्रियाँ इस पर्व की मुख्य भूमिका में होती हैं। वे तप, संयम और आस्था के माध्यम से न केवल अपने परिवार के लिए कल्याण मांगती हैं, बल्कि समाज में मातृत्व और करुणा की ऊर्जा फैलाती हैं। चार दिन के इस व्रत में महिला 36 घंटे निर्जला उपवास, आत्मसंयम, मौन, सेवा और श्रम का प्रतीक बनती है। परिवार के सभी सदस्य- पति, पुत्री, पुत्र, संबंधी, पड़ोसी- इस साधना के सहयोगी बनते हैं। इस प्रकार छठ पारिवारिक संबंधों में सहयोग, श्रम-सम्मान और भावनात्मक संतुलन को पुनर्स्थापित करता है। स्त्रियाँ इस पर्व के माध्यम से अपनी धार्मिक स्वायत्तता भी स्थापित करती हैं। यहाँ कोई पुरुष पुरोहित नहीं, स्वयं स्त्री ही यजमानी करती है, स्वयं संकल्प लेती है और स्वयं अर्घ्य देती है। यह भारतीय समाज में स्त्री-धर्म की स्वायत्त परंपरा का सशक्त उदाहरण है।

☞ **लोकगीतों में सामाजिक समरसता :-** छठ के लोकगीत केवल भक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक दर्शन भी हैं। इन गीतों में परिवार, समाज और प्रकृति के बीच समरसता की कामना होती है- "केरवा जे फरे सरसोती, ओहि तरहिया वर मागी नीर।" इस गीत में नदी (सरसोती) और वृक्ष (केरवा) दोनों को जीवन की साक्षी माना गया है- यह प्रतीक है कि समाज और प्रकृति का संबंध अविभाज्य है। छठ के गीतों में न स्त्री-पुरुष का भेद है, न जात-पात का। सबकी आवाज एक ही स्वर में मिलती है, लोकमंगल का स्वर। छठ पूजा किसी पर्व से अधिक लोकजीवन की सामूहिक चेतना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अटूट विश्वास का उत्सव बन उठता है। शायद यही कारण है कि छठ की पहचान उस सहज लोकभावना से भी है, जिसमें समर्पण है, अनुशासन है, प्रकृति के प्रति श्रद्धा है और जीवन में आस्था के उजाले को बनाए रखने की गहरी मानवीय आकांक्षा भी है।

पर छठ श्रद्धालुओं के साथ आमरण अनशन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली की विभिन्न छठ पूजा समितियों से संपर्क करने की अभियान शुरू हुआ। मंच का उद्देश्य स्पष्ट था-आंदोलन को राजनीतिक रंग से बचाकर छठ समितियों और श्रद्धालुओं को एक साझा मुद्दे पर एकजुट करना। कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में छठ पूजा समितियां इस अभियान से जुड़ने लगीं। 21 अक्टूबर 2021 तक 72 छठ पूजा समितियों ने आंदोलन के समर्थन में सामने आकर अपने-अपने लेटरहेड पर पत्र देकर आगे की कार्रवाई में साथ देने की घोषणा की। इसके बाद आंदोलन को मजबूती मिली। मंच द्वारा एलजी हाउस पर आमरण अनशन की बात मजबूती से रखने के कारण सरकार मजबूर होकर 23 अक्टूबर 2021 को डीडीएमए की बैठक बुलाने की घोषणा की और मंच द्वारा दिया गया अन्तिम तिथि के दिन अर्थात् 27 अक्टूबर 2021 को छठ महापर्व के आयोजन से संबंधित प्रतिबंध हटाने की घोषणा हुई। यह छठ महापर्व समन्वय मंच के लिए पहली बड़ी सफलता या जीत थी। यह सफलता केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की सफलता नहीं थी। यह उन सभी छठ समितियों, कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं की सामूहिक शक्ति की सफलता थी, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी आस्था के लिए आवाज उठाई।

❖ **संघर्ष के बाद सेवा का संकल्प :-** पहले

छठ के प्रति समर्पित संस्थान है समन्वय मंच

छठ महापर्व समन्वय मंच के संस्थापक एवं संयोजक श्री रजनीश झा से भेंटवार्ता के दौरान संजय कुमार सिन्हा द्वारा किये गये साक्षात्कार के प्रमुख अंश :-

❖ **अपने संस्था को यहाँ तक लाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा आप सभी को?**

देखिए, मैंने क्या है, संस्थान को लाने में तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ा, क्योंकि मैंने क्या है, जो हमारे ही पूर्वांचल समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमेशा मतलब टांग अड़ाते रहते हैं, आगे, भई अपने कार्यक्रम को फेल करने में लगे रहते हैं। और इसी कारण से 2020 में दिल्ली में छठ आयोजन नहीं हुआ। 2021 में सरकार ने शायद पहला ऐसा पर्व होगा, जिसमें किसी एलजी ने फैसला लिया कि छठ पर्व पे रोक रहेगा और दिल्ली के डिप्टी सीएम, उस समय के मनीष सिसोदिया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छठ पे रोक की घोषणा करा। तो तभी इस संस्था का उदय हुआ। हम लोगों ने देखा, जो भाई, ये जो विभिन्न राजनीतिक गुटों में बँटे हुए हमारा पूर्वांचल समाज है, तो ये तो हमारे ही पर्व पे रोक लगा रखा है। तो वहीं पे हम लोगों ने 72 लोगों के साथ में आंदोलन शुरुआत करा था। शुरुआत में तो हम नौ थे, बढ़ते-बढ़ते बाद में 72 लोग आए और आंदोलन शुरुआत करा। और वही आंदोलन आज आपने देखा, जो इतना बड़ा स्तर तक पहुँच गया है। और उस समय हमने प्रतिबंध हटवाया और इसमें मतलब तमाम छठ ऑर्गनाइजेशन और ऐसे लोगों को हमने साथ जोड़ा, जिनके दिमाग की वजह, दिल में छठ पर्व था। और उन्हीं लोगों के मेहनत का परिणाम ये है, जो आज जो संस्था इतनी फैली है और लगभग पूरे दिल्ली-एनसीआर के लगभग सबसे मजबूत संस्था है। कार्यक्रम में आपने देखा होगा, दिल्ली में 1140 छठ ऑर्गनाइजेशन हैं, जिसमें से 800-900 ऑर्गनाइजेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है।

❖ **छठ पर्व एवं श्रद्धालुओं के प्रति कितना जवाबदेह और कब तक आपकी संस्था रहेगी, क्या आप सभी को भी राजनीतिक लोग हाईजैक कर सकते हैं क्या?**

देखिए, आपने एक साथ में तीन प्रश्न पूछा। जो ये संस्था है, छठ महापर्व समन्वय मंच, ये 100 परसेंट छठ के प्रति समर्पित संस्थान है। दूसरी बात है, कब तक रहेगी? तो देखिए, ये फैसला तो छठ मइया के हाथ में छोड़ दीजिए, जो कब तक रहेगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं जो सदैव रहे और सदाव लड़ाई करता रहे, जो भी छठ पर्व में दिक्कत आ रहा है उसके लिए संस्था...।

❖ **मैं आपको थोड़ा सा टोकूँगा। कब तक रहेगी का मतलब ये नहीं हुआ। कब तक रहेगी का मतलब जैसे अभी आप लोग एकदम निःस्वार्थ होकर के काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दबाव, किसी पार्टी के साथी बनके नहीं। क्या इसी तरह से रहेगी या कल किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम करेगी?**

नहीं, ये संस्थान बिल्कुल गैर-राजनीतिक है और नॉन-पॉलिटिकल ही रहेगी। आज के डेट में भी आप देखेंगे, हर पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें पदाधिकारी हैं। जिनके दिल में छठ है, उन सभी लोगों का हमने स्वागत करा

आंदोलन की सफलता के बाद मंच ने यह तय किया कि उसका कार्य केवल आंदोलन करने तक सीमित नहीं रहेगा। छठ समितियों की समस्याएं केवल अनुमति तक सीमित नहीं थीं। घाट, साफ-सफाई, बिजली, पानी, प्रकाश, सुरक्षा, चिकित्सा, शौचालय, यातायात, भूमि और प्रशासनिक समन्वय जैसी अनेक समस्याएं हर वर्ष सामने आती थीं। इसलिए मंच ने संघर्ष के साथ सेवा और समन्वय को भी अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया।

❖ **2022 : छठ समितियों के साथ सहयोग** :- वर्ष 2022 में मंच ने 107 छठ पूजा समितियों के साथ सहयोग एवं समन्वय का कार्य किया। समितियों की समस्याओं को समझने, संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुंचाने और छठ महापर्व के आयोजन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए गये। इससे मंच का उद्देश्य और स्पष्ट होता गया। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ संघर्ष, जहाँ संभव हो वहाँ संवाद और हर परिस्थिति में छठ समितियों के साथ सहयोग।

❖ **2023 : सेवा करने वालों को सम्मान** :- छठ महापर्व के आयोजन में हजारों लोग बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपना समय, श्रम और संसाधन लगाते हैं। घाट की व्यवस्था से लेकर साफ-सफाई, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं तक, अनेक कार्यकर्ता कई दिनों तक सेवा करते हैं। इन्हीं सेवाभावी लोगों के योगदान को समाज के सामने लाने और उनका उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में "छठ सैनिक सम्मान समारोह" की शुरुआत की गई। पहले ही चरण में इस समारोह में 516 छठ पूजा समितियों ने सहभागिता की। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का सम्मान मात्र नहीं है, बल्कि उन हजारों सेवाभावी कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता है जो छठ महापर्व की व्यवस्था को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। फिर संगठन का विस्तार होता रहा 850 से अधिक समितियाँ छठ महापर्व समन्वय मंच से जुड़ते चले गए। नौ लोगों से शुरू हुई यात्रा का सैकड़ों समितियों तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि जब किसी आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ से उपर उठकर समाज की आस्था और आवश्यकता से जुड़ता है, तो लोग स्वयं उससे जुड़ते चले जाते हैं। 2026 में हर विधानसभा, हर घाट तक समन्वय की प्रयास जारी है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 टीम बनाए जाने की योजना है। इन टीम का उद्देश्य अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद प्रत्येक छठ घाट और छठ पूजा समिति की जानकारी एकत्र करना तथा समितियों की आवश्यकताओं को संबंधित सरकारी विभागों तक पहुँचाने में सहयोग करना है। मंच का प्रयास है कि दिल्ली में छठ महापर्व का कोई भी आयोजन स्थल सरकारी सुविधा और प्रशासनिक सहयोग से वंचित न रहे।

❖ **छठ महापर्व समन्वय मंच के प्रमुख उद्देश्य हैं** :-

☞ **छठ पूजा समितियों का समन्वय** :- दिल्ली की सभी छठ पूजा समितियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना, ताकि वे अपने अनुभव, जानकारी

है। जिनके दिल में नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं, वो दूर हैं।
लेकिन तमाम जो लोग हैं, आज के डेट में आपने सौ-सवा सौ पदाधिकारी जो हैं, वो सारे हर पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और सब एक साथ मंच पे जब आते हैं, तो अपनी राजनीतिक पार्टी के बजाय छठ की बातें करते हैं। और जब किसी संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने स्वयं के प्रेरणा से काम करने वाले होते हैं, तो संस्था देखिए लंबे समय तक ही चलता है और संस्था लंबे समय तक अपने मुद्दों पे कायम रहती है।

❖ दिल्ली सरकार से आप लोग छठ पर्व के लिए महत्वपूर्ण मांग की अपेक्षा क्या करते हैं?

देखिए, दिल्ली सरकार से हम लोगों ने जो मांग करा था, इस बार हमारे सात-आठ मांग था, जिसके लिए हमने दिल्ली सरकार मिनिस्टर से भी मिला था। प्रधानमंत्री जी से भी हमने लोगों ने समय माँगा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दिया नहीं। कपिल मिश्रा जी से मिल के आए थे, तो कपिल मिश्रा जी ने सात-आठ मांगों में से हमारी पाँच मांगे उन्होंने एक्सेप्ट करा था, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि उनका आश्वासन था जो सितंबर लास्ट तक ये सारी मांगें हम मान लेंगे। लेकिन अभी तक मात्र एक मांग पे काम हुआ है। जो हमारा मांग था, सबसे हमारा महत्वपूर्ण मांग है, जो छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करा जाए। जो 18 पर्व है अभी, इस पे गजटेड छुट्टी हो रहा है, तो उसमें छठ भी शामिल करा जाए। क्योंकि छठ आज के डेट में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। दूसरा जो हमारे डिमांड है, दिल्ली में छठ आयोग बने और जिन राज्यों में छठ होता है वहाँ छठ आयोग बने, छठ भवन बने। जो छठ मनाने वाले आयोजन समिति जो है, वो छठ भवन होगा तो उसे ये पता होगा कि भाई हम यहाँ पे जाएँ। आज के डेट में पता ही नहीं है कि भाई हम कहाँ पे जाएँ, कहाँ पे हमारे मुद्दे सुने जाएँगे। और तमाम लोग परेशान रहते हैं, जो सिंगल विंडो मतलब सरकार बना भी रही है, वो सिंगल विंडो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके बाद तीसरा जो हमारा मांग था, 45 डेज पहले नोटिफिकेशन जारी करना। क्योंकि 2012 तक 45 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होता था, तो बहुत स्तर पे लोग अपना काम कर लेते थे। लेकिन इस बार सरकार ने आश्वासन दिया था जो 45 दिन, लेकिन 30 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब इन्होंने वो जारी कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिमांड था, यमुना में छठ, जो 2019 से बंद है, तो यमुना नदी में पुनः छठ आयोजित किया जाए। क्योंकि 2021 में जो हमारे आंदोलन था और सरकार के साथ समझौता था, उसके अनुसार ये था कि छठ के जितने घाट हैं, सभी घाटों पे छठ आयोजित की जाएगी, चाहे यमुना में, चाहे नॉन-यमुना। लेकिन सरकार ने उस समय समझौता तोड़ लिया और नॉन-यमुना में तो छठ हो रही है, यमुना में छठ नहीं हो रही है। तो हमारा डिमांड है कि भाई यमुना नदी के अंदर भी छठ आयोजित किया जाए। 2019 से पहले जिस तरीके से किया जा रहा था, उसी तरीके से कराया जाए। नेक्स्ट है डीडीए का। डीडीए जो किराया ले रही है, मतलब सिक्योरिटी मनी, वो छठ पे ले रही है 15 रुपये पर मीटर, रामलीला वालों से ले रही है 4 रुपये 75 पैसा पर मीटर। तो हमारा ये कहना है, जब भाई रामलीला भी धार्मिक पर्व है और छठ भी धार्मिक पर्व है। रामलीला में कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रहा है, वहाँ आप 4 रुपये 75 पैसा ले रहे हो पर मीटर और यहाँ छठ में ले रहे हो आप 15 रुपये पर मीटर। तो ये गलत है, इसको आप 4 रुपये 75 पैसे करिए। जितना आप दूसरे पर्व को ले रहे हो, उतना ही छठ से भी लीजिए, तो मैंने मंत्री साहब का इस पे भी आश्वासन था, जो 30 अप्रैल तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन डीडीए में हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है जो नई सरकार इस पे काम कर रही है। तो एक डिमांड हमारा ये भी है। और छठ भवन, छठ आयोग तो है ही। तो ये सारे मुद्दे पे है, जिस पे कुछ मुद्दे पे सरकार से सहमति बनी है, कुछ मुद्दे पे नहीं बनी है। लेकिन हमारा ये है कि सभी मुद्दों पे सहमति बनाके और सरकार से हम ये मनवा के रहेंगे।

❖ इस बार छठ पूजा समितियों के लिए कोई विशेष संदेश या सुझाव आप देना चाहेंगे?

देखिए, मैंने कहा है, सारी समितियों की एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रहा है। इस तरफ दिल्ली सरकार करोड़ों रुपये का फंड दे रहा है छठ के लिए, लेकिन छठ समिति तक वो कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। विधायक जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जाता है, अपनी चारों तरफ होर्डिंग लगा लेता है और वहाँ पे एक घोषणा कर देता है कि नहीं, ये सारी जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से है। नियम के अनुसार से सरकार की तरफ से ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए।

और संसाधनों को साझा कर सकें।

☞ **प्रत्येक छठ घाट तक सरकारी सुविधाएँ :-** साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल, सुरक्षा, चिकित्सा, शौचालय, यातायात और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करना।

☞ **समितियों की समस्याओं की आवाज बनना :-** अनुमति, भूमि, घाट, बिजली, पानी, सुरक्षा और प्रशासनिक समस्याओं को उचित स्तर पर उठाना और समाधान के लिए प्रयास करना।

☞ **यमुना तट पर छठ आयोजन की सुविधा :-** श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यमुना नदी के तट पर पूर्व की भांति छठ पूजा के आयोजन के लिए उचित व्यवस्था एवं अनुमति की मांग करना।

☞ **छठ महापर्व को राष्ट्रीय पहचान :-** छठ महापर्व को राष्ट्रीय पहचान दिलाना प्रमुख उद्देश्य है।

☞ **स्थायी एवं दीर्घकालिक व्यवस्था :-** हर वर्ष अंतिम समय में उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छठ महापर्व के आयोजन की दीर्घकालिक एवं स्थायी नीति की दिशा में प्रयास करना।

❖ **सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा : नई कार्यदिशा :-** छठ महापर्व समन्वय मंच का संघर्ष अब केवल आयोजन की अनुमति तक सीमित नहीं है। मंच का प्रयास है कि छठ पूजा समितियों को सम्मान मिले, कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण मिले। मंच का मानना है कि जो लोग हजारों श्रद्धालुओं की सेवा में अपना समय और श्रम लगाते हैं, उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। इसी सोच के साथ मंच संघर्ष, संवाद, सहयोग और सम्मानरूप चारों दिशाओं में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है।

❖ **भविष्य की दिशा :-** छठ महापर्व समन्वय मंच का लक्ष्य केवल हर वर्ष की तत्काल समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छठ महापर्व के आयोजन की सुदृढ़, सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था तैयार करना है।

❖ **दिल्ली में छठ महापर्व आयोग के गठन की मांग :-**

☞ यमुना नदी के तट पर पूर्व की भांति छठ आयोजन की सुविधा।

☞ दिल्ली सरकार द्वारा समय पर एवं पर्याप्त व्यवस्था।

☞ सभी छठ घाटों तक आवश्यक सरकारी सुविधाओं का विस्तार।

☞ डीडीए की भूमि एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थायी छठ घाटों की व्यवस्था।

☞ छठ पूजा समितियों के लिए सरल एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था।

☞ दिल्ली की सभी छठ पूजा समितियों के बीच मजबूत एवं प्रभावी समन्वय।

❖ **मंच का मूल मंत्र है :-** "संगठन के माध्यम से समन्वय, समन्वय के माध्यम से सहयोग और सहयोग के माध्यम से छठ महापर्व की बेहतर व्यवस्था।●

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)**

भारतीय राजनीति के फलक पर विपक्ष इस समय पूरी तरह से आक्रामक और सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राफेल डील से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है। इस आक्रामक घेरेबंदी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का वह पारंपरिक काउंटर अटैक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जानी जाती है। जबकि विपक्ष लगातार मुद्दे बदल कर हमलावर है। विपक्ष का एजेंडा और रणनीति लगातार बदल रही है। कुछ समय पहले तक जो विपक्ष सिर्फ संसद के भीतर विरोध दर्ज कराता था, वह अब अदालतों, स्वतंत्र मंचों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को जोड़कर सरकार को घेर रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। 06 अक्टूबर को भी इंडी गठबंधन ने सीईसी के खिलाफ सड़क पर खूब संग्राम किया, जवाब में भाजपा के बड़े नेता जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान या पार्टी प्रवक्ता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इस अभियान को भ्रामक और अराजकता फैलाने वाला करार देने तक ही सीमित नजर आयें। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सांगठनिक ढांचा और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर के इस राजनीतिक हो-हल्ले में भाजपा के पार्षद, विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व के पक्ष में मुखरता से खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। संसद और मीडिया में गिने-चुने प्रवक्ताओं को छोड़ दें, तो जमीन पर सांसदों और विधायकों का कोई बड़ा समूह विपक्ष के इन तथाकथित फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जनता के बीच जाता नहीं दिख रहा है। चाहे वह परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर विपक्ष का घेराव हो या फिर चुनाव सुधारों पर फैलाया जा

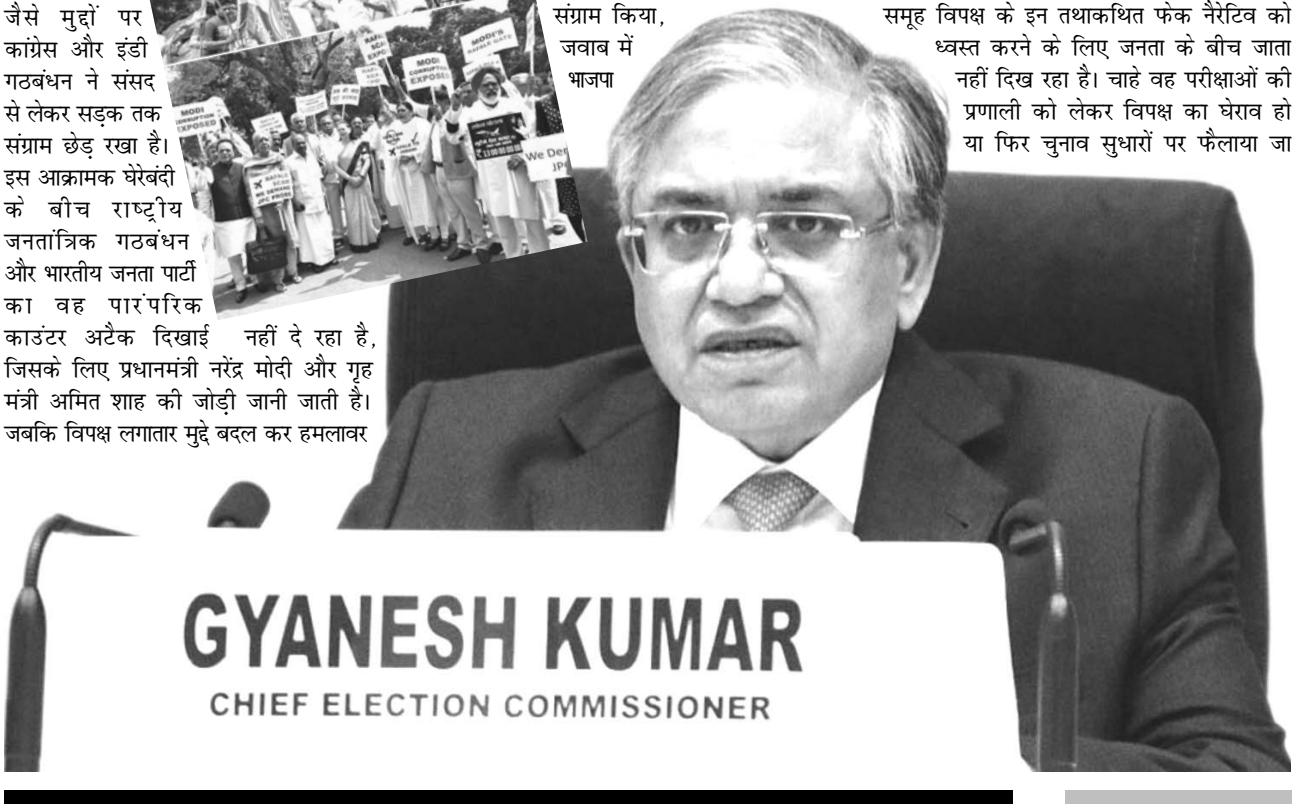

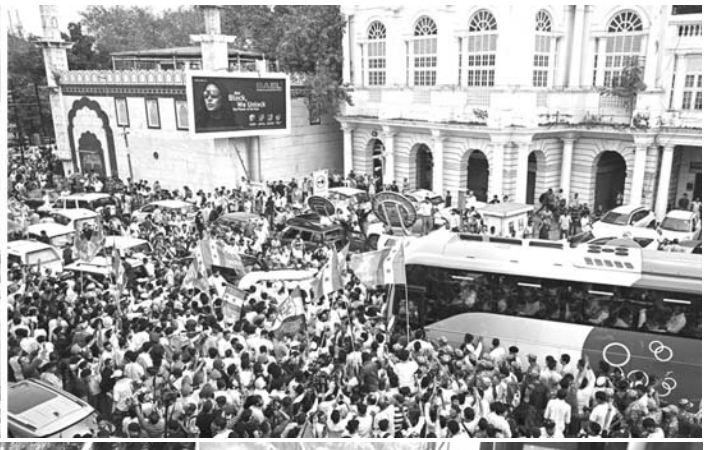

रहा भ्रम, भाजपा के स्थानीय नेता अपनी ही सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। इस खामोशी ने जनता के एक बड़े वर्ग में यह संदेश दिया है कि विपक्ष के आरोपों का ठोस जवाब देने में पार्टी का जमीनी कैडर असमर्थ महसूस कर रहा है, जबकि विपक्ष अब केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है; उसने अदालतों को अपना मुख्य रणनीतिक केंद्र बना लिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से लेकर सरकार की प्रशासनिक नीतियों तक, हर संवेदनशील मुद्दे को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भाजपा के कानूनी सलाहकारों और कानूनविदों की टीम मीडिया या सार्वजनिक फोरम पर उस तार्किकता और आक्रामकता के साथ खड़ी नहीं दिखती, जिसकी जरूरत है। अदालती फैसलों या चल रही बहसों का सरलीकृत रूप जनता के सामने रखने में भाजपा का कानूनी विंग पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। जब विपक्ष के वकील अदालतों के बाहर मीडिया कैमरों के सामने एकतरफा नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, तब भाजपा की तरफ से उस कानूनी बारीकी को जनता की भाषा में समझाने वाला कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता।

भाजपा का मीडिया और आईटी सेल कभी विरोधी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था। हाल ही में संगठन के भीतर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें अमित मालवीय के लंबे कार्यकाल के बाद दीपक म्हास्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई और संगठन में राम माधव व स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं की

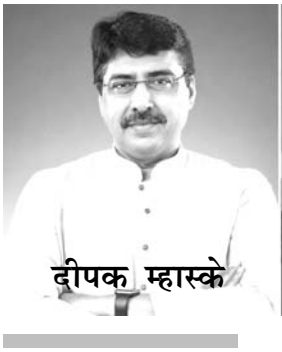
दीपक म्हास्के

राम माधव

स्मृति ईरानी

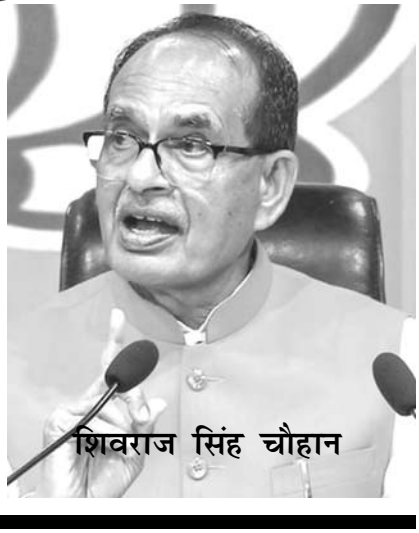
शिवराज सिंह चौहान

ग्रेटा थनबर्ग

वापसी हुई। इसके बावजूद, बदली हुई सोशल मीडिया टीम विपक्ष की नई और सुव्यवस्थित डिजिटल सेना के सामने हल्की और अप्रभावी साबित हो रही है। भाजपा का सोशल मीडिया कंटेंट अब विकासात्मक मील के पत्थरों और आर्थिक आंकड़ों की उबाऊ प्रस्तुति तक सिमट कर रह गया है, जबकि विपक्ष सीधे युवाओं के गुस्से, बेरोजगारी और प्रशासनिक कमियों को भावनात्मक रूप से भुनाने में जुटा है। भाजपा का मीडिया सेल केवल रोजमर्रा की तू-तू मैं-मैं में उलझा हुआ है, जिससे वह धार गायब हो चुकी है जो कभी विरोधियों के नैरेटिव को चंद घंटों में जमींदोज कर देती थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हमेशा अप्रत्याशित और विनाशकारी काउंटर-अटैक के लिए जानी जाती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन के जरिए विपक्ष के झूठे नैरेटिव को बेअसर किया है, लेकिन संगठन के स्तर पर यह असर फीका पड़ रहा है।

उधर, मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में विदेशी शक्तियों और बाहरी तत्वों के शामिल

नरेन्द्र मोदी एवं अमित शाह

होने के आरोपों पर भी भारतीय राजनीति में तीखी बहस जारी है। सत्ता पक्ष और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सरकार की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, विपक्ष इन दावों को घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक जरिया बताता है। विदेशी जमीन से संचालित डिजिटल इकोसिस्टम पर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि देश के भीतर सरकार विरोधी एजेंडा और वोट चोरी जैसे नैरेटिव को हवा देने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल भारत से नहीं, बल्कि विदेशी धरती से संचालित हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरणों के अनुसार, कांग्रेस और उसके सहयोगी तंत्र से जुड़े कुछ प्रमुख सोशल मीडिया हैंडल और इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और थाईलैंड जैसी विदेशी लोकेशंस से जुड़े पाए गए हैं। पार्टी का दावा है कि यह भारत में असंतोष भड़काने के लिए एक व्यवस्थित विदेशी नेटवर्क का हिस्सा है। भारत में बड़े आंदोलनों (जैसे छात्र प्रदर्शन या किसान आंदोलन) के दौरान विदेशी टूलकिट की सक्रियता के प्रमाण मिले हैं। सुरक्षा बलों और साइबर सेल की जांच रिपोर्टों के अनुसार, हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान स्थित हैंडलों से संचालित होने वाले फेक न्यूज टूलकिट्स सक्रिय पाए गए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा जनित और हेरफेर किए गए वीडियो का उपयोग कर युवाओं को सरकार और रक्षा बलों के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। इससे पहले, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में भी खालिस्तानी संगठनों और विदेशी कड़ियों (जैसे कनाडा स्थित पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन) के शामिल होने के आरोप लगे थे। भाजपा के आईटी सेल ने इसे रेखांकित करते हुए आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत में एक कमजोर गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए वित्तीय और रणनीतिक प्रयास कर रही थीं।●

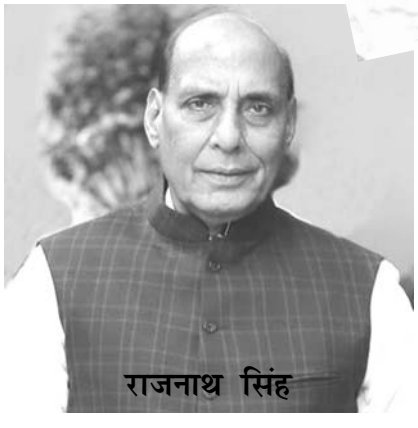
राजनाथ सिंह

यूपी में प्रियंका की भूमिका को लेकर उठते सवाल

● स्वदेश कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही बाहर से 'इंडिया' गठबंधन के अटूट होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन परदे के पीछे जो कुछ पक रहा है, वह किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। सतह पर मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी से होना चाहिए, पर कांग्रेस के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है मानो उनका असली निशाना भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। दिल्ली के पावर गलियारों से लेकर लखनऊ के दफ्तरों तक, कांग्रेस जिस आक्रामक और जिद भरी शैली में जमीन मांग रही है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा 2027 के इस बड़े दंगल में बीजेपी को शिकस्त देने के बजाय समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन पर कब्जा करने की कोई सुनियोजित स्क्रिप्ट लिख रही हैं? इस पूरी पटकथा

प्रियंका गांधी वाड्रा

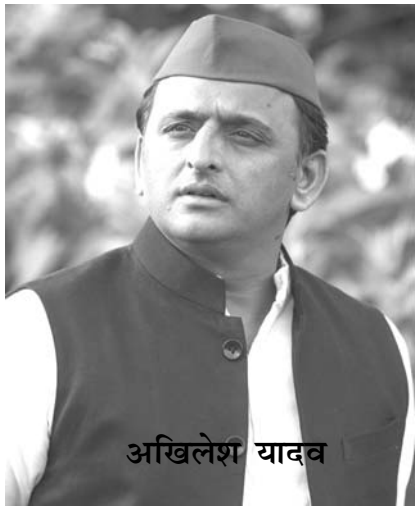
अखिलेश यादव

की टाइमिंग और चेहरों को गौर से देखा जाए तो कई राज से पर्दा उठता है। संसद भवन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद से ही यह साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम राजनीतिक और सांगठनिक फैसलों की धुरी पूरी तरह प्रियंका गांधी के हाथों में है। इस महत्वपूर्ण बैठक के तुरंत बाद जमीन पर जो बड़े फेरबदल हुए, वे किसी सामान्य प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े सियासी गेम प्लान का हिस्सा थे। कांग्रेस ने अपने आक्रामक तेवरों को धार देने के लिए ऐसे चेहरों को आगे करना शुरू कर दिया जो सीधे तौर पर सपा को असहज करने के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं तेज-तर्रार और हमेशा मुखर रहने वाले सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके साथ ही, सौम्य छवि वाली आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर इस नई तिकड़ी को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने इसके जरिए सवर्ण, दलित और मुस्लिम समीकरण साधने की कागजी कोशिश तो जरूर की, लेकिन इनके बयानों ने गठबंधन के भीतर भूचाल ला दिया है।

अखिलेश यादव राहुल गांधी

लखनऊ की धरती पर कदम रखते ही नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस कोई छोटी-मोटी पार्टी नहीं है और वह आगामी विधानसभा चुनाव में आधे से कम सीटों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। उनके इस बयान के बाद इमरान मसूद ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया। वह हर रोज मीडिया के तीखे कैमरों के सामने अखिलेश यादव की रणनीति, कार्यशैली और सीटों के बंटवारे पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। यहाँ आंकड़ों के आईने में कांग्रेस के इन दावों की हकीकत भी टटोलनी बेहद जरूरी हो जाती है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को अगर हम याद करें, तो

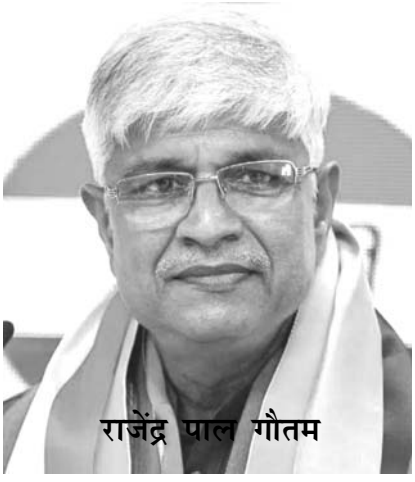
राजेंद्र पाल गौतम

आराधना मिश्रा मोना

इमरान मसूद

जब अखिलेश यादव ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी थीं, तब कांग्रेस इनमें से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत का स्वाद चख पाई थी। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटों पर शानदार परचम लहराकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने का लोहा मनवाया था। लोकसभा चुनाव के इस जमीनी और बेहद कड़वे आंकड़े को पूरी तरह दरकिनार करके यदि कोई दल विधानसभा चुनाव में डेढ़ सौ सीटों की मांग या अत्यधिक दबाव की राजनीति करे, तो इसे सियासी नासमझी कहें या कोई गहरी साजिश? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं की इस लगातार बयानबाजी और खुले हमलों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। वह खुद सीधे तौर पर इन बयानों पर कुछ कहने से बच रहे हैं और अपनी पार्टी के अन्य नेताओं या प्रवक्ताओं के जरिए नपा-तुला पलटवार करवा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव की यह खामोशी उनकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद सोची-समझी और परिपक्व रणनीति है। वह अच्छी तरह भांप चुके हैं कि यदि उन्होंने इस वक्त कोई भी तीखा या आक्रामक पलटवार किया, तो सारा ठीकरा विपक्षी कलह पर फूट जाएगा और बीजेपी को इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, सपा के अंदरखाने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में इस बात को लेकर जबरदस्त उबाल है कि जिस पार्टी का खुद का जनाधार यूपी में लगातार सिमट चुका है, वह इतनी बड़ी हैसियत की मांग किस बिना पर कर रही है।

कांग्रेस की यह जिद और अकेले दम पर अपनी शर्तों पर राजनीति करने की आदत कोई नई नहीं है। इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसी कई मिसालें मिलेंगी जहाँ कांग्रेस ने अपने ही सहयोगियों की लुटिया डुबोई है और गठबंधन धर्म को तार-तार किया है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के इतिहास को ही देख लीजिए, तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सम्मानजनक रूप से 105 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस ने जिद पकड़कर 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि गठबंधन का पूरा चुनावी माहौल खराब हो गया और अंतत: बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। यही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनावों में जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी 403 सीटों पर अकेले ताल ठोकी थी, तब पार्टी का ऐसा सूपड़ा साफ हुआ कि रायबरेली और अमेठी जैसी पारिवारिक वीआईपी सीटों पर भी जमानतें खतरे में पड़ गई और कुल वोट शेयर सिमटकर महज 2.34 प्रतिशत पर आ गया। इतने बड़े धक्के के बाद भी यदि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के साथ टकराव का रास्ता अपनाता है, तो यह उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही उजागर करता है। कांग्रेस की इस प्रवृत्ति का असर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी 'इंडिया' गठबंधन के भीतर इसकी कई बानगी देखने को मिल चुकी है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी अंतिम समय तक सीट बंटवारे को लेकर चली अंतहीन खींचतान के चलते राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में ही 'फ्रेंडली फाइट' के नाम पर खुलकर भिड़ गए और उसका खामियाजा पूरे विपक्ष को उठाना पड़ा। ठीक इसी तरह, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा ही असहयोग वाला बर्ताव देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के चक्कर में सहयोगियों की जीत की संभावनाओं को भी पूरी तरह पलीता लगा दिया।

प्रियंका गांधी वाड्रा

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल हिंदी भाषी राज्य में, जहाँ बीजेपी जैसी मजबूत, अनुशासित और संसाधनों से लैस राजनीतिक मशीनरी से दो-दो हाथ करना है, यदि विपक्ष के भीतर ही सीटों के गणित और अहंकार को लेकर ऐसी तलवारें खिंची रहीं, तो यह मुकाबला परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देगा। बहरहाल, आराधना मिश्रा को आगे कर कांग्रेस भले ही रिश्तों में नरमी और समन्वय का दिखावा कर रही हो, लेकिन इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेताओं के तीखे और आक्रामक तेवर यह चीख-चीखकर बता रहे हैं कि 2027 के रण से पहले सीट शेयरिंग का यह दंगल अभी और भयानक रूप लेने वाला है। क्या प्रियंका गांधी की परदे के पीछे की यह जिद बीजेपी के मजबूत विजय रथ को रोकने में मददगार साबित होगी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इस नाव को बीच मझधार में ही डुबो देगी, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक ही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक सीखेगी या फिर अपने ही सहयोगियों का भरोसा कुचलकर खुद को पूरी तरह हाशिए पर धकेल देगी?●

राज्यसभा में सपा के दो पत्ते खुले

तीसरी सीट ने बढ़ाई बेचैनी

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार बड़ा सवाल यह नहीं होता कि किसके पास कितने विधायक हैं, बल्कि यह होता है कि उन विधायकों के बीच आखिरी समय तक कौन अपनी रणनीति कितनी मजबूती से निभा पाता है। राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव ने एक बार फिर यही सवाल सामने खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 30 सितंबर को रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले में नया कोण जोड़ दिया है। नथवानी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनकी पहचान पारंपरिक समाजवादी राजनीति से नहीं, बल्कि उद्योग और खेल प्रशासन से जुड़ी रही है। अब चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, अतिरिक्त वोटों की तलाश और राजनीतिक संदेश का भी बन गया है। सबसे पहले गणित समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 397 है। राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट चाहिए। सपा के 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायकों को जोड़ने पर संख्या 103 हो जाती है। दो उम्मीदवारों के लिए 74 वोट चाहिए। यानी सपा-कांग्रेस के पास 29 वोट अतिरिक्त बचते हैं। लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 37 वोट चाहिए होंगे। मतलब साफ है तीसरी सीट के लिए कम से कम आठ और वोट जुटाने होंगे। यही आठ वोट इस पूरे चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण संख्या बन चुके हैं।

अखिलेश यादव एवं धनराज नथवानी

दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 289 विधायकों का संख्या बल बताया गया है। इस आधार पर सात सीटें सुरक्षित करने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त वोटों का बड़ा आधार बचता है। इसलिए मौजूदा गणित में आठ सीटें भाजपा के लिए और दो सीटें सपा के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं। दसवीं सीट तभी संघर्ष का मैदान बनती है जब कोई पक्ष अपने तय हिस्से से आगे जाने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश करे। यही वजह है कि अब हर विधायक की राजनीतिक स्थिति और हर सहयोगी दल का रुख चर्चा का विषय बन गया है। सपा ने नथवानी को मैदान में उतारकर इसी गणित के बीच अपना संदेश दिया है। धनराज परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता परिमल नथवानी भी रिलायंस से जुड़े रहे हैं और झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। धनराज नथवानी की सार्वजनिक पहचान कॉरपोरेट क्षेत्र, क्रिकेट और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों से बनी है। इसलिए उनका उत्तर प्रदेश से सपा उम्मीदवार बनना सामान्य राजनीतिक टिकट वितरण से अलग जरूर दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे पार्टी की अंतिम रणनीति क्या है, इसका आकलन केवल उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि के आधार पर करना जल्दबाजी होगा।

यहां सपा के पुराने फैसलों को भी याद करना जरूरी है। पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर ऐसे लोगों को

किरणमय नंदा

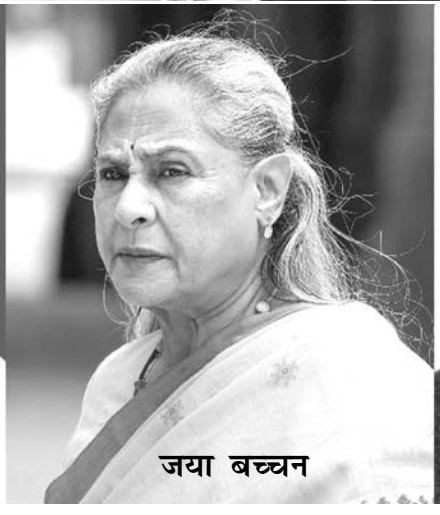

जया बच्चन

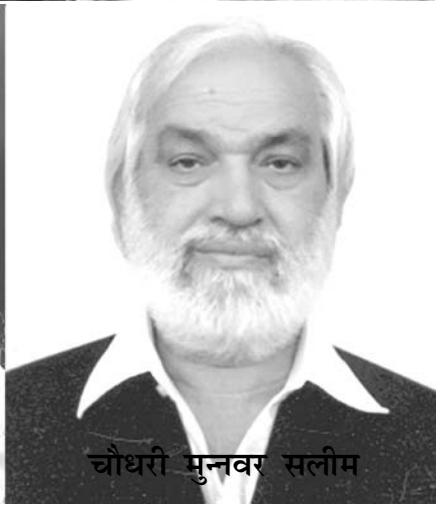

चौधरी मुन्नवर सलीम

भेजा है जिनकी पहचान राज्य की जमीनी राजनीति से अलग रही। जया बच्चन इसका प्रमुख उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े किरणमय नंदा और मध्य प्रदेश के विदिशा से जुड़े मुन्नवर सलीम भी सपा के जरिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। इसलिए नथवानी का चयन पार्टी के इतिहास में पूरी तरह नया प्रयोग नहीं कहा जा सकता। नया जरूर यह है कि इस बार कॉरपोरेट और खेल प्रशासन की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। यहीं से पीडीए की राजनीति का सवाल भी उठता है। सपा ने पिछले वर्षों में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को अपनी राजनीतिक रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाया है। ऐसे में नथवानी की उम्मीदवारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि पार्टी अपने सामाजिक समीकरण के साथ कॉरपोरेट पृष्ठभूमि के इस चेहरे को किस तरह जोड़ती है। लेकिन राज्यसभा की राजनीति केवल जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होती। उम्मीदवार का संसदीय उपयोग, सार्वजनिक संपर्क, पेशेवर अनुभव और राजनीतिक पहुंच भी दलों के फैसलों में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस चयन का अंतिम राजनीतिक अर्थ पार्टी के अगले कदमों से ही स्पष्ट होगा।

अब असली कहानी तीसरे उम्मीदवार की है। सपा ने तीसरे नाम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर चर्चा लगातार चल रही है। पिछले दिनों दलित चेहरे को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारने की संभावनाओं की खबरें सामने आई थीं। यदि ऐसा होता है तो सपा एक साथ संख्या और सामाजिक संदेश, दोनों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन 29 अतिरिक्त वोटों से 37 तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। आठ वोटों की कमी छोटी दिखाई देती है, पर राज्यसभा चुनाव में यही अंतर निर्णायक हो सकता है। भाजपा के लिए भी चुनौती अलग नहीं है। यदि आठवीं सीट के बाद अतिरिक्त मुकाबला बनता है तो उसे भी अपने अतिरिक्त वोटों को एकजुट रखना होगा। छोटे सहयोगी दलों और गठबंधन से बाहर के विधायकों की भूमिका बढ़ेगी। ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग की चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा और वास्तविक मतदान के बीच बड़ा अंतर होता है। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने दिखाया था कि अतिरिक्त सीट के लिए संख्या बल से अधिक महत्वपूर्ण अंतिम समय का प्रबंधन हो सकता है। इस बार भी किसी संभावित क्रॉस वोटिंग को पहले से तय मान लेना राजनीतिक गणित को अटकल में बदल देगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व यही है कि यह 2027 से पहले दोनों प्रमुख खेमों के संगठनात्मक प्रबंधन की परीक्षा बन गया है। राज्यसभा का परिणाम विधानसभा चुनाव का भविष्य तय नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर दिखाएगा कि कौन अपने विधायकों और सहयोगियों को कितनी मजबूती से साथ रख पाता है। रामगोपाल यादव सपा की स्थापित संसदीय राजनीति का चेहरा हैं और धनराज नथवानी एक बिल्कुल अलग पेशेवर दुनिया से आते हैं। इन दोनों नामों का साथ आना अपने आप में सपा की रणनीति में विविधता दिखाता है। अब तीसरा नाम इस तस्वीर को और स्पष्ट करेगा। 6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है और 16 अक्टूबर को मतदान। तब 103 बनाम 37 का कागजी गणित वास्तविक मतपत्र पर उतरेगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों की लड़ाई में असली कहानी सीटों की संख्या से ज्यादा उन अतिरिक्त वोटों की है, जिनके लिए दोनों खेमे अंतिम दिन तक राजनीतिक गणित साधेंगे।●

बिहार का 'वीवीआईपी डस्टबिन'

20 लीटर की मशीन का टेंडर, 75 लीटर के डिब्बों पर अरबों खर्च

बाजार में लगभग 1,500 रू. का 75 लीटर डस्टबिन, सरकारी खरीद में 15,490+GST

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

जिस राज्य में राज्य स्वास्थ्य समिति पहले से ही सरकारी और निजी अस्पतालों के जैव-चिकित्सा कचरे को निपटान का अनुबंध कर चुकी थी, वहाँ दूसरी सरकारी एजेंसी BMSICL ने समानांतर निविदा क्यों निकाली? शर्तें बदलने के बाद बोलीदाताओं को सिर्फ चार दिन क्यों दिए गए? दो 'प्रतिस्पर्धी' कंपनियों के पीछे एक ही परिवार का नाम क्यों दिखता है और 9 मशीनों की निविदा से 258 करोड़ रुपये से अधिक के डस्टबिन व थैलियाँ कैसे खरीदी गईं?

❖ **एक नजर में :-**

☞ 9 : मशीनों की निविदा (ME-317)।

☞ 1,27,762 : माइक्रोवेव डस्टबिन खरीदे गए।

☞ 258.92 करोड़: डिब्बों-थैलियों पर खर्च (GST रहित)।

☞ 4 दिन: शर्तें बदलने के बाद बोली का समय।

❖ **भूमिका : गया के अस्पताल में खुले में पड़ा कचरा :-** गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ANMCH) के पिछवाड़े अस्पताल का कचरा खुले में पड़ा था और आवारा कुत्ते उसे नोच रहे थे। सरकारी कागजों के अनुसार इसी अस्पताल को कचरा निष्क्रिय करने वाली माइक्रोवेव मशीनें दी जानी थीं, एक-दो नहीं, पाँच। ये बातें बेगूसराय के कौशलेश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री को 30 अगस्त 2026 को लिखे पत्र में दर्ज की हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने फोटो और वीडियो भी भेजे। सदर अस्पताल जहानाबाद में तीन मशीनें आनी थीं। वहाँ भी कौशलेश कुमार को एक भी मशीन नहीं मिली। फुलवारी शरीफ (पटना) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कचरा खुले में मिला। 14 सितंबर 2026 को वे पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) पहुँचे। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के अभिलेखों में वहाँ पाँच मशीनें लगी दिखाई गई हैं, पर उन्हें एक भी नहीं मिली।

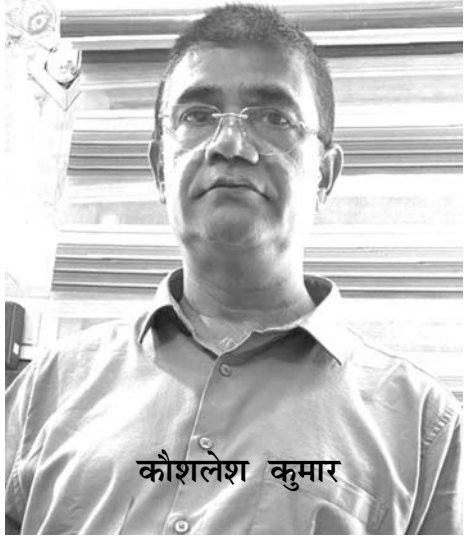
कौशलेश कुमार

दूसरी ओर इन्हीं मशीनों के 'साथ' इस्तेमाल होने वाले विशेष डस्टबिन लाखों की संख्या में खरीदे गए। 75 लीटर का एक डस्टबिन 15,490 रुपये में और 45 लीटर का 11,474 रुपये में। अगस्त 2026 में एक आरटीआई और उस पर बनी वीडियो रिपोर्ट से मामला सामने आया। 'वीवीआईपी डस्टबिन' विपक्ष का नारा बना और इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई। अब यह मामला पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (C.W.J.C. No.- 4058 of 2026, कौशलेश कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य) के रूप में लंबित है।

❖ **जब व्यवस्था पहले से थी, तो नई निविदा क्यों? :-** इस पूरे प्रकरण का सबसे बुनियादी सवाल यही है। बिहार में अस्पतालों के जैव-चिकित्सा कचरे (Bio-Medical Waste, BMW) के निपटान की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (State Health Society, Bihar-SHSB) डेढ़ दशक पहले ही निजी एजेंसियों को सौंप चुकी थी।

❖ **सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट से अनुबंध (19 मई 2010) :-** राज्य

स्वास्थ्य समिति ने मेसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट (प्रा.) लि., नई दिल्ली से अनुबंध किया। इसके तहत अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार और पूर्णिया, इन 15 जिलों में कचरे का 'व्यापक' प्रबंधन होना था। संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान, सब कुछ इसमें शामिल था। अनुबंध के अनुसार भागलपुर और गया में साझा उपचार संयंत्र (CBWTF) लगने थे।

❖ **सेम्बरामकी एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट से अनुबंध (2 जुलाई 2010) :-** इसी तरह मेसर्स सेम्बरामकी एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट प्रा. लि. से अनुबंध हुआ। इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये 15 जिले शामिल थे। संयंत्र मुजफ्फरपुर में लगना था।

दोनों अनुबंधों के शीर्षक में ही लिखा है : "Providing Services of Hospital Waste Treatment and Disposal in all Private & Government Health Facilities up to PHCs"। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की हर सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाई इसके दायरे में थी। इन अनुबंधों की तीन शर्तें इस पड़ताल के लिए सबसे अहम हैं :

❖ **अनुबंध की तीन अहम शर्तें :-**

☞ पहली, भुगतान की दर तय थी। 7 से अधिक बिस्तर वाले संस्थानों के लिए 4.77 रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन, छोटे संस्थानों के लिए 810 रुपये प्रति माह, और कुछ श्रेणियों के लिए 23.40 रुपये प्रति किलो। हर वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी था।

☞ दूसरी, अनुबंध की धारा 4.3(b)(iv) कहती है कि सेवा प्रदाता अपने क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को "non-chlorinated bags and PP Containers free of cost" यानी मुफ्त देगा, और इनकी कीमत ऊपर की दरों में शामिल है।

☞ तीसरी, धारा 5.2 के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध की 10 वर्ष की अवधि या उसके विस्तार तक "earmarked area" में कोई दूसरी जैव-चिकित्सा कचरा उपचार और निपटान सुविधा स्थापित नहीं करेगी, बशर्ते सेवा प्रदाता की सुविधा सक्षम हो।

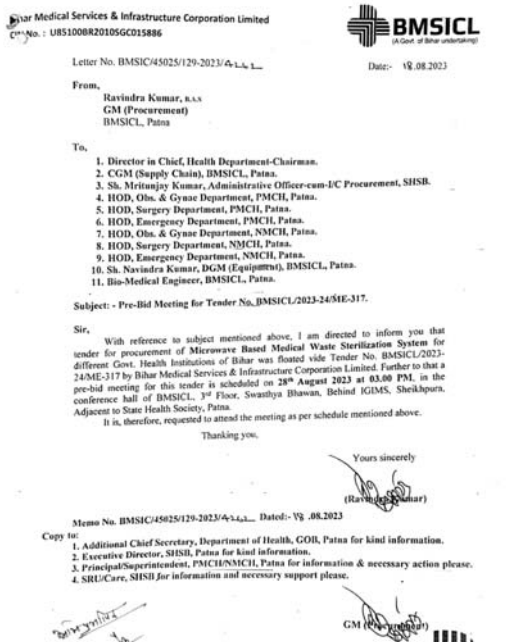
Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No. : U85100BR2010SGC015886

BMSICL
(A Govt. of Bihar undertaking)

Letter No. BMSIC/45025/129-2023/ Date:- ₹.08.2023

From,
Ravindra Kumar, IAAS
GM (Procurement)
BMSICL, Patna

To,
1. Director in Chief, Health Department-Chairman.
2. CGM (Supply Chain), BMSICL, Patna.
3. Sh. Mritunjay Kumar, Administrative Officer-cum-I/C Procurement, SHSB.
4. HOD, Obs. & Gynae Department, PMCH, Patna.
5. HOD, Surgery Department, PMCH, Patna.
6. HOD, Emergency Department, PMCH, Patna.
7. HOD, Obs. & Gynae Department, NMCH, Patna.
8. HOD, Surgery Department, NMCH, Patna.
9. HOD, Emergency Department, NMCH, Patna.
10. Sh. Navindra Kumar, DGM (Equipment), BMSICL, Patna.
11. Bio-Medical Engineer, BMSICL, Patna.

Subject: - Pre-Bid Meeting for Tender No. BMSICL/2023-24/ME-317.

Sir,

With reference to subject mentioned above, I am directed to inform you that tender for procurement of **Microwave Based Medical Waste Sterilization System** for different Govt. Health Institutions of Bihar was floated vide Tender No. BMSICL/2023-24/ME-317 by Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited. Further to that a pre-bid meeting for this tender is scheduled on **28th August 2023 at 03.00 PM**, in the conference hall of BMSICL, 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Patna.

It is, therefore, requested to attend the meeting as per schedule mentioned above.

Thanking you,

Yours sincerely

(Ravindra Kumar)

Memo No. BMSIC/45025/129-2023/ Dated:- ₹.08.2023

Copy to:
1. Additional Chief Secretary, Department of Health, GOB, Patna for kind information.
2. Executive Director, SHSB, Patna for kind information.
3. Principal/Superintendent, PMCH/NMCH, Patna for information & necessary action please.
4. SRU/Care, SHSB for information and necessary support please.

GM (Procurement)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura,
Adjacent to State Health Society, Patna 800014, Bihar.
Phone/Fax: +91-6122283287, +91-6122283289
www.bmsicl.gov.in

❖ **आईजीआईएमएस-संगम मेडिसर्व अनुबंध (28 दिसंबर 2017) :-** बाकी पटना प्रमंडल के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना ने पीपीपी मोड में मेसर्स संगम मेडिसर्व प्रा. लि. से साझा उपचार संयंत्र का अनुबंध किया। इसमें पटना, भोजपुर (आरा), बक्सर, रोहतास, कैमूर और नालंदा जिलों की सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयाँ पंजीकृत बताई गई हैं। पटना के लिए दर 5.60 रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन और नालंदा के लिए 5.75 रुपये तय हुई। अनुबंध 10 वर्ष का है और पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें यह भी लिखा है कि एजेंसी रंग-कोड वाली थैलियाँ और "bins, trolley" जैसी सामग्री माँगने पर IGIMS द्वारा तय कीमत पर देगी। 5 मार्च 2024 को संगम मेडिसर्व ने नालंदा के सिविल सर्जन को एक पत्र लिखा। उसमें कहा गया है कि जिले के सरकारी पीएचसी पर जनवरी 2024 तक उसका 34,58,266 रुपये बकाया है और रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिनों की राशि 2016 से काटी जा रही है। विरोधाभास साफ है। जिस एजेंसी के साथ अनुबंध चल रहा था, उसके कुछ लाख रुपये रुके रहे और उसी दौर में एक दूसरी व्यवस्था पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हुए।

भारत सरकार के जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (BMWM Rules, 2016) के अनुसार, यदि किसी स्वास्थ्य संस्थान से 75 किलोमीटर के भीतर साझा उपचार सुविधा (CBWTF) उपलब्ध है, तो वह अपने परिसर में कचरा उपचार सुविधा स्थापित नहीं करेगा। अपवाद केवल कुछ खास तरह के कचरे के लिए है, जैसे प्रयोगशाला कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी कचरा और रक्त की थैलियाँ। इनका पूर्व-उपचार (pre-treatment) स्रोत पर ही करना होता है। फरवरी 2026 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के एक अधिकारी ने बताया था कि राज्य में कचरा उपचार के चार नोडल केंद्र काम कर रहे हैं। ऊपर के अनुबंध भी चार ठिकानों की बात करते हैं: मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पटना।

इसलिए पहला सवाल सीधा है। राज्य स्वास्थ्य समिति पूरे राज्य के लिए कचरा-निपटान

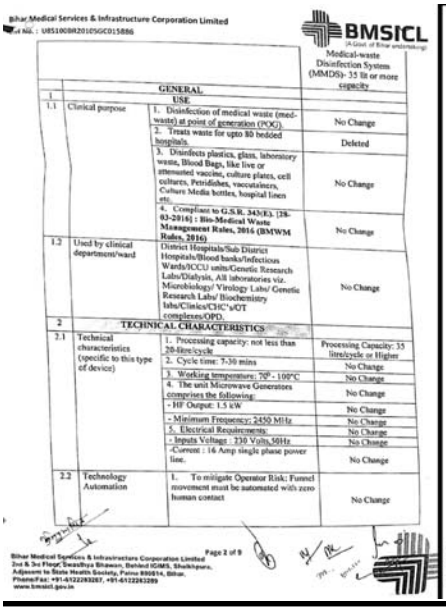
Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

			Medical-waste Disinfection System (MMDS)- 35 lit or more capacity
1	GENERAL		
1.1	Clinical purpose	1. Disinfection of medical waste (medwaste) at point of generation (POG)).	No Change
		2. Treats waste for upto 80 bedded hospitals.	Deleted
		3. Disinfects plastics, glass, laboratory waste, Blood Bags, like live or attenuated vaccine, culture plates, cell cultures, Petridishes, vaccutainers, Culture Media bottles, hospital linen etc.	No Change
		4. Compliant to G.S.R. 343(E). [28-03-2016] : Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (BMWM Rules, 2016)	No Change
1.2	Used by clinical department/ward	District Hospitals/Sub District Hospitals/Blood banks/Infectious Wards/ICCU units/Genetic Research Labs/Dialysis, All laboratories viz. Microbiology/ Virology Labs/ Genetic Research Labs/ Biochemistry labs/Clinics/CHC's/OT complexes/OPD.	No Change
2	TECHNICAL CHARACTERISTICS		
2.1	Technical characteristics (specific to this type of device)	1. Processing capacity: not less than 20-litre/cycle	Processing Capacity: 35 litre/cycle or Higher
		2. Cycle time: 7-30 mins	No Change
		3. Working temperature: 70° - 100°C	No Change
		4. The unit Microwave Generators comprises the following:	No Change
		- HF Output: 1.5 kW	No Change
		- Minimum Frequency: 2450 MHz	No Change
		5. Electrical Requirements:	No Change
		- Inputs Voltage : 230 Volts,50Hz	No Change
		-Current : 16 Amp single phase power line.	No Change
2.2	Technology Automation	1. To mitigate Operator Risk: Funnel movement must be automated with zero human contact	No Change

Page 2 of 9

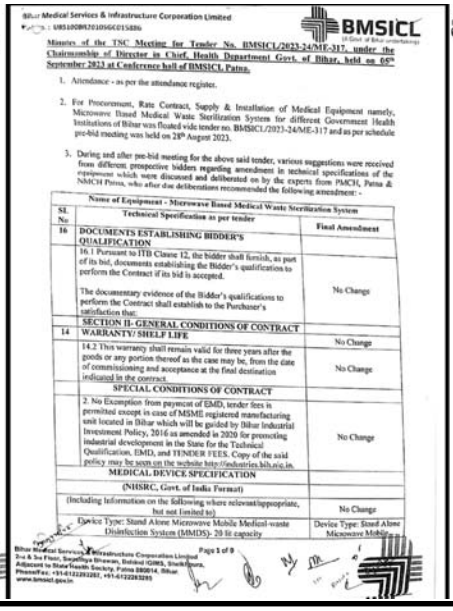
Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

Minutes of the TSC Meeting for Tender No. BMSICL/2023-24/ME-317, under the Chairmanship of Director in Chief, Health Department Govt. of Bihar, held on 06th September 2023 at Conference hall of BMSICL, Patna.

1. Attendance - as per the attendance register.

2. For Procurement, Rate Contract, Supply & Installation of Medical Equipment namely, Microwave Based Medical Waste Sterilization System for different Government Health Institutions of Bihar was floated vide tender no. BMSICL/2023-24/ME-317 and as per schedule pre-bid meeting was held on 28th August 2023.

3. During and after pre-bid meeting for the above said tender, various suggestions were received from different prospective bidders regarding amendment in technical specifications of the equipment which were discussed and deliberated on by the experts from PMCH, Patna & NMCH Patna, who after due deliberations recommended the following amendment: -

Name of Equipment - Microwave Based Medical Waste Sterilization System

Sl. No	Technical Specification as per tender	Final Amendment
16	DOCUMENTS ESTABLISHING BIDDER'S QUALIFICATION	
	16.1 Pursuant to ITB Clause 12, the bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the Bidder's qualification to perform the Contract if its bid is accepted.	No Change
	The documentary evidence of the Bidder's qualifications to perform the Contract shall establish to the Purchaser's satisfaction that:	
	SECTION II- GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT	
14	WARRANTY/ SHELF LIFE	No Change
	14.2 This warranty shall remain valid for three years after the goods or any portion thereof as the case may be, from the date of commissioning and acceptance at the final destination indicated in the contract	No Change
	SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT	
	2. No Exemption from payment of EMD, tender fees is permitted except in case of MSME registered manufacturing unit located in Bihar which will be guided by Bihar Industrial Investment Policy, 2016 as amended in 2020 for promoting industrial development in the State for the Technical Qualification, EMD, and TENDER FEES. Copy of the said policy may be seen on the website http://industries.bih.nic.in.	No Change
	MEDICAL DEVICE SPECIFICATION	
	(NHSRC, Govt. of India Format)	
	(Including Information on the following where relevant/appropriate, but not limited to)	No Change
	Device Type: Stand Alone Microwave Mobile Medical-waste Disinfection System (MMDS)- 20 lit capacity	Device Type: Stand Alone Microwave Mobile

Page 1 of 9

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

4. Accordingly, it was unanimously decided to recommend for the above-mentioned amendments in the specifications of the equipments. The meeting thus concluded with vote of thanks.

(Sh. Girish Kumar) Manager (Equipment) BMSICL, Patna

(Sh. Navindra Kumar) DGM (Equipment) BMSICL, Patna

(Dr. Babita Kumari) Assistant Prof. Obs. & Gynae Department, NMCH, Patna

(Dr. Neena Agrawal) Senior Resident, Obs. & Gynae Department, PMCH, Patna

(Dr. Manoj Kumar jayaswal) Assistant Prof. Surgery Dept. NMCH Patna

(Dr. Deepika) Assistant Prof. Surgery Dept. PMCH Patna

(Sh. Mritunjay Kumar) I/C Procurement, SHSB, Patna

(Sh. Ravindra Kumar) GM (Procurement) BMSICL, Patna

(Sh. Naja Hussain) CGM (Supply Chain) BMSICL, Patna

Director in Chief, Dept. of Health, Govt. of Bihar

Page 9 of 9

का अनुबंध कर चुकी थी, जिसमें थैलियाँ और कंटेनर मुफ्त मिलने थे और अधिकतर जिले नियमों के 75 किलोमीटर वाले दायरे में थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ही दूसरी एजेंसी BMSICL ने अस्पतालों में अलग माइक्रोवेव मशीनें, थैलियाँ, डस्टबिन और ट्रॉलियाँ खरीदने की निविदा किस आवश्यकता-आकलन के आधार पर निकाली? उपलब्ध अभिलेखों में ऐसा कोई अध्ययन, कोई गैप-एनालिसिस या कोई नीतिगत निर्णय नहीं मिलता जो बताए कि साझा उपचार व्यवस्था विफल थी और उसका विकल्प यही था। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने ही अनुबंधों में दूसरी सुविधा न लगाने का वचन दिया था। इसके बावजूद समिति ने इस समानांतर खरीद पर कोई आपत्ति दर्ज की हो, ऐसा कोई अभिलेख भी सामने नहीं आया है।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने ही अनुबंधों में दूसरी सुविधा न लगाने का वचन दिया था।

❖ **निविदा ME-317: माँगा क्या गया था?** :- BMSICL ने 17 अगस्त 2023 को निविदा संख्या BMSICL/2023-24/ME-317 प्रकाशित की। उस समय निगम के प्रबंध निदेशक श्री दिनेश कुमार थे। निविदा के आमंत्रण पत्र (IFB) और "Schedule of Requirements" में केवल एक मद है: "Microwave Based Medical Waste Sterilization System", मात्रा 09, धरोहर राशि 7 लाख रुपये। साथ में यह टिप्पणी भी है कि दर-अनुबंध की अवधि में जरूरत के हिसाब से मात्रा घट-बढ़ सकती है। तकनीकी विशिष्टता से इस मशीन की प्रकृति साफ हो जाती है :

❖ **मूल निविदा में मशीन की विशिष्टता**

☞ उद्देश्य : "Disinfection of medical waste at point of generation (POG)", यानी कचरा जहाँ पैदा हो, वहीं उसे निष्क्रिय करना।

☞ क्षमता : "Treats waste for upto 80 bedded hospitals", यानी 80 बिस्तर तक के अस्पताल के लिए।

☞ प्रोसेसिंग क्षमता: "not less than 20-litre/cycle", यानी एक चक्र में कम से कम 20 लीटर।

☞ आकार: "Desktop Model; Ideal for Point of Generation Treatment", आयाम 905 X 1065 X 680 मिमी।

☞ सहायक सामग्री (Accessories, धारा 5.1): "2 microwaveable plastic, customised Bin: 20 Lit capacity", यानी हर मशीन के साथ 20 लीटर के दो डिब्बे।

☞ वारंटी: 2 वर्ष।

ऑडिट के अनुसार यह माँग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा और ANMCH गया के अनुरोध से शुरू हुई थी। कागज पर यह छोटी, मेज पर रखी जाने वाली मशीन है, जिसे आम बोलचाल में 'माइक्रोवेव मोबाइल मेडिकल-वेस्ट डिसइन्फेक्शन सिस्टम' कहा जाता है। यह बड़े संयंत्र का विकल्प नहीं है। यह प्रयोगशाला, रक्त-बैंक या संक्रामक वार्ड जैसे स्थानों पर कचरे को निष्क्रिय करने का उपकरण है। अगर ऐसी 9 मशीनें प्रयोगशाला और रक्त-बैंक जैसे विशेष कचरे के लिए खरीदी जातीं, तो नियमों की नजर से इसका कुछ औचित्य बन सकता था। सवाल तब उठता है जब 20 लीटर क्षमता की 9 मशीनों की निविदा से 1.27 लाख से अधिक डस्टबिन और एक करोड़ से अधिक थैलियों की खरीद निकल आती है।

❖ **सरकारी निविदा में एक ब्रांड का नाम** :- निविदा दस्तावेज की तकनीकी विशिष्टता में धारा 12.3 "Consumables-Accessories" है। इसमें जो लिखा है, वह किसी सामान्य सरकारी विवरण जैसा नहीं, बल्कि किसी कंपनी की उत्पाद-पुस्तिका जैसा पढ़ता है :

☞ Maser Bins for Microwave-Customized Microwave compatible Bins for dedicated utility with OptiMaser-Available Capacities: 20 L/45 L/75 L- Models: Maser Bin-10/Maser Bin-30/Maser Bin-60

☞ Maser Trolley – Stainless Steel… Customized Maser Trolley for transportation of Maser Bins

☞ Process Recorder Print Media – Thermal Paper Rolls … customized for use with Opti Maser

'ऑप्टिमेसर' (OptiMaser) एक व्यावसायिक ब्रांड है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों (बायोवॉयस न्यूज, बायोस्पेक्ट्रम इंडिया) के अनुसार यह एसएस मेडिकल सिस्टम्स (SSMED) का माइक्रोवेव आधारित कचरा-निष्क्रियकरण उपकरण है। 2017 में इसके लिए सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (IITR), लखनऊ के साथ समझौता हुआ था, जिस पर कंपनी की ओर से कार्यकारी निदेशक मोनिश भंडारी ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में निविदा में मेसर्स एस. एस. मेडिकल सिस्टम (I) प्रा. लि. ने जो उपकरण पेश किया, वह "Make-SSMED, Model-Optimaser 30" था। यही कंपनी L-1 घोषित हुई।

सरकारी खरीद के सामान्य सिद्धांत (केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश और सामान्य वित्तीय नियम) कहते हैं कि विशिष्टता किसी एक ब्रांड के अनुरूप नहीं बनाई जानी चाहिए। फिर भी निविदा जारी होने के दिन से ही उसमें एक बोलीदाता के उत्पाद का नाम और मॉडल-संख्या मौजूद थी। यही धारा बताती है कि 45 और 75 लीटर के डिब्बों का जिक्र शुरू से निविदा में था। मुख्य मशीन के साथ केवल 20 लीटर के दो डिब्बे देने थे। बड़े डिब्बे "Accessories on Purchase" (धारा 12.3) के तहत "अतिरिक्त मात्रा के लिए अलग से" उद्धृत किए जाने वाले वैकल्पिक सामान थे।

❖ **शुद्धि-पत्रः पात्रता की शर्तें हटा दी गईं** :- 28 अगस्त 2023 को प्री-बिड बैठक हुई, जिसमें 11 संभावित बोलीदाता शामिल हुए। BMSICL के अपने प्रतिवेदन के अनुसार बैठक में "विभिन्न निविदादाताओं के माध्यम से प्राप्त सुझाव" के आधार पर 5 सितंबर 2023 को तकनीकी विशिष्टता समिति (TEC) की बैठक हुई। ऑडिट के अनुसार इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने की थी। फिर शुद्धि-पत्र-1 (Corrigendum-I) जारी हुआ, जो ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 14 सितंबर 2023 को अपलोड हुआ (कुछ अभिलेखों में इसकी तिथि 13 सितंबर दर्ज है)। प्रधान महालेखाकार के ऑडिट प्रेक्षण और BMSICL के अभिलेखों के आधार पर तैयार तुलनात्मक विवरण के अनुसार ये बदलाव हुए :

❖ **शुद्धि-पत्र-1 में क्या बदला** :- धारा 10.1, OEM टर्नओवरः पिछले तीन वर्षों में औसत न्यूनतम 10 करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी तरह हटा दी गई। धारा 10.2, पूर्व अनुभवः पिछले दो वर्षों में सरकारी संस्थानों में कम से कम 20 इंस्टॉलेशन और एम्स में इंस्टॉलेशन को वरीयता, यह शर्त भी पूरी तरह हटा दी गई। धारा 1.1(2), "80 बिस्तर तक के अस्पताल" वाली उपयोगिता हटा दी गई। धारा 3.1, मशीन का निर्धारित आयाम हटा दिया गया।

BMSICL

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited, 2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Patna 800023, Phone/Fax: +91612 2283287,+ 91612 2283288

Corrigendum-I

Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited (BMSICL) had invited E-Bids from the interested parties for the procurement, rate contract and the supply of medical equipment for different Govt. Institutions of Bihar vide Notice Inviting Tender No.- BMSICL/2023-24/ME-317. During and after Pre-bid meeting various suggestions were received from different prospective bidders regarding amendment in technical specification of equipment which were discussed and deliberated on by the experts, who after due deliberation recommended certain amendments in the technical specification of the equipment, which are annexed as Annexure-I of this corrigendum. In order to facilitate maximum participation of bidders the tender schedule is being revised as follows:-

Tender Reference No.	**BMSICL/2023-24/ME-317**
Last date and time of submission of online bids	**18th September 2023 till 17:00 Hrs.**
Last date and time of submission of original documents of EMD, Tender Fee and Document	**19th September 2023 till 14:00 Hrs.**
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	**19th September 2023 (at 15:00 Hrs.) on the website of https:/eproc2.bihar.gov.in in the office of BMSICL**
Date and time of opening of financial Bids	**To be announced later on https:/eproc2.bihar.gov.in**

Note:-

1. **Bidders are advised to refer to the Annexure-I of this corrigendum before submission of bid.**
2. **Those who have submitted their bids are requested to re-submit their bids in accordance with this corrigendum.**

Annexed:- as above

Sd/-
GM (Procurement)
BMSICL

☞ **क्षमता** :- 20 लीटर की जगह "35 लीटर या अधिक"।

☞ **सहायक डिब्बे** :- 20 लीटर के 2 डिब्बों की जगह "35 लीटर या अधिक" के डिब्बे।

❖ **दक्षता परीक्षण रिपोर्ट** :- "निविदा से कम से कम एक वर्ष पहले जारी" रिपोर्ट की शर्त बदलकर "निविदा प्रकाशन तिथि के बाद" जारी रिपोर्ट भी मान्य कर दी गई। वारंटी 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की गई।

ऑडिट ने लिखा है कि धारा 1.1(2), 3.1 और 10.1 जैसे पात्रता मानदंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र संसाधन केंद्र (NHSRC), भारत सरकार के मानक प्रारूप के अनुसार थे। उन्हें हटाने का कोई औचित्य निगम के अभिलेख में नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 14 सितंबर 2026 के पत्र में BMSICL की नोटशीट के हवाले से कहा है कि विशिष्टताएँ "बोलीदाताओं से ई-मेल पर मिले सुझावों" के आधार पर बदली गईं।

टर्नओवर की शर्त का हटना खास तौरपर ध्यान खींचता है। शिकायतकर्ता के 6 सितंबर 2026 के पत्र के अनुसार एस.एस. मेडिकल सिस्टम इंडिया प्रा. लि. का वार्षिक टर्नओवर 2023 में लगभग 9 करोड़ रुपये था, जो 2026 तक करीब 400 करोड़ रुपये पहुँच गया। अगर 2023 का आँकड़ा सही है, तो 10 करोड़ रुपये औसत टर्नओवर की मूल शर्त पर यही कंपनी अयोग्य हो सकती थी।

❖ **चार दिन, दो कार्य-दिवसः शुद्धि-पत्र किसके लिए?** :- इस निविदा की सबसे गंभीर गड़बड़ी केवल शर्तें बदलने में नहीं, बल्कि उस समय-सारिणी में है जिसके भीतर शर्तें बदली गईं। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (eproc2.bihar.gov.in) के "Tenders with Corrigendum" खंड, प्री-बिड बैठक के सूचना-पत्र, तकनीकी विशिष्टता समिति (TEC) के कार्यवृत्त और शुद्धि-पत्र-1 को एक साथ रखने पर यह क्रम बनता है :

तारीख		क्या हुआ
18.08.2023	-	पोर्टल पर निविदा (Tender No.-40779) प्रकाशित। उसी दिन महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रवीन्द्र कुमार ने पत्रांक BMSIC/45025/129-

2023/4262 से प्री-बिड बैठक की सूचना भेजी।

28.08.2023 – BMSICL के सभाकक्ष में प्री-बिड बैठक।

05.09.2023 – निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में TEC की बैठक। PMCH और NMCH के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने संशोधनों की सिफारिश की और कार्यवृत्त पर उसी दिन हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर करने वालों में BMSICL के प्रबंधक (उपकरण) गिरीश कुमार, उप महाप्रबंधक (उपकरण) नवीन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रवीन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति शृंखला) नजर हुसैन और राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिप्राप्ति प्रभारी मृत्युंजय कुमार शामिल हैं।

06 से 13.09.2023– नौ दिन तक संशोधन पोर्टल पर नहीं आए।

14.09.2023 (गुरुवार) – पोर्टल पर शुद्धि-पत्र संख्या-12287 (Corrigendum-I) और उसकी फाइल CorrigendumI317-pdf अपलोड हुई।

18.09.2023 (सोमवार), शाम 5 बजे – ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम समय-सीमा।

19.09.2023 – दोपहर 2 बजे तक EMD, निविदा शुल्क और मूल दस्तावेज जमा करने थे और 3 बजे तकनीकी बोली खुलनी थी।

यानी बदली हुई शर्तों के हिसाब से बोली तैयार करने के लिए बोलीदाताओं को लगभग चार दिन मिले। इनमें 16 और 17 सितंबर शनिवार-रविवार थे। व्यावहारिक रूप से केवल दो कार्य-दिवस बचे : 15 और 18 सितंबर। शुद्धि-पत्र में यह भी लिखा है कि जो बोलीदाता पहले ही बोली जमा कर चुके थे, वे नई शर्तों के अनुसार दोबारा बोली जमा करें। विडंबना यह है कि शुद्धि-पत्र स्वयं कहता है कि समय-सारिणी "अधिकतम भागीदारी" सुनिश्चित करने के लिए संशोधित की जा रही है। जब समिति का निर्णय 5 सितंबर को हो चुका था, तो उसे पोर्टल पर डालने में नौ दिन क्यों लगे? और जब देर हो ही गई, तो अंतिम तिथि उसी अनुपात में आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई?

BMSICL की खरीद नियमावली (Procurement Manual) में प्रावधान है कि निविदा की शर्तों में बदलाव कर शुद्धि-पत्र जारी किया जाए, तो बोलीदाताओं को कम से कम 15 दिन का समय देना होता है। अगर यह प्रावधान लागू होता है, तो 14 सितंबर के शुद्धि-पत्र के बाद ऑनलाइन बोली की अंतिम तिथि कम से कम 29 सितंबर होनी चाहिए थी, न कि 18 सितंबर। सार्वजनिक खरीद का सामान्य सिद्धांत भी यही है कि विशिष्टता में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद सभी बोलीदाताओं को नए सिरे से तैयारी का उचित समय मिले, ताकि बदलाव किसी एक बोलीदाता को बढ़त न दे। नियमावली की संबंधित धारा का मूल पाठ जाँच में निर्णायक होगा। महालेखाकार ने भी इसी निविदा में नियमावली की समय-सीमाओं के बार-बार उल्लंघन को दर्ज किया है (देखें खंड 8)।

5 सितंबर को तय संशोधन, 14 सितंबर को पोर्टल पर और 18 सितंबर को बोली की अंतिम तिथि।

❖ **चार दिन में कौन-सी शर्तें पूरी करनी थीं :-** TEC के कार्यवृत्त से साफ है कि बदलाव मामूली नहीं थे। कुछ बदलाव ऐसे थे जिन्हें चार दिन में पूरा करना किसी ऐसे बोलीदाता के लिए लगभग असंभव था जिसकी तैयारी पहले से न हो :

☞ **दक्षता परीक्षण रिपोर्ट (धारा 2.6) :-** मूल शर्त थी कि सभी कीटाणुनाशन-चक्रों (जैव-चिकित्सा कचरा, ब्लड बैग, बैक्टेक बोतल, लिनन, प्रयोगशाला कचरा, टीबी बलगम, N-95 और पीपीई किट) की दक्षता CSIR/ICMR/NCDC से प्रमाणित हो और रिपोर्ट निविदा से कम से कम एक वर्ष पुरानी हो। संशोधन में CPCB-अनुमोदित प्रयोगशाला जोड़ी गई और शर्त रखी गई कि रिपोर्ट "निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद" जारी हुई हो, यानी 18 अगस्त 2023 के बाद की नई रिपोर्ट। जिस बोलीदाता के पास 14 सितंबर तक ऐसी रिपोर्ट पहले से न हो, वह चार दिन में सभी चक्रों की प्रयोगशाला-जाँच कराकर रिपोर्ट नहीं ला सकता था। सवाल यह है कि 18 अगस्त से 14 सितंबर के बीच ऐसी ताजा रिपोर्ट किसके पास थी और क्या किसी को पहले से पता था कि शर्त इस रूप में बदलेगी?

☞ **एक ही शुद्धि-पत्र में विरोधाभासी शर्तें :-** उसी कार्यवृत्त की धारा 7.1(3) का संशोधित पाठ अब भी कहता है कि रिपोर्ट "निविदा प्रकाशन से कम से कम एक वर्ष पहले" जारी हुई हो। यानी एक धारा कहती है रिपोर्ट निविदा के बाद की हो, दूसरी कहती है एक वर्ष पहले की। ऐसी शर्तें मूल्यांकन समिति को अपनी सुविधा से किसी को भी योग्य या अयोग्य ठहराने की गुंजाइश देती हैं।

☞ **क्षमता (धारा 2.1) :** "कम से कम 20 लीटर प्रति चक्र" की जगह "35 लीटर प्रति चक्र या अधिक"। 20 लीटर मॉडल पर बोली की तैयारी कर रहा निर्माता चार दिन में नया मॉडल नहीं ला सकता।

☞ प्रमाणन (धारा 7.1(4)): केवल CE प्रमाणन की जगह ISO

मंगल पाण्डे

निलेश रामचंद्र देवरे

कुमारी सीमा

Minutes of Technical Committee Meeting for Evaluation of Demonstration Sheet for Tender No. BMSICL/2022-23/ME-317 held on 29th December 2023 at Conference hall of BMSICL, Patna.

1. Attendance - As per the attendance register.

2. In the TEC meeting dated 26.10.2023, It was decided unanimously to recommend for demonstration of the equipment **Microwave Based Medical Waste Sterilization System** for which the following bidders were found technically qualified:-

Sl. No	Name of Equipment	Name of Bidders	Status
1	Microwave Based Medical Waste Sterilization System	M/s Nuzen Associates Pvt. Ltd.	Bidder is technically qualified
		M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd.	Bidder is technically qualified

3. Accordingly, the demonstration of medical equipment namely Microwave Based Medical Waste Sterilization System of the qualified bidders was held on 27.12.2023 as per schedule. The technically qualified firms namely M/s Nuzen Associates Pvt. Ltd and M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd. demonstrated their quoted model of equipment in presence of committee consisting of experts from PMCH, Patna, NMCH Patna and BMIMS Pawapuri, Nalanda.

4. After perusal of demonstration report by the committee in todays' meeting, the equipment wise/firm wise status was found as following:-

Sl. No.	Name of Equipment	Name of Bidders	Make & model of the quoted Equipment	Remarks
1	Microwave Based Medical Waste Sterilization System	M/s Nuzen Associates Pvt. Ltd.	**Make**- MACS by Forsta Medtech Pvt. Ltd. **Model**- Sterilsmart 400	**Technically Qualified**
		M/s S. S. Medical System (I) Pvt. Ltd.	**Make**- SSMED **Model**- Optimaser 30	**Technically Qualified**

9001: 2015 निर्माता और उत्पाद के लिए NABCB/IAF मान्यता प्राप्त एजेंसी से ISO 13485 : 2016 या 4 अंकों वाले Notified Body सहित EU CE, BIS या US FDA।

☞ डिब्बे और थैलियाँ (धारा 5.1 व 12.3): 20 लीटर की जगह "35 लीटर या अधिक"।

ध्यान देने की बात यह भी है कि विशेषज्ञों की इसी समीक्षा में धारा 12.3 के "Maser Bins … with OptiMaser", "Maser Bin-10/30/60", "Maser Trolley" और "Opti Maser" वाले ब्रांड-विशिष्ट पाठ की हर पंक्ति के आगे "No Change" लिखा गया। यानी जिस समिति ने टर्नओवर और अनुभव की शर्तें पूरी तरह हटा दीं, उसने निविदा से एक बोलीदाता के ब्रांड का नाम हटाने की जरूरत नहीं समझी।

❖ **नतीजा : पाँच बाहर, दो कथित रूप से जुड़ी कंपनियाँ अंदर** :- इस समय-सारिणी का असर तकनीकी मूल्यांकन में दिखता है (विस्तार अगले खंड में)। सात में से पाँच फर्में अयोग्य हुईं और उनकी अयोग्यता के कारण वही हैं जो जल्दबाजी और अधूरी तैयारी की ओर इशारा करते हैं। तीन फर्मों (ट्राइमेड एसोसिएट्स, ग्लोबल मेडिकल और एम.डब्ल्यू. ओवरसीज) की ऑनलाइन बोली या शुल्क जमा नहीं हुआ। यूनिसेफ सिस्टम्स ऑफलाइन बैंक गारंटी जमा नहीं कर सकी, जिसकी अंतिम समय-सीमा 19 सितंबर दोपहर 2 बजे थी। हरेश एजेंसीज ISO 13485 समेत दस्तावेजों की कमी पर बाहर हुई, जबकि ISO 13485 की शर्त का रूप इसी शुद्धि-पत्र में बदला गया था।

☞ **केवल दो फर्में योग्य बचीं** :- एस.एस. मेडिकल सिस्टम (I) प्रा. लि. और न्यूजेन एसोसिएट्स, जिनके उत्पाद-निर्माताओं (SSMED और फोर्स्टा मेडटेक) के बीच निदेशकीय और पारिवारिक संबंध का आरोप है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह संयोग नहीं था। उनके अनुसार शर्तें इस तरह बदली गईं और समय इतना कम रखा गया कि केवल वही बोलीदाता तैयार रह सके जिसे बदलावों की पहले से जानकारी थी और इसका सीधा लाभ एस.एस. मेडिकल सिस्टम (I) प्रा. लि. को मिला। यह आरोप है, सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन इसका उत्तर देने वाले अभिलेख BMSICL के पास हैं : 5 से 14 सितंबर के बीच शुद्धि-पत्र की संचिका किन अधिकारियों के पास रही; अंतिम तिथि न बढ़ाने का निर्णय किसने लिया; L-1 और L-2 ने जो दक्षता परीक्षण रिपोर्टें जमा कीं, वे किस प्रयोगशाला से और किस तारीख को जारी हुईं; और अगर कोई रिपोर्ट 18 अगस्त के बाद पर 14 सितंबर से पहले की है, तो शुद्धि-पत्र आने से पहले ही उस बोलीदाता ने नई शर्त के अनुरूप जाँच क्यों करा ली थी?

❖ **सात में से दो और दोनों के पीछे एक ही परिवार?** :- 20 सितंबर 2023 को तकनीकी बोलियाँ खुलीं और सात फर्मों की बोलियाँ मिलीं। 26 अक्टूबर 2023 की तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की बैठक में पाँच फर्में अयोग्य घोषित हुईं :

☞ मेसर्स हरेश एजेंसीज : पार्टनरशिप डीड, प्रदर्शन विवरण, ISO 13485 आदि की कमी।

☞ मेसर्स यूनिसेफ सिस्टम्स (I) प्रा. लि. : ऑफलाइन बैंक गारंटी (EMD) प्रस्तुत न करना।

☞ मेसर्स ट्राइमेड एसोसिएट्स, मेसर्स ग्लोबल मेडिकल और मेसर्स एम. डब्ल्यू. ओवरसीज : ऑनलाइन बोली या शुल्क जमा न करना।

❖ **केवल दो फर्में योग्य बचीं** :-

योग्य फर्म		**मेक/मॉडल**
मेसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (I) प्रा. लि.	-	Make-SSMED, Model-Optimaser 30
मेसर्स न्यूजेन एसोसिएट्स प्रा. लि.	-	Make–MACS by Forsta Medtech Pvt. Ltd., Model-Sterilsmart 400

दोनों विनिर्माता कंपनियों (SSMED और फोर्स्टा मेडटेक) के निदेशक एक ही व्यक्ति, श्री मोनिश भंडारी हैं। उनके अनुसार यह "बिड-रिगिंग कार्टेल" का स्पष्ट मामला है, जिसमें दिखावटी प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ मिलकर सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

❖ **सार्वजनिक कंपनी-आँकड़े क्या कहते हैं** :- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के आँकड़ों पर आधारित निजी पोर्टल जौबाकॉर्प पर उपलब्ध जानकारी में निदेशकों की आवाजाही की तारीखें निविदा की तारीखों के आसपास दिखती हैं :

☞ फोर्स्टा मेडटेक प्रा. लि. (लखनऊ, निगमन 30 जून 2021): मोनिश भंडारी (DIN 01475547) 14 अगस्त 2023 से पूर्णकालिक निदेशक। यह निविदा प्रकाशन (17 अगस्त 2023) से तीन दिन पहले की तारीख है। प्रिया भंडारी 3 अगस्त 2023 को इस कंपनी के निदेशक पद से हटीं।

☞ एस.एस. मेडिकल सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि. : मोनिश भंडारी का निदेशक पद 28 अगस्त 2023 को समाप्त दिखता है। उसी दिन प्री-बिड बैठक हुई थी। फिर 15 मार्च 2024 से वे दोबारा निदेशक दर्ज हैं, यानी आशय-पत्र (24 जनवरी 2024) जारी होने के बाद और अनुबंध (अप्रैल 2024) से पहले। प्रिया भंडारी इस कंपनी में निदेशक बनी रहीं।

☞ एक अन्य प्रोफाइल-पोर्टल पर प्रिया भंडारी को एस.एस. मेडिकल सिस्टम्स की निदेशक और जून

2021 से अगस्त 2023 तक फोर्स्टा मेडटेक की सह-संस्थापक बताया गया है।

अगर ये तारीखें MCA के मूल अभिलेख से मेल खाती हैं, तो तस्वीर यह बनती है : निविदा के ठीक पहले और दौरान एक ही परिवार के सदस्य दोनों कंपनियों के बीच पद बदलते रहे, ताकि कागज पर कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों कंपनियों में निदेशक न दिखे। निविदा पूरी होते ही पुरानी स्थिति लौट आई। यह निष्कर्ष नहीं, एक गंभीर प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) या जाँच एजेंसी ही इसका उत्तर दे सकती है।

महालेखाकार के ऑडिट ने भी इस ओर इशारा किया है। उसके अनुसार न्यूजेन एसोसिएट्स के इंस्टॉलेशन दस्तावेजों में 'Forsta Medtech' का उल्लेख मिला, जिससे अपेक्षित प्रदर्शन के संदर्भ में अस्पष्टता (ambiguity) पैदा होती है। शिकायतकर्ता के अनुसार न्यूजेन एसोसिएट्स और एस.एस. मेडिकल सिस्टम्स एक ही व्यक्तियों (मनीष कुमार, शिव कुमार भगत) से जुड़े बताए जाते हैं। ***30 अगस्त 2026 के पत्र में शिव कुमार भगत को "डस्टबिन घोटाले का अभियुक्त आपूर्तिकर्ता" कहा गया है।***

कीमतों का पैटर्न भी देखने लायक है। वित्तीय बोली में एस.एस. मेडिकल ने प्रति मशीन 15,63,254.23 रुपये (GST रहित) उद्धत किए और न्यूजेन ने 20,80,169.49 रुपये, यानी लगभग 33 प्रतिशत अधिक। प्रतिस्पर्धा कानून की भाषा में इसे 'कवर बिडिंग' कहा जाता है: एक बोलीदाता जानबूझकर ऊँची बोली लगाता है ताकि दूसरा L-1 बने और प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी दिखे। 'मूल्य-औचित्य' (price justification) के नाम पर L-1 ने केवल 640 रुपये (GST सहित) की छूट दी। अंतिम दर 15,62,711.86 रुपये, यानी लगभग 18.44 लाख रुपये GST सहित, तय हुई। अपनी दर को सही ठहराने के लिए कंपनी ने दूसरे खरीदारों की दरें दिखाईं : केंद्रीय चिकित्सा भंडार, नई दिल्ली को 27.09 लाख और एक अर्धसैनिक बल को 24.10 लाख रुपये। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह 'मोल-भाव' औपचारिकता भर था।

❖ **नियमावली की समय-सीमाएँ टूटती रहीं** :- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार ने अपने प्रेक्षण (संदर्भ OBS-2433813) में दर्ज किया है कि निगम की खरीद नियमावली में तय हर समय-सीमा का उल्लंघन हुआ :

चरण	नियमावली के अनुसार	वास्तव में
प्री-बिड बैठक	7वें दिन	12वें दिन (28.08.2023)
संशोधन	बोली खुलने से 3 दिन पहले पूरा	तकनीकी बोली 34वें दिन खुली
तकनीकी मूल्यांकन	60वें दिन तक	70वें दिन (26.10.2023)
उपकरण का प्रदर्शन'	60वें दिन तक	133वें दिन (27.12.2023): 73 दिन की देरी
आशय-पत्र (LoI)	75वें दिन तक	161वें दिन (24.01.2024): 86 दिन की देरी

देरी अपने-आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब हर चरण में देरी हो, शर्तें बदलें और अंत में केवल दो जुड़ी हुई कंपनियाँ बचें, तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऑडिट ने यह भी लिखा है कि निगम ने बोलियों के मूल्यांकन में सहायता के लिए मेसर्स पीरामल स्वास्थ्य को रखा था और वह भी दस्तावेजों को निविदा मानदंडों के अनुसार जाँचने में चूक गई। यह वही पीरामल टीम है जो, निगम के अपने प्रतिवेदन के अनुसार, दवाओं के इंडेंट संकलित करने में भी सहायता करती है। प्रदर्शन के बाद 29 दिसंबर 2023 की तकनीकी समिति ने दोनों फर्मों को योग्य मानकर वित्तीय बोली खोलने की सिफारिश की। इस बैठक के कार्यवृत्त पर BMSICL के उप महाप्रबंधक (उपकरण) नवीन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रवीन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति शृंखला) नजर हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार और निदेशक प्रमुख सुनील कुमार झा के हस्ताक्षर हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंत में दर्ज है : "Reply has not been furnished by the management during Eñit Meeting", यानी इतनी गंभीर आपत्तियों पर भी निगम प्रबंधन ने एग्जिट मीटिंग में कोई उत्तर नहीं दिया।

राजनीतिक संदर्भ भी ध्यान देने योग्य है। निविदा अगस्त 2023 में

निकली और आशय-पत्र जनवरी 2024 में जारी हुआ। उस समय महागठबंधन सरकार थी और स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था। जून 2024 से खरीद-आदेश जारी हुए, तब एनडीए सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय थे। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने इसी आधार पर दोनों के कार्यकाल की जाँच की माँग की है। राजद मंगल पांडेय के कार्यकाल पर सवाल उठा रहा है।

❖ **दो वर्ष का दर-अनुबंध पंद्रह वर्ष का कैसे बना? :-** निविदा की विशेष शर्त (धारा 3) में साफ लिखा था कि उद्धत दरें अनुबंध पर हस्ताक्षर या आवंटन की सूचना से दो वर्ष तक वैध रहेंगी और आपसी सहमति से एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती हैं। आशय-पत्र की धारा 3. 2 में भी यही लिखा था। अप्रैल 2024 में कंपनी से जो अनुबंध हुआ, उसमें लिखा गया : "पाँच वर्ष की अवधि के लिए, पारस्परिक सहमति पर अथवा उपकरण के जीवनकाल तक 10 वर्ष के विस्तार के प्रावधान सहित"। ऑडिट के अनुसार निविदा की शर्तों के हिसाब से यह दर-अनुबंध अधिकतम 06.02.2026 तक ही वैध रहना चाहिए था। फरवरी और अप्रैल 2026 में जारी करोड़ों रुपये के आदेश (नीचे तालिका देखें) इसी अवधि के बाद के हैं।

2 वर्ष की जगह 5 वर्ष और फिर 10 वर्ष तक के विस्तार का मतलब है कि एक ही फर्म को डेढ़ दशक तक बिना नई प्रतिस्पर्धा के आदेश मिलते रहने का रास्ता अनुबंध में ही खोल दिया गया। यह बदलाव किस अधिकारी के स्तर पर और किसके अनुमोदन से हुआ, अनुबंध की संचिका से यह जानना जाँच का अहम बिंदु होना चाहिए।

❖ **मशीन 20 लीटर की, खरीद 75 लीटर के डस्टबिनों की :-** स्वास्थ्य विभाग ने 13 मई 2024 के आदेश (संचिका सं. 7/बजट-46-29/2021-29(7), अपर सचिव श्री शंभु शरण) से नौ संस्थानों के लिए 23 मशीनें स्वीकृत कीं : ANMCH गया 5, सदर अस्पताल औरंगाबाद 3, GMCH बेतिया 4, सदर अस्पताल जहानाबाद 3, VIMS पावापुरी 1, JLNMCH भागलपुर 1, JNKTMCH मधेपुरा 1, कैमूर 2 और सासाराम 3 । 25 जून 2024 को पहला खरीद-आदेश जारी हुआ। इसके बाद जून 2024 से अप्रैल 2026 के बीच एस.एस. मेडिकल सिस्टम को कुल 57 खरीद-आदेश जारी हुए। शिकायतकर्ता ने इनकी जो सूची संकलित की है, उसके अनुसार (GST रहित, BMSICL दर पर):

मद (जून 2024 – अप्रैल 2026, 57 ख़रीद-आदेश)	मात्रा (नग)	दर (₹, GST रहित)	कुल राशि
माइक्रोवेव बिन 75 लीटर	58,514	15,490	≈ ₹90.64 करोड़
माइक्रोवेव बिन 45 लीटर	69,248	11,474	≈ ₹79.46 करोड़
बायोडिग्रेडेबल बैग 75 लीटर	≈ 54.02 लाख	98	≈ ₹52.94 करोड़
बायोडिग्रेडेबल बैग 45 लीटर	≈ 52.01 लाख	69	≈ ₹35.89 करोड़
कुल (GST सहित ≈ ₹305.5 करोड़)			≈ ₹258.92 करोड़

सबसे बड़ा एकल दिन 16 अक्टूबर 2025 का रहा। उस दिन 25,000 नग 75 लीटर बिन (38.73 करोड़ रुपये), 25,000 नग 45 लीटर बिन (28.69 करोड़ रुपये) और दस-दस लाख थैलियों के आदेश मिलाकर लगभग 84.11 करोड़ रुपये के आदेश एक ही दिन जारी हुए। अब इन आँकड़ों को मशीनों की संख्या के सामने रखिए। स्वीकृति 23 मशीनों की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार BMSICL की नोटशीटों में बाद के "ऑनलाइन अधियाचनों" के आधार पर 10, 13, 31, 30, 29, 23 और 2 के बैचों में आदेश बढ़ते गए और कुल लगभग 136 मशीनें (करीब 25 करोड़ रुपये) आपूर्ति के रूप में दिखाई गई। मूल निविदा के अनुसार हर मशीन के साथ 20 लीटर के 2 डिब्बे आने थे। 136 मशीनें मान भी लें, तो 1,27,762 डिब्बों का अर्थ है प्रति मशीन लगभग 940

डिब्बे। अगर केवल स्वीकृत 23 मशीनें गिनें, तो प्रति मशीन 5,500 से अधिक डिब्बे।

❖ **136 मशीनें मान भी लें, तो प्रति मशीन लगभग 940 डिब्बे :-** माइक्रोवेव डिब्बे का एकमात्र उपयोग यही है कि उसमें कचरा भरकर मशीन के कक्ष में डाला जाए। जो मशीन एक चक्र में 20 से 35 लीटर कचरा संभालती है, उसके लिए 75 लीटर के 58 हजार से अधिक डिब्बे किस उपयोग के लिए खरीदे गए? और जिन अस्पतालों में मशीन है ही नहीं, वहाँ ये 'माइक्रोवेव-संगत' डिब्बे साधारण कूड़ेदान के अलावा क्या काम करेंगे? 28 जून 2026 के पत्र में शिकायतकर्ता ने ठीक यही पूछा था: जहाँ मशीन स्थापित नहीं है, वहाँ 75 लीटर बिन किस आधार पर खरीदे जा रहे हैं?

मशीनों की बात करें, तो 28 जून 2026 के पत्र के अनुसार 23 स्वीकृत मशीनों में से किसी के भी स्थापित होने या चालू होने का कोई इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र, कमीशनिंग रिपोर्ट या हैंडओवर दस्तावेज अभिलेख पर नहीं मिला। शिकायतकर्ता के भौतिक निरीक्षण में ANMCH गया, सदर अस्पताल जहानाबाद, CHC फुलवारी और NMCH पटना में एक भी मशीन नहीं मिली। 6 सितंबर के पत्र में सदर अस्पताल कैमूर (भभुआ) का नाम भी है।

स्टेनलेस स्टील 'मास्टर ट्रॉली' की दर 49,750 रुपये + 18% GST, यानी लगभग 58,705 रुपये प्रति नग रही। शिकायतकर्ता के अनुसार लगभग 2,034 ट्रॉलियाँ (करीब 11.94 करोड़ रुपये) आपूर्ति दिखाई गईं, जबकि बाजार में ऐसी ट्रॉली 5,000 रुपये से अधिक की नहीं होती। एस.एस. मेडिकल का 12 अगस्त 2026 का एक डिलीवरी चालान भी याचिका के साथ लगाया गया है। दरों का सवाल भी यहीं उठता है। महालेखाकार के ऑडिट के अनुसार बोलीदाता ने मशीन के साथ उपयोग होने वाली सहायक सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं की दरें भी उद्धत की थीं। लेकिन वित्तीय समिति की बैठक (09.01.2024) और मूल्य-औचित्य की पूरी चर्चा केवल मशीन की दर पर केंद्रित रही। जिन डिब्बों पर बाद

में लगभग 170 करोड़ रुपये खर्च हुए, उनकी दरों पर उस समय का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन, L-1 निर्धारण या मोल-भाव अभिलेख में नहीं दिखता। निविदा में ये "अलग से उद्धृत" किए जाने वाले वैकल्पिक सामान थे, यानी कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा उस चीज पर गया जिस पर बोली की असली प्रतिस्पर्धा हुई ही नहीं।

❖ **बाजार दर बनाम सरकारी दर, और दूसरा पक्ष :-** शिकायतकर्ता ने निजी क्षेत्र के चार आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन के औसत से तुलना की है। इसके अनुसार 75 लीटर बिन बाजार में लगभग 1,550 रुपये, 45 लीटर बिन 1,162.50 रुपये, 75 लीटर बैग 8.50 रुपये और 45 लीटर बैग 5. 75 रुपये का है। इस हिसाब से 258.92 करोड़ रुपये का सामान लगभग 24.70 करोड़ रुपये में आ सकता था, यानी लगभग 234 करोड़ रुपये (GST रहित) का अंतर। ध्यान रहे कि ये 'बाजार दरें' शिकायतकर्ता ने संकलित की हैं। इनका स्वतंत्र सरकारी सत्यापन अभी नहीं हुआ है और विशेष उच्च-तापरोधी प्लास्टिक के डिब्बे की तुलना सामान्य कूड़ेदान से करने पर आपत्ति भी उठ सकती है।

मद (प्रति नग)	BMSICL दर (रू.)	बाजार दर (रू)
माइक्रोवेव बिन 75 लीटर	15,490	1,550
माइक्रोवेव बिन 45 लीटर	11,474	1,162.50
बायोडिग्रेडेबल बैग 75 लीटर	98	8.50
बायोडिग्रेडेबल बैग 45 लीटर	69	5.75
स्टेनलेस स्टील ट्रॉली	49,750 + GST	5,000 से कम

❖ **पैसा कहाँ से आया : क्या दवा के पैसे से डस्टबिन? :-** यह इस प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के 28 नवंबर 2025 के पत्र (SHSB/GA/BMW/7274/2022/6238) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में जैव-चिकित्सा कचरे की खरीद के लिए जिलों, मेडिकल कॉलेजों या BMSICL को कोई अलग बजट आवंटित ही नहीं किया गया था। इसी दौर में करोड़ों रुपये के डस्टबिन-आदेश जारी हो रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये भुगतान औषधि खरीद मद से हुए। पटना उच्च न्यायालय में दाखिल पूरक हलफनामे के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की निःशुल्क दवा योजना के लगभग 35 करोड़ रुपये माइक्रोवेव-आधारित कचरा डिब्बों के भुगतान में लगाए गए। हलफनामे के शब्दों में यह पैसा "गरीबों के लिए दवा खरीदने के लिए था" और यह "NHM फंड के गबन का स्पष्ट मामला" है।

दस्तावेजों में एक ठोस संकेत भी है। 57 खरीद-आदेशों में से अधिकतर "BMSICL/SURGICAL/..." शृंखला में हैं, लेकिन जुलाई 2024 के चार आदेश (BMSICL/DRUGS/2024-25/535 से 538) और अप्रैल 2026 के चार आदेश (BMSICL/DRUGS/2026-27/403 से 406) "DRUGS" यानी औषधि शृंखला में दर्ज हैं। अप्रैल 2026 के इन चार आदेशों की कुल राशि लगभग 34.75 करोड़ रुपये है। डिब्बे और थैलियाँ औषधि नहीं हैं, फिर ये आदेश औषधि शृंखला में क्यों दर्ज हुए और इनका भुगतान किस मद से हुआ? किस बोर्ड बैठक या किस सक्षम आदेश से दवा का पैसा कचरे के डिब्बों पर खर्च करने की अनुमति मिली? इसका उत्तर संबंधित भुगतान-संचिकाओं में ही मिलेगा।

डिब्बे और थैलियाँ औषधि नहीं हैं, फिर आदेश "DRUGS" शृंखला में क्यों?

❖ **विशेषः मनीष रंजन की भूमिका :-** यहीं से इस प्रकरण में राज्य स्वास्थ्य समिति के एक अधिकारी का नाम सामने आता है : श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक (औषधि), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार। दस्तावेजों में उनकी भूमिका तीन स्तरों पर दर्ज है। एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि उनके बारे में जो कुछ कहा गया है, वह शिकायतकर्ता के आरोप हैं, जिनकी जाँच होनी बाकी है।

2016 से साझा उपचार सुविधा के रूप में कचरा निपटान की स्थापित व्यवस्था मौजूद है, जो माइक्रोवेव प्रणाली की तुलना में बहुत सस्ती है। "Mr. Manish Ranjan, Assistant Director Drug in State Health Societies and Administrative officer who is in charge procurement knows all this and they are coordinating with BMSICL through DVDMS." इसके बाद जनवरी से मार्च 2026 के बीच NHM निःशुल्क दवा कोष के 35 करोड़ रुपये के 'डायवर्जन' का आरोप है। मनीष रंजन को पहले से मौजूद सस्ती व्यवस्था की जानकारी थी और वे DVDMS के जरिए BMSICL से तालमेल कर रहे थे।

❖ **BMSICL के अपने प्रतिवेदन से जुड़ती कड़ी :-** BMSICL ने 19 मार्च 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग को बिंदुवार प्रतिवेदन (पत्रांक 1389) भेजा। उसमें निगम ने दवा और उपकरण की खरीद प्रक्रिया पर लिखा है :

"औषधि, DVDMS Portal पर विभिन्न जिलों, MCH एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से Indent राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त होने के पश्चात निगम में पदस्थापित Piramal Team के सहयोग से Indent Compilation एवं क्रयादेश की मात्रा प्रदर्शित की जाती है। Indenting में BMSICL का कोई भूमिका नहीं होती है।" और बिंदु 10 में : "Indenting राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संकलित की जाती है, इसमें BMSICL की कोई भूमिका नहीं होती है।" उपकरणों के बारे में निगम कहता है कि उनकी खरीद अलग पोर्टल (EMMS) पर मिले ऑनलाइन अधियाचनों के आधार पर होती है। यानी निगम का आधिकारिक कहना है कि दवा मद की माँग (इंडेंट) राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर संकलित होती है, निगम उस पर केवल क्रयादेश जारी करता है। शिकायतकर्ता ने 30 अगस्त 2026 के पत्र में आपूर्ति शृंखला की मुख्य महाप्रबंधक कुमारी सीमा के एक उत्तर का हवाला दिया है। उस उत्तर के बिंदु 9 में यही प्रक्रिया बताई गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसमें यह संकेत भी था कि DVDMS प्रक्रिया में राज्य स्वास्थ्य समिति के सहायक निदेशक मनीष रंजन की मुख्य भूमिका है। इस कड़ी का महत्व समझिए। अगर डिब्बों और थैलियों के कुछ आदेश "DRUGS" शृंखला में गए, अगर उनका भुगतान औषधि मद से हुआ और अगर औषधि मद के इंडेंट राज्य स्वास्थ्य समिति में संकलित होते हैं, तो यह सवाल समिति के औषधि प्रभाग तक पहुँचता है : दवा पोर्टल पर कचरा-डिब्बों का इंडेंट किसने बनाया, किसने स्वीकृत किया और किसने आगे बढ़ाया? उस प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के रूप में मनीष रंजन का नाम इसी कारण केंद्र में आता है।

❖ **'फर्जी इंडेंट' का आरोप और हटाने की माँग :-** 30 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में शिकायतकर्ता का आरोप और गंभीर है: "Kumari Seema and Manish Ranjan have, by misusing forged letterheads of health institutions, caused fake indent entries to be made on the DVDMS Portal." यानी स्वास्थ्य संस्थानों के लेटरहेड का दुरुपयोग करके DVDMS पोर्टल पर फर्जी इंडेंट दर्ज कराए गए। पत्र में कुमारी सीमा को इसकी

"मुख्य भूमिका" वाला बताया गया है। साथ ही माँग की गई है कि कुमारी सीमा और मनीष रंजन को निष्पक्ष जाँच के लिए तुरंत उनके पदों से हटाया जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता के अनुसार ये "मिलकर काम कर रहे हैं" और जाँच को प्रभावित कर सकते हैं।

❖ **दोहरी भूमिका का विरोधाभास :-** मनीष रंजन से जुड़ा सबसे बड़ा विरोधाभास संस्थागत है। जिस राज्य स्वास्थ्य समिति ने 2010 में सिनर्जी और सेम्बरामकी के साथ पूरे राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के कचरा-निपटान का अनुबंध किया था, उसी ने अनुबंध की धारा 5.2 में अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में दूसरी उपचार सुविधा न लगाने का वचन दिया था, और उसी अनुबंध में थैलियाँ और कंटेनर मुफ्त देने की शर्त थी। अगर उसी समिति के औषधि प्रभाग से, शिकायत के अनुसार, समानांतर माइक्रोवेव व्यवस्था के डिब्बों और थैलियों के इंडेंट और भुगतान का रास्ता बना, तो सवाल केवल एक अधिकारी का नहीं, पूरी संस्था का है। समिति के कचरा-अनुबंध देखने वाले प्रभाग और औषधि प्रभाग के बीच कोई समन्वय क्यों नहीं दिखता? किसी ने यह क्यों नहीं पूछा कि जिस काम के लिए पहले से भुगतान हो रहा है, उसी के लिए दवा का पैसा क्यों लगाया जा रहा है?

❖ **जाँच एजेंसी और जनता को मनीष रंजन से इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए :-**

❖ **मनीष रंजन से पाँच प्रश्न:-**

☞ DVDMS पोर्टल पर माइक्रोवेव बिन और बायोडिग्रेडेबल बैग के इंडेंट किन संस्थानों से, किन तारीखों में और किन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से आए?

☞ क्या संस्थानों से आए इंडेंट का उनकी वास्तविक जरूरत (बिस्तर-संख्या, मशीन की उपलब्धता) से मिलान किया गया?

☞ जनवरी से मार्च 2026 में NHM नि:शुल्क दवा कोष से लगभग 35 करोड़ रुपये के जिस भुगतान का आरोप है, क्या वह हुआ? हुआ तो किस आदेश से?

☞ राज्य स्वास्थ्य समिति के 28.11.2025 के पत्र के अनुसार जब कचरा-खरीद का अलग बजट नहीं था, तो औषधि प्रभाग ने किस आधार पर इन वस्तुओं को अपनी माँग-सूची में शामिल होने दिया?

मंगल पाण्डे एवं मनीष रंजन

☞ क्या औषधि प्रभाग को पता था कि समिति के अपने CBWTF अनुबंधों में थैलियाँ और कंटेनर मुफ्त मिलने हैं?

❖ **आपूर्ति शृंखला, 'तेज भुगतान' और सबूत मिटाने के आरोप :-** 16 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (सतर्कता), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और BMSICL के प्रबंध निदेशक को पहला विस्तृत शिकायत-पत्र भेजा। उसमें आरोप है कि आपूर्ति शृंखला की मुख्य महाप्रबंधक कुमारी सीमा के निर्देशन में बिल-प्रक्रिया में भारी भेदभाव हुआ :

☞ सामान्य दवा आपूर्ति में सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (MRC) 5 से 10 दिन में बनता है, जबकि एस.एस. मेडिकल के मामले में उसी दिन या अगले दिन।

☞ दवाओं की गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट 30 से 60 दिन में आती है, जबकि इस फर्म के मामले में एक घंटे के भीतर ई-मेल से।

☞ दवा आपूर्ति के वाहनों को 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ता है, जबकि इस फर्म की खेप को तुरंत प्राथमिकता मिलती है।

शिकायतकर्ता ने 14 सितंबर 2026 को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, BMSICL के प्रबंध निदेशक और विशेष निगरानी इकाई (SVU) के एडीजी को पत्र लिखे। उनमें निगम की नोटसीटों के हवाले से कुछ और बातें कही गई हैं :

☞ स्वास्थ्य विभाग के पत्र 467 (7) दिनांक 08.02.2024 के अनुसार 10 लाख रुपये प्रति नग से महँगे उपकरण की खरीद से पहले विभाग या राज्य स्वास्थ्य समिति की पूर्व सहमति जरूरी है। फिर भी कई बैचों में केवल "मार्गदर्शन लिया जाए" लिखकर आदेश जारी कर दिए गए। सहमति-पत्र संचिका पर नहीं है।

☞ अनुमोदन एक-दो पंक्ति के रहे, जैसे "supply order may issue" और "approved", और अक्सर उसी दिन। पिछले बैच की मशीनें लगीं या नहीं, इसकी जाँच का कोई उल्लेख नहीं।

☞ अलग-अलग बैचों में एक ही संस्थान (GMCH बेतिया, JLNMCH भागलपुर, ANMCH गया, NMCH पटना) बार-बार दिखते हैं, पर कोई समेकित खाता-बही नहीं है कि किस संस्थान को कुल कितनी मशीनें मिलीं।

सबसे गंभीर आरोप सबूत मिटाने का है। 14 और 29 सितंबर 2026 के पत्रों में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जाँच शुरू होने के बाद अभिलेखों से छेड़छाड़ हो रही है और राज्य भर के अस्पतालों से "S.S. Medical System India Pvt. Ltd." ब्रांड वाले डस्टबिन चुपचाप हटवाए जा रहे हैं। उन्होंने कुमारी सीमा के निलंबन और सभी संस्थानों को डिब्बे और अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश देने की माँग की है। ये आरोप हैं और इनकी सच्चाई स्वतंत्र जाँच ही बता सकती है। फिर भी, अगर डिब्बे हटाए जा रहे हैं, तो भौतिक सत्यापन जितनी देर से होगा, उतना ही बेमानी होता जाएगा।

एक अलग प्रकरण में मार्च 2026 में विशेष निगरानी इकाई ने BMSICL के उप महाप्रबंधक (परियोजना) पंकज कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले (कांड सं. 10/2026) में छापा मारा था। उस मामले का डस्टबिन खरीद से कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है, पर इससे निगम की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठता है। 2023 में भी पीटीआई ने BMSICL की एक अन्य निविदा में दो 'योग्य' कंपनियों के एक-दूसरे के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करने और कार्टेलाइजेशन के आरोपों की खबर दी थी।

यह मामला केवल कुछ हजार रुपये के डिब्बे की कीमत का नहीं है। यह एक ऐसी खरीद-प्रक्रिया का मामला है जो पहले से चल रही सरकारी व्यवस्था के समानांतर खड़ी की गई, जिसकी निविदा में शुरू से एक ब्रांड का नाम था, जिसकी शर्तें बोली की अंतिम तिथि से केवल चार दिन पहले बदली गईं, जिसमें केवल दो कथित रूप से जुड़ी हुई कंपनियाँ बचीं, और जिसका दो वर्ष का दर-अनुबंध डेढ़ दशक का बना दिया गया। 9 मशीनों की निविदा से 258 करोड़ रुपये से अधिक के डिब्बे और थैलियाँ निकल आई, और जिस पैसे से गरीबों की दवा आनी थी, उस पर भी सवाल है।

दूसरी ओर, गया, जहानाबाद, फुलवारी और पटना के अस्पतालों में कचरा अब भी खुले में पड़ा मिलता है। जिन साझा उपचार संयंत्रों से अनुबंध है, उनके लाखों रुपये बकाया हैं। अगर यह सब किसी संगठित योजना का हिस्सा था, तो उसकी जड़ें केवल आपूर्ति करने वाली कंपनी तक सीमित नहीं हो सकतीं। उसमें इंडेंट बनाने वाले, अनुमोदन देने वाले और भुगतान करने वाले, सभी स्तरों के अधिकारियों की भूमिका की जाँच जरूरी है, चाहे वे BMSICL के हों या राज्य स्वास्थ्य समिति के।

अब निगाहें 19 नवंबर को पटना उच्च न्यायालय पर हैं। सरकार के प्रति-शपथपत्र से पता चलेगा कि राज्य इन सवालों का जवाब देना चाहता है या सिर्फ यह बताना कि डस्टबिन 'विशेष' थे।●

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को कंबल ओढ़कर घी पीने की पुरानी आदत है। ईमानदारी का चोला ओढ़ बेईमानी के किस्से सुपौल से लेकर राजधानी पटना तक कई राजनीतिक हस्तियों के संज्ञान में हैं और वह बराबर इस पर बयान देते रहते हैं और चर्चा भी करते रहते हैं। यह कभी भी सदन या सदन से बाहर अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भी जाने जाते हैं इन्होंने राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को सदन के अंदर 'चोट्टा, तक कह कर अपमानित किया था। विपक्ष के एक नेता ने ऑन कैमरा कहा है कि बिजेंद्र यादव बनते हैं ईमानदार और उनके विभाग में होता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बिजली विभाग में पीरपैंती अडानी पावर से जुड़ा मामला हो या स्मार्ट मीटर से जुड़ा मामला "भ्रष्टाचार बिना मंत्री के संज्ञान में आए नहीं हो सकता है''। अडानी पावर के मामले में पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री राजकुमार सिंह ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए थे।

सुनील कुमार सिंह

बिहार का वित्त विभाग वह जगह है जहाँ से हर विभाग का वेतन, हर योजना का पैसा और हर ठेके का भुगतान होकर गुजरता है। यही विभाग दूसरे विभागों की गड़बड़ियाँ पकड़ता है। लेकिन जब निगरानी की जिम्मेदारी वाले विभाग पर ही सवाल उठने लगें, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है: पहरेदार की निगरानी कौन करेगा? यह आशंका निराधार नहीं है। इसी वर्ष जून में बहुचर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, इंजीनियर तारिणी दास और इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन पर आरोप है कि सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त रहते हुए उन्होंने ठेकेदार रिशु श्री की कंपनियों को अनुचित लाभ पहुँचाया और बदले में मोटी रकम लेकर ठेके दिए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 27 मार्च 2025 को ED की छापेमारी में उनके ठिकानों से करीब 2 करोड़ रूपये नकद बरामद हुए थे और गिरफ्तारी के समय वे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर थे। यानी जिस व्यक्ति पर करोड़ों की नकदी मिलने का आरोप था, उसे जाँच के दौरान राज्य के सबसे

आर.के. सिंह

विनय कुमार

संवेदनशील विभाग में बैठाया गया था। यह अपने आप में व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न है।

अक्टूबर 2026 में राज्य सरकार ने शिक्षा और गृह विभाग को अगले महीने का वेतन जारी करने से पहले सभी कर्मियों के वेतन-भत्तों की जाँच का निर्देश दिया, क्योंकि वेतन प्रक्रिया में अनियमितताएँ पाई गई थीं। 9 अक्टूबर के पत्र में वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने दोनों विभागों से वेतन बिलों की कड़ी जाँच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा। वित्त मंत्री का बयान भी आया। उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जो वित्त विभाग भी सँभालते हैं, ने पत्रकारों से कहा कि CAG ने शिक्षा विभाग में वेतन बिलों की प्रोसेसिंग में अनियमितताएँ चिह्नित की थीं।

बिहार सरकार
वित्त विभाग
वित्त विभाग
Finance Department
Govt. of Bihar

'केवल सच' का सवाल :- जब पूरे राज्य के वेतन बिलों में गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, तो क्या वित्त विभाग ने अपनी ही पे-स्लिप शाखा की जाँच कराई? वह शाखा, जहाँ हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मी लगभग दस वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे हैं?

संयुक्त आयुक्त अरुण कुमार पर आरोप है कि वे लंबे समय से विभाग में पदस्थापित हैं और भुगतान से जुड़े कामों पर उनका प्रभाव है। आरोप है कि उनकी चल-अचल संपत्ति ज्ञात आय से कई गुना अधिक है, और कुछ स्थानों पर जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी हैं। इससे जुड़े दस्तावेज अगले अंक में प्रकाशित किए जाएँगे। हमारी यूट्यूब रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा भी सामने आया कि उन्हें सत्ताधारी दल JDU से जुड़े एक नेता के पूर्व सांसद चन्देश्वर चंद्रवंशी का संरक्षण प्राप्त है।

श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध उप कोषागार, दानापुर एवं पटना सिटी तथा कोषागार, वैशाली एवं गया से संबंधित मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 3.5.1 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बैंक, कोषागार पदाधिकारियों तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दनियावाँ/शाहजहाँपुर/पालीगंज/समरा/मटिहानी/अकबरपुर/बोधगया चेरकी/खजवट्टी/सहदेई बुजुर्ग इत्यादि से भविष्य निधि एवं अन्य मदों की राशि की कपटपूर्ण निकासी के मामले में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागारों द्वारा की गई लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत आरोप-पत्र गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में श्री अरूण कुमार के दिनांक-23.12.2013 से 30.03.2015 तक दानापुर कोषागार में पदस्थापन अवधि में हुई कपटपूर्ण निकासी के लिए कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आधार पर उनके विरूद्ध आरोप-पत्र का गठन किया गया। विभागीय पत्रांक-11204, दिनांक-30.10.2025 द्वारा उक्त गठित आरोप-पत्र की एक प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गई, जिसके प्रतिउत्तर में दिनांक-05.11.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। इस पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अभिकथन को असंतोषजनक पाकर अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन बाद में पूर्व सांसद चन्देश्वर चंद्रवंशी के राजनितिक दबाब में आकर इनको आरोपमुक्त कर दिया गया और सरकार ने इस मामले का इतिश्री करवा दिया और मामला न्यायलय के चोकठ पर आने से पहले ही दम तोड़ दिया।

पे-स्लिप शाखामें राज कुमार और पंकज कुमार लगभग दस

बिहार सरकार
वित्त विभाग

:: **अधिसूचना** ::

पटना, दिनांक-.....

संख्या-1/स्था०(का०आ०)-06/2024...../वि०, श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्थानातरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024 - 9858/वि०, पटना, दिनांक-22.10.2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वरीय कोषगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वरीय कोषगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RMandal
22-10-2026
सरकार के अवर सचिव।

अरूण कुमार

चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी

RNI NO.:-BIHHIN/2006/18181
PAN NO.:- AAHCK0065A
DAVP NO.:-129888
GSTIN :- 10AAJFK0065A1Z7
POSTAL Reg. NO.:-PS-35

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

दबाव किसी बात का हो, खबर सच्ची छापेंगे

ISO 9001 : 2015

(भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड)

www.kewalsach.com www.kewalsachtimes.com www.kewalsachlive.in

प्रधान कार्यालय :- पुरी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-14/28, फतेहपुरा, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क संपर्क :- 9431073769, 8340360961, 9955077308 ई-मेल :- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

पत्रांक :- 185/kewalsach/2026 दिनांक :- 14-10-2026

सेवा में,

1. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना

विषय: वित्त विभाग, बिहार सरकार में टीपीओन से पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अंतर्गत जाँच की अनुमति, तथा विकासयतकारी पदभार की अग्रिमवर्ती की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु।

महोदय,

मैं शक्ति रंजन सिंह, संपादक, "केवल सच" पत्रिका (पंजीयन सं. [उस से.]) एवं "केवल सच" यूट्यूब चैनल का संचालक हूँ। लोकहित एवं राज्य के वित्तीय हित में निम्न तथ्य और आरोप आपके संज्ञान में ला रहा हूँ:-

वित्त विभाग की आधिकारिक दुरुआप निर्देशिका में मुख्यालय में क्रम संख्या 14 से 21 तक आठ संयुक्त आयुक्त अंकित हैं। इनमें क्रम संख्या 17 पर श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त अंकित हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार ये सभी समय से विभाग में पदस्थापित हैं और भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर इनका नियंत्रण बताया जाता है। मुझे प्राप्त सूचनाओं और बोली के अनुसार प्रेमन मद्दी में अनियमित भुगतान, बड़े हुए बिल तथा निगम-विस्तृत व्यय के आरोप हैं:

- फर्नीचर एवं कार्यालय सामग्री का क्रय।
- जलपानगत/जैसक मद।
- पी-सिस्थ से संबंधित कार्य।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल क्लेम)।
- वेंडर/आपूर्तिकर्ता भुगतान सहित अन्य भुगतान कार्य।

आरोप है कि सरकारी विपत्रों (बिलों) पर निजी/घरेलू उपयोग की वस्तुएँ मँगाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में "प्रमोद लड्डू दुकान" के नाम से प्रस्तुत बिलों की जाँच से व्यय की प्रकृति स्पष्ट हो सकती है। आरोप है कि विभाग में अधिकारी, निम्नवर्तीय लिपिक (LDC) एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर कई वर्षों से एक ही स्थानकार्य पर जमे हैं। यह राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति और "संवेदनशील पदों पर रोटेशन" के सिद्धांत के विपरीत है, जिससे निहित स्वार्थ पनपते हैं। इस विषय पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर समाचार प्रसारित किया (अनुलग्नक-2 एवं 3)। इसके बाद मेरा फेसबुक खाता बंद हो गया। मुझे आशंका है कि यह समाचार के कारण कराया गया।

राज्य के खजाने की निगरानी वित्त विभाग के जिम्मे है, उसी वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। "केवल सच" को मिली सूचनाओं और बोली के अनुसार विभाग में वर्षों से कुछ संयुक्त आयुक्तों का दबदबा बताया जाता है। आरोप है कि फर्नीचर खरीद, जलपान, पी-सिस्थ, मेडिकल क्लेम और वेंडर भुगतान जैसे मदों में नियमों को ताक पर रखकर भुगतान किए गए।

वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दुरुआप निर्देशिका (अद्यतन 14 अक्टूबर 2026) में कुल 124 प्रविष्टियाँ हैं। इनमें मुख्यालय में क्रम संख्या 14 से 21 तक आठ संयुक्त आयुक्त अंकित हैं। क्रम संख्या 17 पर श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त का नाम दर्ज है। सूत्रों का दावा है कि ये सभी समय से विभाग में पदस्थापित हैं और भुगतान से जुड़े अहम कार्यों पर उनका प्रभाव है।

ध्यान देने वाली बात है कि निर्देशिका में अधिकांश संयुक्त आयुक्तों के आगे न तो कार्यालय फोन नंबर है, न ईमेल, न ही उनके कार्य-आवंटन का कोई उल्लेख। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ब) के तहत हर सरकारी विभाग को अपने अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्य स्वतः सार्वजनिक करने होते हैं।

सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि सरकारी विपत्रों (बिलों) पर घरेलू सामान मँगाया जाता है। सूत्र बताते हैं कि "प्रमोद लड्डू दुकान" के नाम से प्रस्तुत बिलों की ही जाँच हो जाए, तो खर्च की असलियत सामने आ सकती है।

आरोप सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं हैं। बताया जाता है कि निम्नवर्तीय लिपिक (LDC) और डेटा एंट्री ऑपरेटर तक कई वर्षों से एक ही शाखा में जमे हैं। प्रशासनिक नियम शोकॉजसीज पदों पर नियमित रोटेशन की बात करते हैं, ताकि किसी एक व्यक्ति या समूह का निहित स्वार्थ न बनें। जानकारों का कहना है कि भुगतान से जुड़े पदों पर लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का बने रहना राज्य की वित्तीय सेहत के लिए जोखिम है।

"केवल सच" ने इस विषय पर अपने यूट्यूब चैनल पर दो रिपोर्ट प्रसारित कीं। इसके बाद चैनल संचालक का फेसबुक खाता बंद हो गया। आरोप है कि यह खबर के कारण कराया गया। कानून के मुताबिक किसी सोशल मीडिया खाते को सरकारी निर्देश पर बंद कराना केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A की तय प्रक्रिया से ही संभव है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ब) प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

यदि आरोप जाँच में सही पाए जाते हैं, तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत आपराधिक कदाचार की श्रेणी में आता है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग, छल और फर्जी दस्तावेज जैसे अपराध भी बन सकते हैं। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 सरकारी धन के निजी उपयोग को स्पष्ट कदाचार मानती है।

जिस विभाग पर पूरे राज्य के खर्च की निगरानी का दायित्व है, अगर वहीं बिलों पर सवाल उठें, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या सरकार निष्पक्ष जाँच कराकर सच सामने लाएगी? "केवल सच" इस मामले पर नजर बनाए रखेगा।

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018): सौंपी गई सरकारी संपत्ति या निधि का बेईमानी से दुरुपयोग धारा 13(1)(ब), और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित धारा 13(1)(इ) के अंतर्गत आपराधिक कदाचार है। धारा 17A के तहत लोक सेवक के विरुद्ध जाँच हेतु सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसे प्रदान करने का में अनुरोध कराया है।

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023: यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग (धारा 316(5)), छल (धारा 318), कूटरचित दस्तावेजीकरण (धारा 336 एवं 340) तथा आपराधिक षड्यंत्र (धारा 61) के अपराध बनते हैं।

3. सलिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जाँच की व्यवस्था दी है। उसमें संज्ञेय अपराध का पता चलने पर प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है।

4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 एवं बिहार वित्तीय नियमावली: सरकारी धन का व्यय केवल लोकहित में और निर्धारित प्रक्रिया से ही हो सकता है। निजी उपयोग हेतु व्यय कदाचार है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 4(1)(ब): प्रत्येक लोक प्राधिकार को अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य स्वतः सार्वजनिक करना अनिवार्य है। अतः मोटे मोटी सही जानकारी देना विभाग का वैधानिक दायित्व है।

6. संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ब) एवं 21: प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। यदि किसी सरकारी निर्देश पर मेरा सोशल मीडिया खाता बंद कराया गया है, तो यह केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A और उसकी नियमावली की प्रक्रिया से ही संभव है। अन्यथा यह अवैध है।

7. हिमांशु कनोडिया संस्थान अधिनियम, 2014: लोकहित में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि:-

1. उपर्युक्त आरोपों की जाँच निगरानी अन्वेक्षण ब्यूरो या आर्थिक अपराध इकाई अथवा किसी उच्चस्तरीय स्वतंत्र समिति से समन्वयदृढ़ रूप से कराई जाए। आवश्यकतानुसार धारा 17A के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाए।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार से पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के फर्नीचर, जलपान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं वेंडर भुगतान का विशेष अंकेक्षण कराया जाए। इसमें "प्रमोद लड्डू दुकान" सहित सभी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र शामिल हों।
3. जाँच की निष्पक्षता हेतु संबंधित पदाधिकारियों को जाँच अवधि में भुगतान से जुड़े दायित्वों से अलग रखा जाए और अभिलेख सुरक्षित (seize) कराए जाएँ।
4. वित्त विभाग में कार्यरत सभी संयुक्त आयुक्तों, अन्य पदाधिकारियों, लिपिकों एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों का निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाए/सार्वजनिक किया जाए:
   - नाम एवं पदनाम
   - वर्तमान पदस्थापना में योगदान की तिथि
   - कार्य-आवंटन एवं वित्तीय अधिकार
   - डेटा एंट्री ऑपरेटरों के मामले में नियोजन एजेंसी एवं अनुबंध की अवधि
5. तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मियों के संबंध में स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्रवाई की जाए।
6. यह स्पष्ट किया जाए कि मेरा फेसबुक खाता बंद कराने हेतु किसी सरकारी विभाग/पदाधिकारी द्वारा कोई अनुरोध भेजा गया था या नहीं। यदि भेजा गया हो, तो उसका वैधानिक आधार बताया जाए।
7. शिकायतकर्ता के रूप में मेरी पहचान, सुरक्षा एवं पक्षकारिता की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, ताकि सच पर कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो।

वर्षों से कार्यरत बताए जाते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रह्लाद, नीरज, राम लायक, संतोष, अनिल कुमार, अरुण कुमार, रंजन कुमार सहित कई कर्मी करीब दस वर्षों से एक ही शाखा में बताए जाते हैं। सूत्रों का आरोप है कि इनमें से कई की संपत्ति वैध आय से कई गुना अधिक है। आरोप है कि सरकारी विपत्रों पर निजी उपयोग की वस्तुएँ मँगाई जाती हैं। सूत्रों का दावा है कि 'प्रमोद लड्डू दुकान' के नाम से प्रस्तुत बिलों की जाँच से जलपान मद का सच सामने आ सकता है। फर्नीचर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेंडर भुगतान में भी बढ़े हुए बिलों के आरोप हैं।

'केवल सच' स्पष्ट करता है: ये आरोप हैं, दोष सिद्ध नहीं। हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे; हमारी माँग निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच की है। सभी संबंधित व्यक्तियों का पक्ष प्राप्त होने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

निर्देशिका में अधिकांश संयुक्त आयुक्तों के आगे न कार्यालय फोन है, न ईमेल, न कार्य-आवंटन का उल्लेख, जबकि RTI अधिनियम की धारा 4(1)(इ) हर लोक प्राधिकार पर अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य स्वत: सार्वजनिक करने का दायित्व डालती है।

जितेंद्र सिंह गंगवार

संवेदनशील पदों पर रोटेशन भ्रष्टाचार रोकने का बुनियादी उपाय माना जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट है कि कोई कर्मचारी पाँच साल से अधिक संवेदनशील पदों, विशेषकर प्रशासन, लेखा परीक्षा योजना और समन्वय में तैनात नहीं रहेगा। फिर राज्य के खजाने की देखरेख करने वाले विभाग में भुगतान से जुड़े पदों पर दस साल तक एक ही चेहरे क्यों? डेटा एंट्री ऑपरेटर आमतौर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी से आते हैं। यदि उनका अनुबंध बार-बार उसी शाखा में नवीनीकृत होता रहा, तो यह किसके आदेश से हुआ, यह भी जाँच का विषय है।

राज्य में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 2025 में रिश्वत के 101 मामले पकड़े गए थे, जबकि इस साल 16 अक्टूबर तक ही 113 लोग रिश्वत लेते पकड़े गए। इस साल 30 सितंबर तक महज 188 कार्य दिवसों में 124 प्राथमिकी दर्ज हुई, यानी हर डेढ़ दिन पर एक।

आय से अधिक संपत्ति के मामलों में छोटे पदों पर बैठे कर्मी भी करोड़ों के मालिक निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए, भोजपुर के एक पशु चिकित्सालय में कार्यरत कार्यालय परिचारी पर ज्ञात आय से लगभग 253.8 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप है, और उनके व पत्नी के नाम 34 अचल संपत्तियाँ पाई गईं। सितंबर में EOU और निगरानी ब्यूरो ने छह अधिकारियों से जुड़े पाँच मामलों में छापेमारी की, जिनमें कुल लगभग 9.38 करोड़ रूपये की कथित आय से अधिक संपत्ति का आकलन है।

निगरानी एजेंसियों की जाँच में यह भी सामने आया कि भ्रष्ट अधिकारी अब पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति बना रहे हैं। जब एक कार्यालय परिचारी करोड़ों का मालिक हो सकता है, तो भुगतान की चाबी रखने वाले विभाग के कर्मियों की संपत्ति की जाँच से परहेज क्यों?

व्यापक वित्तीय अनुशासन पर भी सवाल रहे हैं। 2023-24 की CAG रिपोर्ट में 31 मार्च 2024 तक 70,877.61 करोड़ रूपये के 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित बताए गए। CAG ने राज्य की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था को कमजोर या निष्क्रिय बताया।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सृजन घोटाले की तरह इसे भी दिल्ली से पटना तक मैनेज करने और दबाने की कोशिश हो रही है। अप्रैल 2026 में भी तेजस्वी ने CAG के हवाले से दावा किया कि 90,000 करोड़ रूपये के खर्च के उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं हैं।

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप खारिज करते हुए कहा था कि बिल जमा करने में देरी को घोटाला नहीं कहा जा सकता

और यदि कोई घोटाला है तो वह तेजस्वी के उपमुख्यमंत्री रहते के समय का है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि CAG रिपोर्टों की जाँच करने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता RJD विधायक के पास है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जनता का पैसा किसी दल का नहीं होता। जवाबदेही दोनों पक्षों की है।

वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार पर कड़े बयान देते रहे हैं। शपथ लेते ही उन्होंने अधिकारियों को पाँच सूत्रों का मंत्र दिया, जिसमें सबसे बड़ा जोर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अफसरशाही पर सख्ती था। निगरानी जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन पर उन्होंने चेताया कि अवैध तरीकों या शॉर्टकट से धन जमा करने वालों को बेउर जेल जाना होगा। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री, विधायक या ऊपर से नीचे तक कोई भी अफसर आर्थिक अपराध में लिप्त मिला तो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भ्रष्टाचार मामलों में जब्त संपत्तियों पर सरकार स्कूल चलाएगी।

यदि जीरो टॉलरेंस की नीति सच है, तो वित्त विभाग पर लगे आरोपों की जाँच के आदेश कब होंगे? और जिस पत्रकार ने ये आरोप उठाए, उसका सोशल मीडिया खाता किसके कहने पर बंद हुआ?

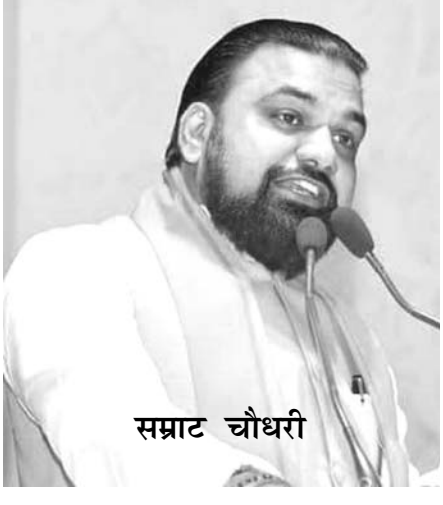

'केवल सच' ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस विषय पर दो रिपोर्ट प्रसारित कीं। पहली रिपोर्ट 11 अक्टूबर 2026 को और दूसरी 13 अक्टूबर 2026 को, जिनमें वित्त विभाग में अनियमितताओं और विभागीय मंत्री की जवाबदेही पर सवाल उठाए गए। इसके कुछ ही समय बाद सहायक संपादक शशि रंजन सिंह का लगभग 14,000 फॉलोअर्स वाला ब्लू टिक सत्यापित फेसबुक खाता भारत में "Account not available in India" संदेश के साथ बंद हो गया। फेसबुक के अनुसार यह एक 'कानूनी अनुरोध' पर किया गया। न कोई नोटिस मिला, न सुनवाई का अवसर और आज तक यह नहीं बताया गया कि अनुरोध किसने, कब और किस कानून के तहत भेजा।

आईटी अधिनियम, 2000 की 'धारा 69A' के तहत ब्लॉकिंग का आदेश केवल केंद्र सरकार के नामित अधिकारी दे सकते हैं और केवल अनुच्छेद 19 (2) के आधारों पर। राज्य सरकार का कोई विभाग सीधे ऐसा आदेश नहीं दे सकता। ब्लॉकिंग नियम, 2009 का नियम '8' सामग्री के प्रणेता को नोटिस और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य करता है।

☞ 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 5 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 69A को इन्हीं सुरक्षा उपायों के आधार पर वैध ठहराया था।'

☞ "अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) 3 SCC 637 के अनुसार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध आनुपातिक और न्यूनतम होना चाहिए। एक पोस्ट के बजाय पूरा खाता बंद करना अनुपातहीन है।''

☞ "IT नियम, 2021 का नियम 4(8) सोशल मीडिया मंच को कार्रवाई का कारण बताने और विरोध का अवसर देने के लिए बाध्य करता है।''

☞ ''संवैधानिक अधिकार : अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता), 19(1)(g) (पेशे का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष प्रक्रिया)। भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग अनुच्छेद 19(2) के किसी आधार में नहीं आती और किसी विभाग की 'छवि खराब होना' प्रतिबंध का संवैधानिक आधार नहीं है।''

☞ ''डर का माहौल (chilling effect): जब भ्रष्टाचार पर बोलने वाले पत्रकार की आवाज बिना कारण बंद हो जाती है, तो हर छोटा पत्रकार, जागरूक नागरिक और ईमानदार कर्मचारी यही सीखता है कि चुप रहना सुरक्षित है।''

☞ ''जनता को जानने का अधिकार : हजारों पाठक, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और साधारण परिवारों की है, उन सूचनाओं से वंचित हुए जो उनके ही कर के पैसे से जुड़ी हैं।''

☞ "सच की जाँच हो, और सच पूछने वाले को सजा न मिले। यही हमारी माँग है।''

इस श्रृंखला की अगली कड़ी में :- जमीन कब्जे के आरोपों से जुड़े दस्तावेज। संबंधित पदाधिकारियों और विभाग का पक्ष आमंत्रित है।●

कार्य में अनुशासन बेहद जरूरी : राघव दयाल

● अमित कुमार

पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी में बिहार पुलिस के तेज-तर्रार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 अपने कर्तव्यनिष्ठ आचरण और नागरिकों के बीच मिलनसार व्यवहार के कारण वरीय अधिकारियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। समय-समय पर अपराध नियंत्रण और यातायात व अतिक्रमण मुक्त मसौढ़ी को बनाये रखने को लेकर अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर क्षेत्र को व्यवस्थित बनाये रखने का उनका प्रयास सराहनीय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 राघव दयाल की। जिन्होंने 1994 बैच के अवर निरीक्षक से अपने कुशल कार्य के बदौलत पदोन्नति पाकर यहां तक का सफर तय किया है। हालांकि इनकी पदोन्नति बहुत पहले ही हुई थी। पदोन्नति के बाद सर्वप्रथम बिहार एसटीएफ में काम करने के बाद इन्हें वैशाली जिले के हाजीपुर का सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया था। यहां पर भी राघव अपने कुशल कार्य के बदौलत लोगों के चहेते

बन`। बाद में प्रशासनिक फेर बदल के दौरान इन्हें बिहार सशस्त्र पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर जमुई में तबादला किया गया। यहां रहकर पुलिसिंग क्या होती है, इन्होंने दिखाया। जहां-जहां चुनाव हो या फिर सिपाही बहाली की दौड़ हो, इनकी तैनाती इस बात की गवाही है कि यह अपने कार्य को पूरे ईमानदारी से करते रहे हैं। बता दें कि बाद में इनका तबादला नेपाल बॉर्डर स्थित बिहार का एक जिला मधुबनी के जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एक कठिन क्षेत्र होने के बाद भी राघव दयाल ने अपने कार्य का लोहा मनवाया और यहां की जनता इनके तबादले के बाद आज भी इन्हें याद करती है। आज राघव दयाल राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 पद पर कार्य कर रहे हैं। बीते 19 जुलाई को इस क्षेत्र का प्रभार मिलते ही क्षेत्र की मॉनेटरिंग करते हुए सारे थानाध्यक्षों के साथ बैठके कर क्षेत्र की सुव्यवस्थित बनाये रखने में ये तत्पर दिखते हैं। अभी मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कार्य करते हुए लगभग चार महीने होने को है। इस दरम्यान शहरी और ग्रामीण दोनो तरह के क्षेत्र होने से जनता की समस्या सुनकर उस पर त्वरित कार्रवाई करते ये देखे जा सकते हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में इनके अंतर्गत चार थाने मुख्य रूप से थे, किंतु बीते दिनों नये ओ.पी. के बनने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है।

गौरतलब है कि बीते 21/09/2026 को श्री राघव दयाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (मसौढ़ी 01) द्वारा भगवानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी, हाजत, मालखाना, वायरलेस सहित अन्य कार्यों तथा विभिन्न लंबित कांडों के अनुसंधान की समीक्षा की गई। साथ ही थाना की कार्यप्रणाली एवं अभिलेखों के संधारण का बारीकी से अवलोकन किया गया। संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करने, निर्धारित समय-सीमा के

भीतर अनुसंधान पूर्ण करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपराध की रोकथाम एवं विधि-व्यवस्था के प्रभावी संधारण हेतु रात्रि गश्ती एवं वाहन जांच को और अधिक प्रभावशाली बनाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ ने रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया, साथ ही वाहनों की जांच भी प्रभावी तरीके से करने को कहा ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही एसडीपीओ ने पुलिस पदाधिकारियों को आम लोगों को त्वरित पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने थाना स्तर पर शिकायतों के त्वरित निपटारे और पुलिसिंग को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। विदित हो कि दिनांक 26/09/2026 को नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पटना, सुश्री शैलजा द्वारा मसौढ़ी थाना का निरीक्षण करते हुए थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली एवं अभिलेखों के संधारण का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान आम जनता की समस्याओं/शिकायतों को सीधे सुना गया और त्वरित एवं विधि-सम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत करना और पूर्वी क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करना था। उक्त जनता दरबार में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01, मसौढ़ी श्री राघव दयाल भी मौजूद रहे। इसके बाद पुनः 1 अक्टूबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी-01, पटना द्वारा मसौढ़ी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों में एससी/एसटी से संबंधित लंबित कांडों की समीक्षा की गई।

जिसमें निकट समय में प्रतिवेदित तथा पूर्व से लंबित कांडों के अनुसंधान की त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विदित हो कि बिहार पुलिस के कई सहायक अवर निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई थी, इर बीच मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित पीपिंग सेरेमनी में मसौढ़ी अनुमंडल के विभिन्न थानों में पदस्थापित 28 सहायक अवर निरीक्षकों (एएसआई) को अवर निरीक्षक (एसआई) के पद पर पदोन्नति दी गयी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने नवपदोन्नत पुलिस पदाधिकारियों के कंधे पर एसआई का स्टार लगाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर राघव दयाल ने कहा कि सेवा में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदोन्नति मिली है। अब नवपदोन्नत अधिकारी अनुसंधान पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आने वाले समय में इनमें से कई अधिकारियों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। राघव दयाल ने नवपदोन्नत अधिकारियों को मामलों के अनुसंधान में तकनीकी साक्ष्यों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बेहतर अनुसंधान करना जरूरी है। वही सभी अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और नयी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने को कहा। राघव दयाल ने पुलिस पदाधिकारियों को अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी, साथ ही कहा कि बेहतर अनुसंधान और संवेदनशील पुलिसिंग से ही आम लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होगा।●